भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002

दूरभाष : +91-11-23236308

फैक्स : +91-11-23213294

ई–मेल : ap@trai.gov.in

वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2012–13 की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार क्षेत्र का परिदृश्य तथा भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(डॉ0 राहुल खुल्लर)
अध्यक्ष

दिनांक : 18 नवम्बर, 2013

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	परिदृश्य	1-10
भाग–I	नीतियां तथा कार्यक्रम	11-67
	क. दूरसंचार क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	ख. नीतियों तथा कार्यक्रम की समीक्षा	
	भाग–I के अनुबंध	
भाग–II	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और प्रचालनों की समीक्षा	69-122
भाग–III	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भादूविप्रा के कार्य	123-136
भाग–IV	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन	
	क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	137-153
	ख. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2012–2013 के लेखापरीक्षित लेखे	155-184
	ग. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि 2012–2013 के लेखापरीक्षित लेखे	185-205
	प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची	206-210

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य

परिदृश्य

1. वर्ष 2012—13 दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में गतिविधियां, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्पेक्ट्रम नीलामी और एकीकृत लाइसेंस देने संबंधी मुद्दों पर केंद्रित रहीं। प्रसारण क्षेत्र में प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा, डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सेवाओं में अभिगमन करने के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अभिगमन/स्थानांतरण को संचालित करने के लिए प्राधिकरण ने उपयुक्त विनियामक बुनियादी तंत्र निर्धारित किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हित में कई उपाय किए गए हैं :— इनमें, सेवा की गुणवत्ता, प्रशुल्क, सेवा के प्रावधानों में पारदर्शिता, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, दूरसंचार उपभोक्ताओं का अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण के संकट से संरक्षण और उपभोक्ता शिकायत निवारण, जैसे उपाय शामिल हैं।

2. वर्ष 2012—13 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्न प्रकार थीं:—

I. दूरसंचार क्षेत्र

(i) वर्ष 2012—13 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या में मामूली कमी देखी गई। वित्त वर्ष के अंत में, उपभोक्ताओं की कुल संख्या 898.02 मिलियन थी, जिनमें से 867.80 मिलियन वायरलैस उपभोक्ता थे। वर्ष के दौरान वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या में 51.37 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई, जबकि समग्र आधार पर दूरसंचार घनत्व मामूली तौर पर 78.66 से गिरकर 73.32 हो गया। वर्ष के दौरान, ग्रामीण दूरसंचार घनत्व 39.22 से बढ़कर 41.02 हो गया, जबकि शहरी दूरसंचार घनत्व 169.55 से घटकर 146.96 रह गया, वर्ष के दौरान मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सुविधा का उपयोग करने के लिए 47.82 मिलियन उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न सेवा प्रदाताओं को पोर्टिंग के लिए अनुरोध किया गया।

(ii) वित्त वर्ष के अंत में, इंटरनेट उपभोक्ताओं (नैरोबैंड और ब्रॉडबैंड) की संख्या 21.61 मिलियन थी, जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 13.81 मिलियन से बढ़कर 15.05 मिलियन हो गई। साथ ही 143.20 मिलियन उपभोक्ता ऐसे थे, जिन्होंने वायरलैस

फोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया।

(iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिनियम के अंतर्गत अधिदेश के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बाजार सरंचना और क्षेत्र में नए प्रचालकों का प्रवेश, लाइसेंस देने का फ्रेमवर्क, स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ स्रोतों का प्रबंधन, उपभोक्ता सुरक्षा और संरक्षण सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें करना है। इस अधिदेश के अंतर्गत, वर्ष के दौरान कई नीतिगत विनियामक सिफारिशें की गईं, जिनमें शामिल हैं :– दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और विद्यमान लाइसेंसों के अभिगमन पर दिशा–निर्देश। भादूविप्रा द्वारा एकीकृत लाइसेंसों के तीन स्तरों, राष्ट्रीय स्तर, सेवा क्षेत्र स्तर और जिला स्तर की सिफारिश की गई। एकीकृत लाइसेंस के लिए एकबारगी अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क (क) राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत लाइसेंस के लिए 15 करोड़ रुपए, (ख) जम्मू व कश्मीर व पूर्वोत्तर के सेवा क्षेत्रों को छोड़कर, शेष क्षेत्रों में प्रत्येक सेवा क्षेत्र के एकीकृत लाइसेंस के लिए एक करोड़ रुपए तथा जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर के प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए, और (ग) प्रत्येक जिला स्तर के एकीकृत लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए होगा। दूरसंचार विभाग द्वारा इनमें से कुछ सिफारिशें स्पष्टीकरण/पुनर्विचार के लिए भादूविप्रा के पास वापस भेजी गई हैं। भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, दिनांक 12 मई, 2012 को अपना प्रत्युत्तर/संशोधित सिफारिशें भेजी गईं।

(iv) दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिसके द्वारा 10.01.2008 को अथवा इसके बाद दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदत्त यूएएस लाइसेंसो को निरस्त कर दिया गया था, के आलोक में भादूविप्रा द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2012 को "विभिन्न दूरसंचार लाइसेसों के लिए बहिर्गमन–नीति" के संबंध में सिफारिशें जारी की गईं। भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि वर्तमान में सभी प्रकार के लाइसेंसो के लिए किसी अलग बहिर्गमन नीति की आवश्यकता नहीं है।

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02 फरवरी, 2012 के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को 'स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर अपनी सिफारिशें दी गईं। इन सिफारिशों में शामिल मुद्दे थेः– नीलामी फॉर्मेट, पात्रता, स्पेक्ट्रम ब्लॉक साइज, स्पेक्ट्रम कैप, आरक्षित मूल्य, स्पेक्ट्रम बंधक, रोल–आउट दायित्व, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार, वैधता अवधि, स्पेक्ट्रम व्यापार, 700/800/900/1800/2100/2300 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की री–फार्मिंग इत्यादि। दूरसंचार विभाग द्वारा इनमें से कुछ सिफारिशों को अपनी टिप्पणियों के साथ स्पष्टीकरण/पुनर्विचार के लिए भादूविप्रा के पास वापस भेजा गया। भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर पर्याप्त विचार करने के बाद, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12 मई, 2012 को अपने स्पष्टीकरण/संशोधित सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी गईं।

(vi) आवासों और उद्यमों की उन्नत इंडोर कवरेज जरूरतों के लिए और साथ ही स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए

डिजिटल कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणालियों (सीटीएस) के उपयोग को सुकर बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 को "आवासीय और उद्यमों की अंतःदूरसंचार जरूरतों/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणालियों (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का नियतन" पर अपनी सिफारिशें दी हैं। भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि 1880–1900 मेगाहर्ट्ज बैंड को निजी और इंडोर (गैर–वाणिज्यिक) उपयोग हेतु कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणालियों के निम्न शक्ति प्रचालनों के लिए, लाइसेंस मुक्त किया जाना चाहिए।

(vii) दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के पत्र संख्या 20–291/2010–एएस–1 द्वारा एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाएं) के लिए निबंधन और शर्तों की ओर भादूविप्रा का ध्यान दिलाया। पत्र में दूरसंचार विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया कि नवम्बर, 2012 में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के नए सफल प्रतियोगियों को नए लाइसेंस जारी किया जाना अपेक्षित है। एकीकृत लाइसेंसों (एक्सेस सेवाएं) की जांच करने के बाद, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2013 को अपनी सिफारिशें दी गईं।

(viii) "आईएमटी–उन्नत मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाएं" के संबंध में अपनी 19 मार्च, 2013 की सिफारिशों में, भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि एफडीडी आधारित 2x45 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी व्यवस्था के साथ 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड (698–806 मेगाहर्ट्ज) के लिए एपीटी700 बैंड प्लान को अपनाया जाना चाहिए।

(ix) वर्ष के दौरान, भादूविप्रा द्वारा (क) आपात–काल/आपदा के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलता/खराबी "प्रतिक्रिया और पुनरूत्थान कार्यों में लगे व्यक्तियों की कॉलों का अग्रता आधार पर अनुमार्गण (रूटिंग), (ख) सार्वभौमिक एकल नंबर आधारित एकीकृत आपातकालीन संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली", (ग) पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विषयों पर परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

(x) एक्सेस प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमों को, जहां पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकृत करने और साथ ही विनियमों में विनिर्दिष्ट समय में उल्लंघन स्थापित हुआ है, वहां वित्तीय निरूत्साहन लगाने के प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।

(xi) कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा द्वारा कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग के लिए अलग प्रक्रिया के संबंध में परामर्श के लिए मसौदा विनियम जारी किया गया।

(xii) कुछ लाइसेंस रद्द करने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से भादूविप्रा द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के संबंध में दूरसंचार एक्सेस प्रदाताओं और एमएनपी सेवा प्रदाताओं को कई निदेश जारी किए गए।

(xiii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को, उसके द्वारा दिनांक 01.04.2002 से पहले लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों हेतु यूएसओ निधि से सहायता जारी रखने के

संबंध में, दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकरण से सिफारिशें मांगी गईं। बीएसएनएल से प्राप्त सूचनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने तथा हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, प्राधिकरण द्वारा यह सिफारिश की गई कि दिनांक 01.04.2002 से पहले लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों का खर्च वहन करने के लिए बीएसएनएल को यूएसओ निधि से जुलाई, 2011 से अगले दो वर्षों तक, पहले वर्ष 1500 करोड़ रुपए व दूसरे वर्ष 1250 करोड़ रुपए की दर से सहायता चालू रखी जा सकती है।

(xiv) दूरसंचार विभाग द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए एनआईए में उल्लिखित निबंधन व शर्तों को आईएसपी लाइसेंस अनुबंध में शामिल करने के लिए इसके संशोधन के संबंध में भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी गई। आवेदन आमंत्रित करने संबंधी नोटिस (एनआईए) की निबंधन व शर्तों के सभी लाइसेंसधारकों अर्थात् यूएएस, सीएमटीएस और आईएसपी, जिन्होंने नीलामी में बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया है, पर एकसमान और साम्यापूर्ण अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2012 को अपनी सिफारिशें भेजी गईं।

(xv) उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना, भादूविप्रा के लिए एक मुख्य अधिदेश है। ऐसे कई क्षेत्रों, जिनमें दूरसंचार उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों का अतिक्रमण होता है, में विनियामक तंत्र स्थापित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उपभोक्ताओं को उत्तम अनुभव तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए हैं।

(xvi) दिनांक 17 अप्रैल, 2012 का मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012, मोबाइल फोन द्वारा बैंकिंग को बल प्रदान करने के लिए तेज और विश्वसनीय संचार का प्रबंध करता हैं। बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 07 मई, 2012 में नेटवर्क केंद्रित सेवा गुणवत्ता के पैरामीटर और 3जी नेटवर्क के माध्यम से वॉयस सेवाओं के लिए निर्देश चिह्न निर्धारित करते हैं। ये पैरामीटर 3जी प्रचालकों के कॉल ड्रॉप, वाक् (वॉयस) गुणवत्ता, नेटवर्क संकुलन (कंजेशन) और नेटवर्क उपलब्धता, जैसे क्रांतिक क्षेत्रों में निष्पादन का आंकलन करने में सहायता करते हैं। वायरलैस डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012 दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा, डाटा संप्रेषण डाउनलोड/अपलोड प्रयास, न्यूनतम डाउनलोड स्पीड और सभी प्रशुल्क योजनाओं को शामिल करते हुए पॉकेट डाटा के लिए, औसत थ्रोपुट और डाटा सेवाओं के लिए अंतर्निहित सहित डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का निर्देश चिह्न निर्धारित किया गया है। डाटा सेवाओं के लिए प्रावधान अथवा संक्रियण (एक्टिवेशन), पीडीपी प्रसंग (करेक्टर) सक्रियण सफलता दर, और डाटा ड्रॉप दर के लिए भी निर्देश चिह्न निर्धारित किए गए हैं। सेवा प्रदाताओं को, उनके द्वारा प्रशुल्क सहित पेश की जा रही सभी डाटा सेवा उन सभी नगरों और शहरों, जहां इस प्रकार की डाटा सेवाएं और प्रशुल्क योजनाएं

लागू है, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, इनके विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(xvii) भादूविप्रा का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि उपभोक्ता शिकायतों का तीव्रता के साथ और प्रभावशाली रूप से समाधान हो। शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2012–13 के दौरान किए गए प्रमुख उपायों और सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में शामिल है :– भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निगरानी प्रणाली (टीसीसीएमएस) का पोर्टल www.tccms.gov.in आरंभ करना, ताकि उपभोक्ताओं को अपने सेवा प्रदाताओं के पास ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने और साथ ही साथ अपनी शिकायतों के समाधान की स्थिति की निगरानी करने में सहायता प्राप्त हो सके। इस पोर्टल में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता निकायों और संगठनों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे भादूविप्रा के साथ तालमेल रखें और उपभोक्ता प्रतिक्रिया को सुस्पष्ट करें और साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने में भादूविप्रा की सहायता करें। दिनांक 21 फरवरी, 2013 के दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 के माध्यम से सिमों के असक्रियण (डी–एक्टिवेशन) के मामलों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की मुख्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा मोबाइल उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना चाहता है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को असक्रिय करने से पहले टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत अधिदेशित किए गए हैं।

(xviii) उपभोक्ता पसंद को सुकर बनाने के लिए, प्राधिकरण द्वारा सभी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को अधिदेशित किया गया है कि, वे प्रत्येक सेवा क्षेत्र में पोस्ट–पेड और प्री–पेड, दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक समान एक सेकंड पल्स रेट वाली न्यूनतम एक प्रशुल्क योजना पेश करें।

(xix) मोबाइल के प्री–पेड उपभोक्ताओं द्वारा अपने खाते के मौद्रिक मूल्य में परिवर्धन करने के लिए टॉप–अप वाउचरों का उपयोग किया जाता है। 01 अक्तूबर, 2012 को दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) में एक संशोधन के द्वारा टॉक–टाइम टॉप–अप वाउचरों पर उगाही जा रही प्रोसेसिंग फीस को प्राधिकरण द्वारा सरल और कारगर बनाया गया और यह अधिदेश दिया गया कि टॉप–अप वाउचरों पर उगाही जा रही प्रोसेसिंग फीस अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत अथवा तीन रुपए में से, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम मूल्य के वाउचर बाजार से विलुप्त न हो जाएं, प्राधिकरण द्वारा यह भी अधिदेश दिया गया है कि सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बिक्री केन्द्रों पर 10/–रुपए मूल्यवर्ग के टॉप–अप वाउचर उपलब्ध रहते हैं।

(xx) सेवा प्रावधानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में संशोधन के माध्यम से, उपभोक्ताओं के लिए अभिनव प्रशुल्क प्रस्तावों को सुकर बनाने के लिए, कॉम्बो वाउचरों को प्रशुल्क वाउचरों

की चौथी श्रेणी के रूप में अनुमत किया गया है। इन वाउचरों के द्वारा सेवा प्रदाताओं को खंडीकरण (सेगमेंटेशन) के आधार पर उत्पादों से अभिनव समूहन (इनोवेटिव बंडलिंग) को पेश करने का लचीलापन प्राप्त होगा तथा उपभोक्ता एक लेन–देन के माध्यम द्वारा ही अतिरिक्त मौद्रिक मूल्य खरीदने तथा साथ ही साथ विशेष प्रशुल्कों का लाभ प्राप्त करने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

(xxi) भादूविप्रा, दूरसंचार उपभोक्ताओं का अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) के संकट से संरक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस प्रकार के कॉल और संदेशों की रोकथाम के लिए भादूविप्रा द्वारा एक टेक्नो–कमर्शियल तंत्र स्थापित किया गया है। इस तंत्र को सुरक्षित रखने तथा इसके प्रचालन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

(xxii) अपंजीकृत टेलीमार्केटरों को, एसएमएस पैक अथवा थोक में प्रोत्साहन एसएमएस भेजने के लिए प्रशुल्क प्लानों का दुरूपयोग करने से रोकने के लिए, रियायती दर पर एक सिम से एक दिन में एक सौ से अधिक एसएमएस भेजने पर मूल्य नियंत्रण लगाया गया। उपभोक्ता इस संख्या से अधिक एसएमएस भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, तथापि प्रति सिम प्रति दिन एक सौ एसएमएस की संख्या से आगे प्रत्येक एसएमएस पर न्यूनतम 50 पैसे का प्रभार लिया जाएगा।

(xxiii) विनियामक प्रवर्तन, भादूविप्रा के क्रियाकलापों का एक अंगभूत पक्ष है। बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, उल्लंघनों जैसे कि पोर्टिंग संबंधी अनुरोध को गलत ढंग से अस्वीकार करना, प्रशुल्क सूचित करने संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहना अथवा दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभारों की उगाही करना, लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब अथवा इनमें झूठी सूचनाएं प्रस्तुत करना, नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटर और उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों के निर्देश चिह्नों का अनुपालन न करना, प्रसारण सेवाओं इत्यादि के लिए निर्धारित सेवा गुणवत्ता निर्देश चिह्नों को पूरा करने में असफल रहने के लिए, वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित करते हुए विभिन्न विनियम व आदेश जारी किए गए हैं।

II. प्रसारण क्षेत्र

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत में, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार 262[1] मिलियन परिवारों में से, मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार लगभग 161[1] मिलियन के पास टेलीविजन है, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति केबल टीवी प्रणालियों, डीटीएच सेवाओं, आईपीटीवी सेवाओं और दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क द्वारा की जा रही है। पे–टीवी के क्षेत्र में लगभग 97[1] मिलियन केबल टीवी उपभोक्ता शामिल हैं, 56.48[2] मिलियन पंजीकृत डीटीएच ग्राहक और लगभग आधा मिलियन आईपीटीवी

[1] एमपीए रिपोर्ट, 2012 पर आधारित।

[2] भादूविप्रा के मार्च, 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार।

उपभोक्ता हैं। दूरदर्शन का, अपने नेटवर्क के 1415 स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से देश की लगभग 92 प्रतिशत आबादी तक प्रसार है।

(ii) प्रसारण सेवा टीवी क्षेत्र में, 30[2] पे–प्रसारक / समूहक (एग्रीगेटर) अनुमानित 60,000 केबल ऑपरेटर, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), छह पे–डीटीएच ऑपरेटर हैं और इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक–दूरदर्शन, जिसकी फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा–डीडी डायरेक्ट प्लस है। वित्त वर्ष 2012–13 के अंत में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ 828 पंजीकृत टीवी चैनल थे, जिनमें से 184[2] एसडी पे–चैनल थे।

(iii) भारत का टीवी उद्योग वर्ष 2011 में 32,900 करोड़[3] रुपए से बढ़कर 2012 में 37,010 करोड़[3] रुपए का हो गया, और इस प्रकार लगभग 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंशदान से आय, टीवी उद्योग की समग्र आय का एक बड़ा हिस्सा है। अंशदान से 2011 में हुई, 21,400 करोड़[3] रुपए की आय वर्ष 2012 में बढ़कर 24,500 करोड़[3] रुपए हो गई, जबकि औसत प्रति उपभोक्ता आय (एआरपीयू) साफ तौर पर लगभग 160 रुपए प्रतिमाह रही। भारत में टीवी क्षेत्र में विज्ञापन से आय वर्ष 2011 के 11,600 करोड़[3] रुपए से बढ़कर वर्ष 2012 में 12,500 करोड़[3] रुपए हुई। वर्ष 2011 में विज्ञापन आय में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(iv) 01 मार्च, 2013 तक एफएम रेडियो क्षेत्र में भी प्रभावशाली वृद्धि दिखाई दी है। सार्वजनिक प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) जिसका 277 स्टेशनों और 432 प्रसारण ट्रांसमीटरों (148 एमडब्ल्यू (मीडियम वेव) हैं), से युक्त नेटवर्क के अलावा 242 निजी एफएम रेडियो स्टेशन प्रचालनरत थे। ऑल इंडिया रेडियो की देश के 91.85 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच है और यह 99.18 प्रतिशत आबादी की सेवा कर रहा है। इसके अलावा, मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए 189 लाइसेंसों में से 148 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत हैं। रेडियो उद्योग, जो कि पूर्णतः विज्ञापन आय पर निर्भर है, ने वर्ष 2012 के दौरान लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उद्योग ने वर्ष 2011 की 1,150 करोड़[3] रुपए की आय की तुलना में वर्ष 2012 में 1,270 करोड़[3] रुपए की आय दर्शाई है। स्थानीय विज्ञापनों का उद्योग की आय में निरंतर सुदृढ़ योगदान रहा और यह उद्योग की आय का लगभग 50 प्रतिशत[3] थी, जबकि श्रेणी–2 और श्रेणी–3 के लिए स्थानीय विज्ञापनों का हिस्सा 75 प्रतिशत[3] के आस–पास था।

(5) पिछले दशक में केबल और सैटेलाइट (सीएण्डएस) टीवी बाजार में उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन आए हैं। डीटीएच उपभोक्ता प्रतिमाह लगभग एक मिलियन की दर से बढ़ रहे हैं। भारत सबसे अधिक डीटीएच उपभोक्ता आधार वाले देश के रूप में उभर रहा है। यह स्पष्ट रूप से डिजिटल एड्रेसेबल प्लेटफार्म की बढ़ रही लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है, जिससे सभी

[3] फिक्की–केपीएमजी रिपोर्ट, 2013 पर आधारित।

[4] स्रोत : एआईआर वेबसाइट – http://allindiaradio.gov.in/default.aspx

हितधारकों को काफी कुछ प्राप्ति होगी। इस तथ्य को स्वीकारते हुए, भादूविप्रा ने सरकार को दी गई अपनी 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशों में केबल टीवी में एड्रेसेबिलिटी के साथ पूर्ण डिजिटाइजेशन किए जाने की सिफारिश की है। इन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा संसद द्वारा केबल टीवी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन शामिल किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में चरणबद्ध रूप से, चार चरणों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली को लागू करने के लिए रोड–मैप निर्धारित करते हुए, अधिसूचना जारी की गई। चार महानगरों को शामिल करने वाले पहले चरण के लिए अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2012 थी और दूसरे चरण जिसमें 10 लाख (एक मिलियन) से अधिक जनसंख्या वाले 38 शहर शामिल थे, के लिए यह 31 मार्च, 2013 थी। तीसरे चरण के लिए अंतिम तिथि सितंबर, 2014 व अंतिम चरण के लिए दिसम्बर, 2014 है। एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन का क्रियान्वयन एक क्रांतिकारी कदम होगा और यह देश में संरचनात्मक तरीके से प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के विकास को गति प्रदान करेगा।

भाग–I

नीतियां तथा कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 वर्ष 2012–13 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर कुल दूरसंचार उपभोक्ता आधार वित्तीय वर्ष 2011–12 के 951.34 मिलियन की तुलना में 898.02 मिलियन था, जो 53.32 मिलियन की गिरावट है। कुल उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व को **तालिका–1** में दर्शाया गया है:–

तालिका–1 : समग्र उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	कुल
कुल उपभोक्ता (मिलियन)	**867.80**	**30.21**	**898.02**
मासिक आधार पर कुल निवल जुड़े नये उपभोक्ता (मिलियन)	6.14	-0.15	6.00
मासिक वृद्धि (प्रतिशत)	0.71%	-0.49%	0.67%
शहरी उपभोक्ता (मिलियन)	**525.30**	**23.50**	**548.80**
मासिक आधार पर कुल निवल जुड़े नये शहरी उपभोक्ता (मिलियन)	4.02	-0.08	3.94
मासिक वृद्धि (प्रतिशत)	0.77%	-0.32%	0.72%
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन)	**342.50**	**6.71**	**349.22**
मासिक आधार पर ग्रामीण उपभोक्ताओं में कुल निवल जुड़े नये उपभोक्ता (मिलियन)	2.13	-0.07	2.06
मासिक वृद्धि (प्रतिशत)	0.63%	-1.07%	0.59%
कुल टेलीघनत्व[1]	**70.85**	**2.47**	**73.32**
शहरी टेलीघनत्व	140.67	6.29	146.96
ग्रामीण टेलीघनत्व	40.23	0.79	41.02
शहरी उपभोक्ताओं का अंश	60.53%	77.78%	61.11%
ग्रामीण उपभोक्ताओं का अंश	39.47%	22.22%	38.89%

[1] टेलीघनत्व के आंकड़े भारत के महापंजीयक एवं भारत का जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रकाशित जनगणना आंकड़ों से लिए गए जनसंख्या अनुमानों पर आधारित हैं।

वायरलैस, वायरलाइन क्षेत्रों में आधार, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन, टेलीघनत्व, इंटरनेट उपभोक्ता, दूरसंचार टैरिफ में प्रवृत्तियां, तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक तथा दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन के विवरण उत्तरवर्ती पैराग्राफ में दिए गए हैं।

(क) वायरलैस

1.1.1 वायरलैस उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर, 919.17 मिलियन उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर 867.80 मिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में 51.37 मिलियन की गिरावट है। वायरलैस कनेक्शनों में गिरावट मुख्य रूप से असक्रिय कनेक्शनों को समाप्त करने के कारण हुई है। विगत छः वर्षों के दौरान वायरलैस उपभोक्ता आधार की स्थिति **चित्र–1** में दर्शाई गई है।

चित्र–1 : वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

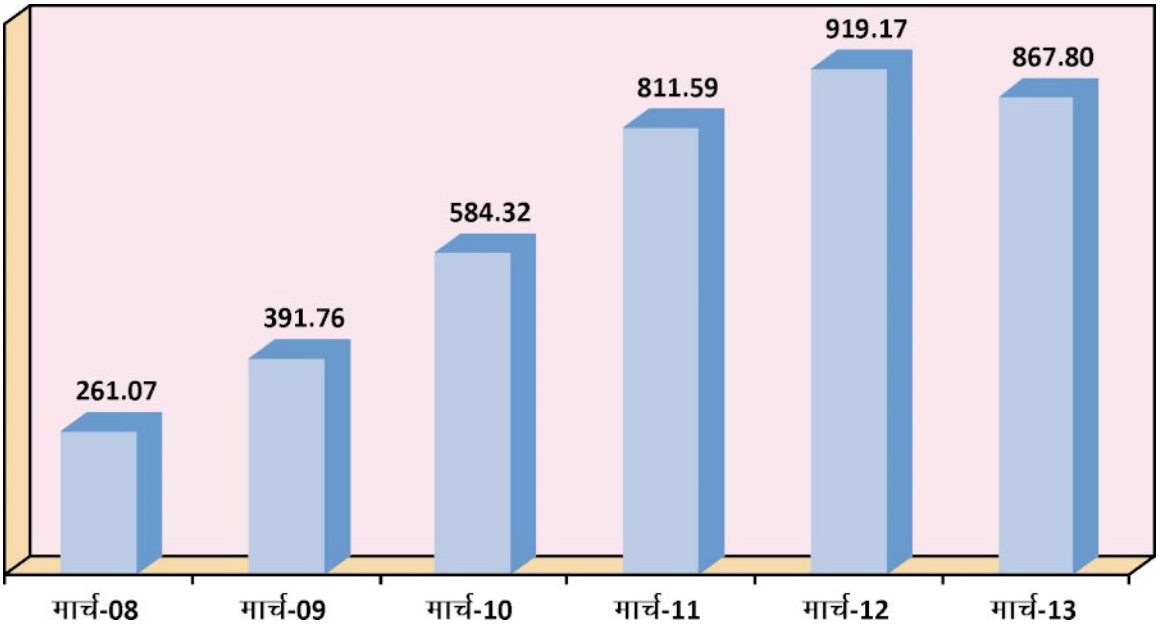

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)

1.1.2 वर्ष के दौरान, 47.82 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा लेने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास पोर्टिंग के लिए आवेदन भेजे हैं। इसके परिणामस्वरूप मार्च, 2012 की समाप्ति पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदनों की संख्या 41.88 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2013 में 89.70 मिलियन हो गई। वर्ष 2012–13 के दौरान सेवा क्षेत्रवार पोर्टिंग आवेदन का विवरण **तालिका–2** में दिया गया है।

तालिका–2 : वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त सेवा क्षेत्र–वार पोर्टिंग आवेदनों की संख्या

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त पोर्टिंग आवेदन संख्या (संख्या लाख में)
आंध्र प्रदेश	41.37
असम	2.33
बिहार	10.27
कर्नाटक	61.96
केरल	16.28
कोलकाता	11.30
मध्य प्रदेश	28.13
पूर्वोत्तर राज्य	1.17
ओडिशा	11.01
तमिलनाडु	27.86
पश्चिम बंगाल	20.16
दिल्ली	12.16
गुजरात	38.30
हिमाचल प्रदेश	1.54
हरियाणा	14.03
जम्मू एवं कश्मीर	0.086
महाराष्ट्र	40.35
मुम्बई	18.71
पंजाब	13.19
राजस्थान	48.40
उत्तर प्रदेश – पूर्व	30.65
उत्तर प्रदेश – पश्चिम	28.95
कुल	**478.21**

(ग) वायरलाइन

1.1.3 वायरलाइन उपभोक्ताओं का उपभोक्ता आधार, 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर 32.17 मिलियन उपभोक्ताओं की तुलना में 31 मार्च, 2013 को 30.21 मिलियन उपभोक्ता था, इसमें वर्ष 2012–13 के दौरान 1.96 मिलियन उपभोक्ताओं की कमी दर्ज की गई। 30.21 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 23.50 मिलियन शहरी वायरलाइन उपभोक्ता और

शेष 6.71 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति को नीचे **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

चित्र–2 : वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

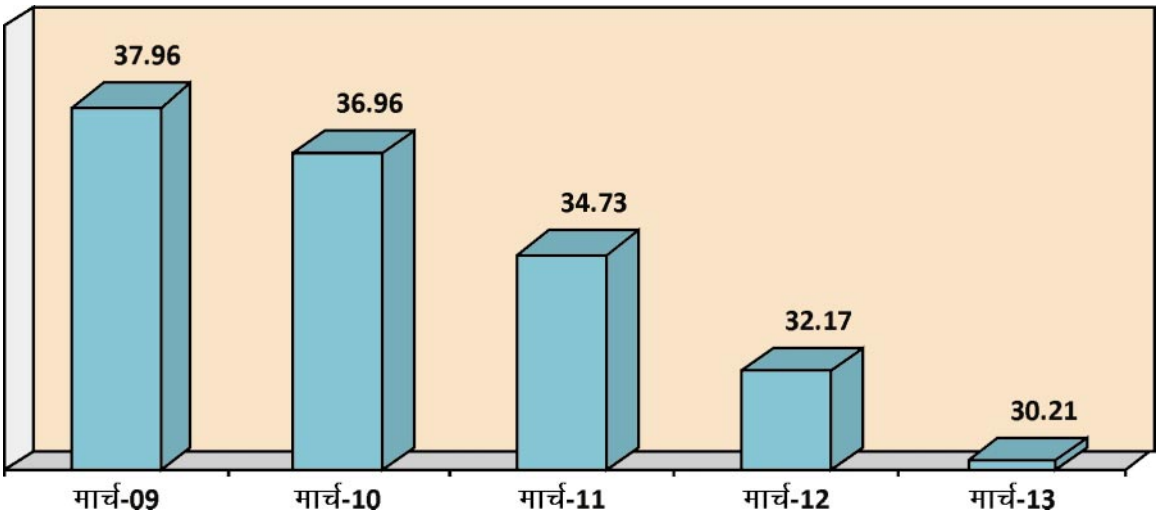

(घ) टेलीघनत्व

1.1.4 मार्च, 2013 के अंत में टेलीघनत्व, पिछले वर्ष की समाप्ति पर 78.66 प्रतिशत की तुलना में 73.32 प्रतिशत रह गया, अर्थात उसमें लगभग 5.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। मार्च, 2008 से टेलीघनत्व की प्रवृत्ति में विकास को नीचे **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

चित्र–3 : टेलीघनत्व में वृद्धि

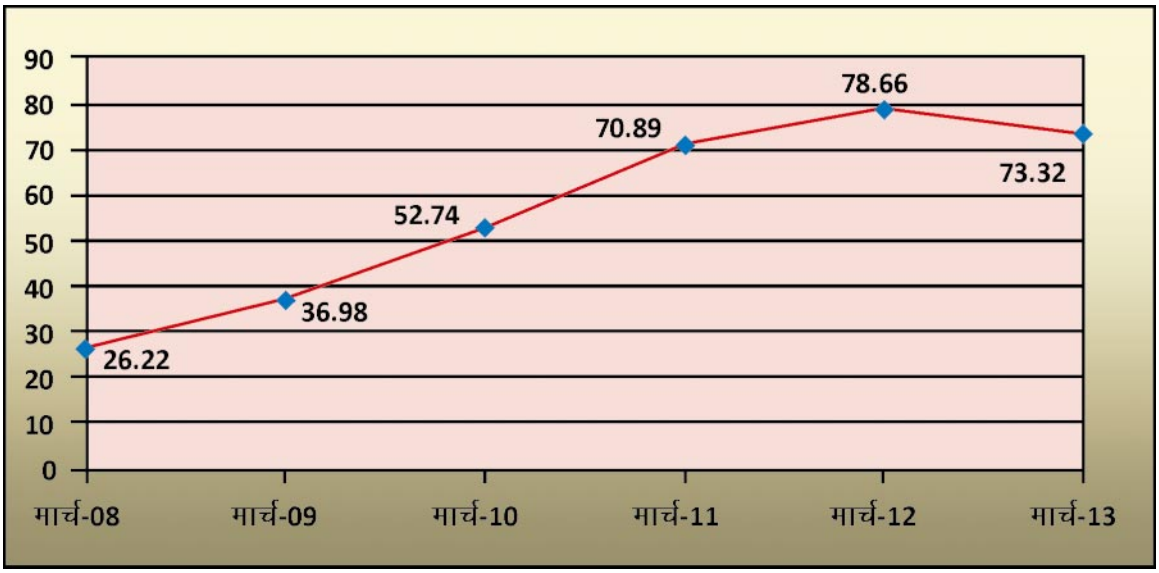

(च) इंटरनेट उपभोक्ता

1.1.5 देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार (वायरलैस फोन उपभोक्ताओं की इंटरनेट सेवा छोड़कर) 31 मार्च, 2012 के 19.51 मिलियन (195,05,916) की तुलना में 31 मार्च, 2013 को 21.61 मिलियन (216,06,681) थी, अर्थात् उसमें लगभग 10.77 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर 15.05 मिलियन (150,50,023) तक पहुंच गई, जबकि 31 मार्च, 2012 को यह 13.81 मिलियन (138,10,362) थी, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान इसमें 1.24 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की निवल वृद्धि हुई, अर्थात वृद्धि दर 8.98 प्रतिशत रही। नैरोबैंड (<256 केबीपीएस स्पीड) एवं ब्रॉडबैंड (>256 केबीपीएस स्पीड) वाले इंटरनेट उपभोक्ता आधार का विगत छह वर्षों का विवरण **चित्र–4** में दर्शाया गया है।

चित्र–4 : इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)

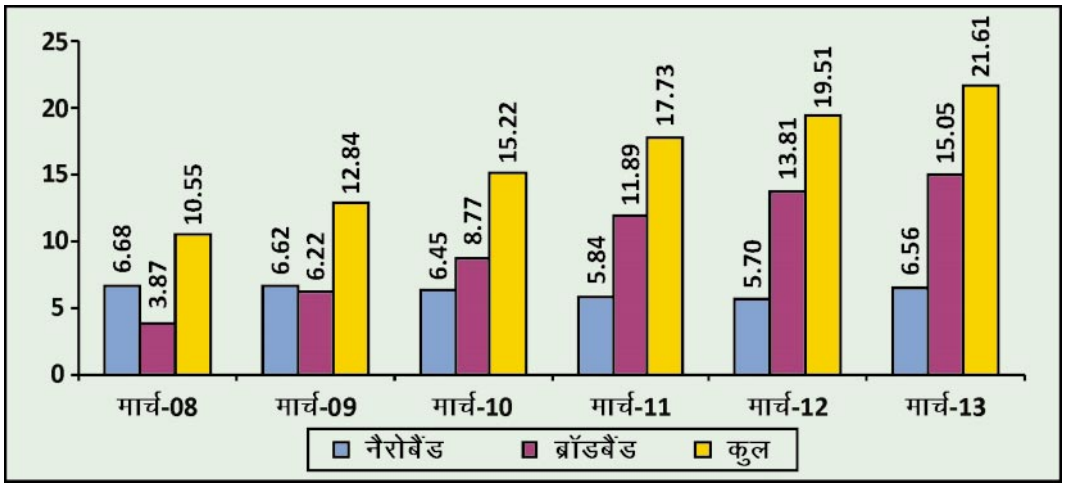

नोट : वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट में मोबाइल फोनों के माध्यम से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सीडीएमए उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया था। अब इन सीडीएमए मोबाइल उपभोक्ताओं को उन उपभोक्ताओं के साथ शामिल किया गया है, जिन्होंने 'मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट' का इस्तेमाल किया।

सेवा प्रदाताओं (यूएएस/सीएमटीएस) से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कुल 143.20 मिलियन (143,200,797) इंटरनेट उपभोक्ता (वायरलैस फोन उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल) थे, जिसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल, क्वाड्रेंट तथा वीडियोकॉन शामिल नहीं थे, क्योंकि उनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई थी। मार्च, 2013 में देश में 164.81 मिलियन (164,807,478) इंटरनेट उपभोक्ता थे, जो वायरलाइन और वायरलैस प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(छ) दूरसंचार प्रशुल्क में प्रवृत्तियां

1.1.6 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपयुक्त विनियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और इसके परिणामस्वरूप सतत् विकास के साथ वहनीय प्रशुल्क प्राप्त करने में सफल रहा है। यह नीति प्रचालकों को

वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने, क्षेत्र में कार्यकुशलता का संवर्धन करने तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में दक्षता बढ़ी है और उपभोक्ता आधार में अत्यधिक वृद्धि तथा प्रशुल्कों में गिरावट से भादूविप्रा के प्रयासों की पुष्टि परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इससे उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रशुल्क नियमित करने के संबंध में उपभोक्ताओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाई है।

ग्रामीण फिक्सडलाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं और लीज्ड सर्किटों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क स्थगन के अधीन हैं। गत वर्षों से दूरसंचार के प्रशुल्कों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। तथापि, हाल ही में अनेक बड़े सेवा प्रदाताओं ने प्रशुल्कों में बढ़ोत्तरी की है, इनमें और अधिक बढ़ोत्तरी करने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने प्रशुल्क स्थगन के वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता के बारे में हितधारकों की राय मांगी। डाटा सेवाओं के लिए एक उपयुक्त प्रशुल्क फ्रेमवर्क के संदर्भ में भी राय ली गई। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान के लिए, वर्तमान प्रशुल्क व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय किया है।

(ज) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक

1.1.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक" पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं तथा सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मापदण्डों के लिए मुख्य मापदण्ड एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट भिन्न हितधारकों, अनुसंधान एजेंसियों तथा विश्लेषकों के लिए एक संदर्भ दस्तोवज के रूप में कार्य करने के लिए दूरसंचार सेवाओं पर व्यापक संदर्श प्रस्तुत करती है। वर्ष 2012–13 के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा चार तिमाही रिपोर्टें जारी की गई है। चार तिमाहियों के लिए मुख्य मापदण्डों को शामिल करने वाला सारांश **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3 : निष्पादन संकेतक

	जून, 2012 को समाप्त तिमाही पर	सित., 2012 को समाप्त तिमाही पर	दिस., 2012 को समाप्त तिमाही पर	मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही पर
दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलैस + वायरलाइन) मिलियन में				
कुल टेलीफोन उपभोक्ता	965.52	937.70	895.51	898.02
शहरी उपभोक्ता	621.76	595.69	556.96	548.80
ग्रामीण उपभोक्ता	343.76	342.01	338.54	349.22
वायरलैस उपभोक्ता	934.09	906.62	864.72	867.80
वायरलाइन उपभोक्ता	31.43	31.08	30.79	30.21

	जून, 2012 को समाप्त तिमाही पर	सित., 2012 को समाप्त तिमाही पर	दिस., 2012 को समाप्त तिमाही पर	मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही पर
टेलीघनत्व				
कुल टेलीघनत्व	79.58	77.04	73.34	73.32
शहरी टेलीघनत्व	169.03	161.13	149.90	146.96
ग्रामीण टेलीघनत्व	40.66	40.36	39.85	41.02
इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)				
कुल इंटरनेट उपभोक्ता (वायरलैस फोन उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को छोड़कर)	19.66	21.25	21.57	21.61*
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	14.57	14.68	14.98	15.05
नैरोबैंड उपभोक्ता	5.09	6.56	6.59	6.56
* वायरलैस फोनों के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता				143.20
दूरसंचार वित्तीय आंकड़े (करोड़ रुपए में)				
तिमाही के दौरान सकल राजस्व	52512	52937	52858	54284
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	35499	35473	34527	35280

(झ) दूरसंचार क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन

1.1.8 वित्तीय सूचना पिछले वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में शामिल 38 कंपनियों के विपरीत 48 दूरसंचार सेवा कंपनियों[2] से संबंधित है। वित्तीय सूचना की बेहतर तुलना के लिए 10 अतिरिक्त कंपनियों के आंकड़ों को पिछले वर्ष के आंकड़ों में भी शामिल किया गया है[3]।

राजस्व

1.1.8.1 दूरसंचार सेवा क्षेत्र का राजस्व[4] 2011–12 के 1,95,442 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012–13 में 2,12,592 करोड़ रुपए हो गया है, जो इसमें 8.77 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। अंतःप्रचालक अंतःसंयोजन प्रभारों के समायोजन के उपरांत राजस्व की तद्नुरूपी राशि 2011–12 में 1,85,930 करोड़ रुपए और 2012–13 में 2,02,074 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.68 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसे **तालिका–4** और प्रमुख दूरसंचार सेवा एक्सेस प्रदाताओं के राजस्व को **चित्र–5** में दर्शाया गया है।

[2] 39 कंपनियों की वित्तीय सूचना लेखापरीक्षित है।

[3] अतः वर्ष 2011-12के वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े, इस रिपोर्ट में उल्लेखित पिछले वर्ष के आंकड़ों से मेल नहीं करते हैं।

[4] सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत किए गए तिमाही रिपोर्टों के अनुसार कुल राजस्व में एक्सेस एवं लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं का राजस्व शामिल है परन्तु उसमें छोटे समेकित आईएसपी, वीसैट आदि शामिल नहीं है।

तालिका–4 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान सार्वजनिक एवं और निजी क्षेत्र में राजस्व का योगदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
दूरसंचार सेवा से प्राप्त राजस्व	29677	161468	191145	29904	146693	176597
कुल राजस्व	31509	170565	202074	32163	153767	185930

[सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को 48 कंपनियों (पिछले वर्ष में 38 कंपनियों) के संबंध में प्रस्तुत लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचना के आधार पर। इसके अलावा, वित्तीय सूचना/अनुपात कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची–4 के आधार पर है और तुलना के लिए यथावश्यक आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण (री–ग्रुपिंग) किया गया है]

चित्र–5 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में प्रमुख दूरसंचार सेवा एक्सेस प्रदाताओं का राजस्व

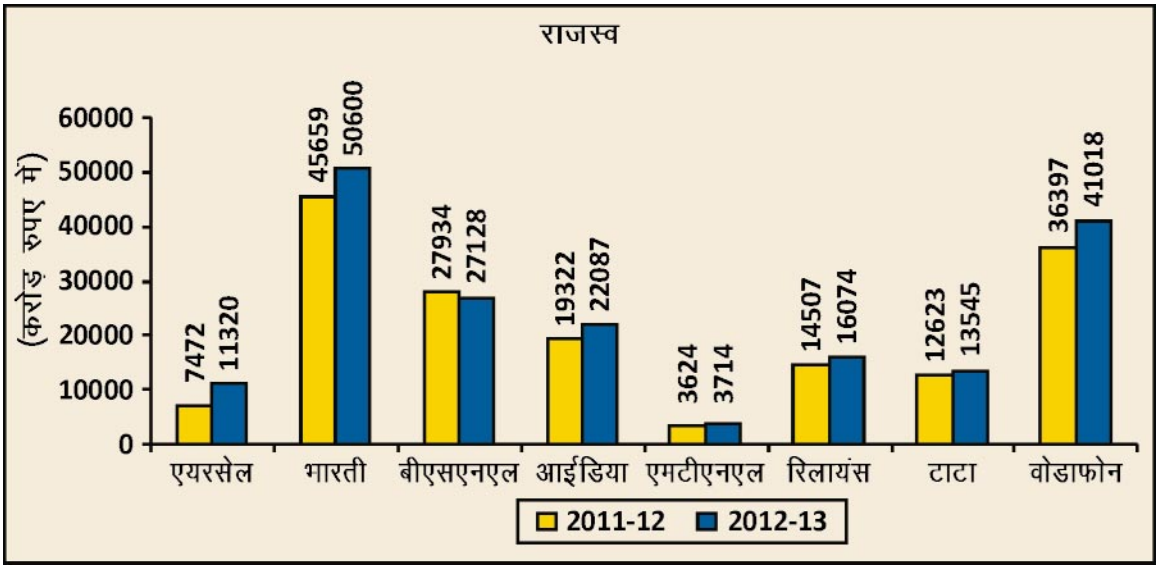

ईबीआईटीडीए

1.1.8.2 ईबीआईटीडीए ब्याज, कर एवं मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व आय को दर्शाता है। 2012–13 के लिए दूरसंचार क्षेत्र का ईबीआईटीडीए 31,132 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2011–12 में यह 25,562 करोड़ रुपए था, इस प्रकार इसमें 21.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2012–13 में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 149.83 प्रतिशत की कमी आई, जबकि निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 24.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2012–13 के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन 15.41 प्रतिशत है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 13.75 प्रतिशत था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ईबीआईटीडीए का उल्लेख **तालिका–5** तथा दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन **चित्र–6** में अंकित किया गया है।

तालिका–5 : 2011–12 और 2012–13 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ईबीआईटीडीए

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
ईबीआईटीडीए	-1370	32502	**31132**	-548	26110	**25562**

चित्र–6 : दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन

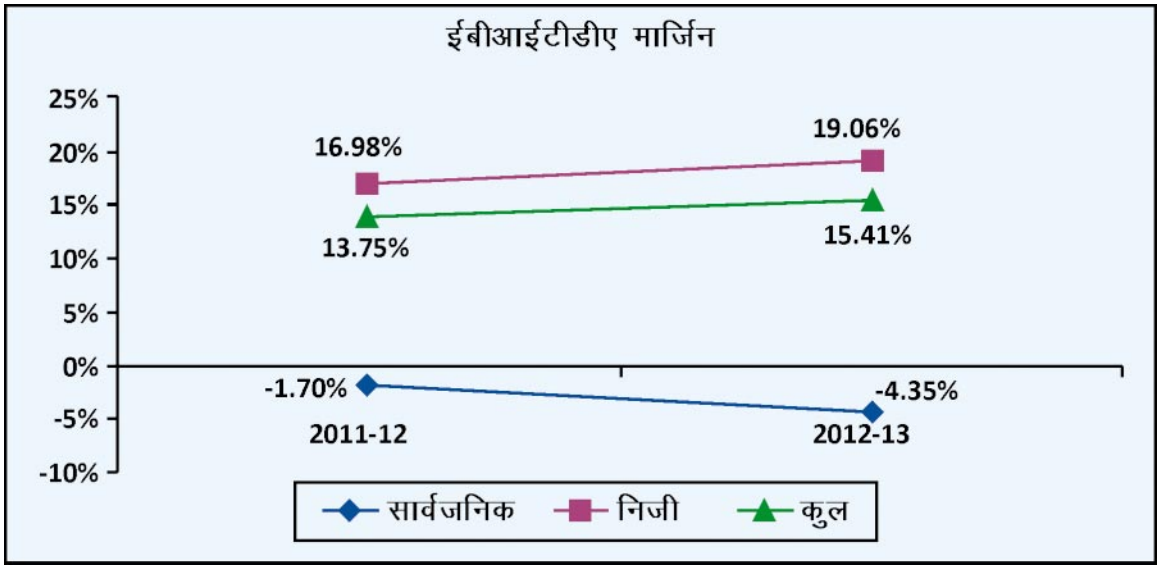

दूरसंचार सेवा क्षेत्र का प्रचालन अनुपात

1.1.8.3 प्रचालन अनुपात, प्रचालन व्यय को कुल राजस्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। दूरसंचार सेवा क्षेत्र के समग्र प्रचालन व्यय अनुपात में 1.66 प्रतिशत कमी हुई है। इसे **तालिका–6** और **चित्र–7** में दर्शाया गया है।

तालिका–6 : क्षेत्रवार प्रचालन व्यय और उसका अनुपात

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
प्रचालन व्यय (करोड़ रुपए में)	32879	138063	170942	32712	127657	160369
प्रचालन व्यय अनुपात (प्रतिशत में)	104.35	80.94	84.59	101.70	83.02	86.25

चित्र–7 : 2011–12 और 2012–13 के लिए प्रचालन अनुपात

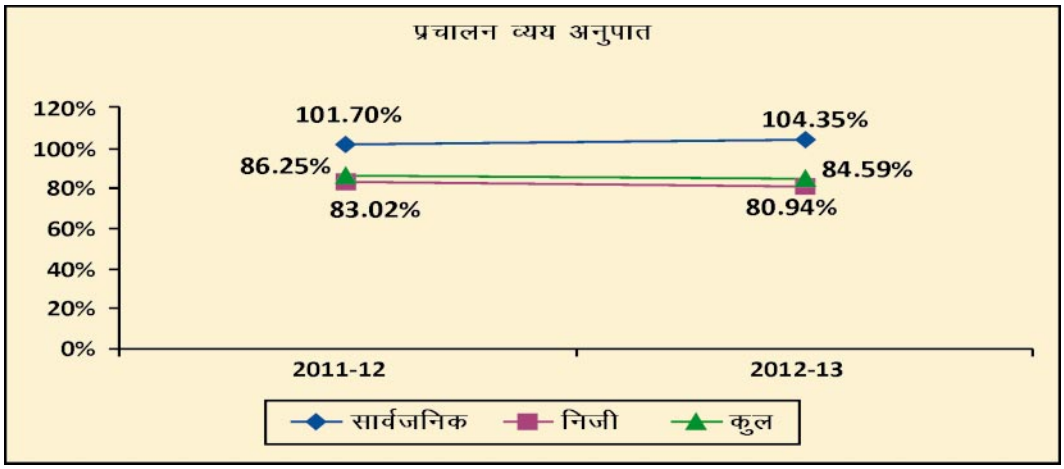

प्रयुक्त पूंजी (सीई)

1.1.8.4 प्रयुक्त पूंजी, व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक धनराशि या व्यवसाय के प्रचालन के लिए उपलब्ध की गई निधियां हैं। दूरसंचार सेवा क्षेत्र की कंपनियों की प्रयुक्त पूंजी में पिछले वर्ष की तुलना में 9.30 प्रतिशत की कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 12.20 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों में 8.31 प्रतिशत की कमी आई है। इसे **तालिका–7** और **चित्र–8** में दर्शाया गया है।

तालिका–7 : वर्ष 2011–12 और 2012–13 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
प्रयुक्त पूंजी	73629	223801	297430	83858	244081	327939

चित्र–8 : दूरसंचार सेवा क्षेत्र की प्रयुक्त पूंजी

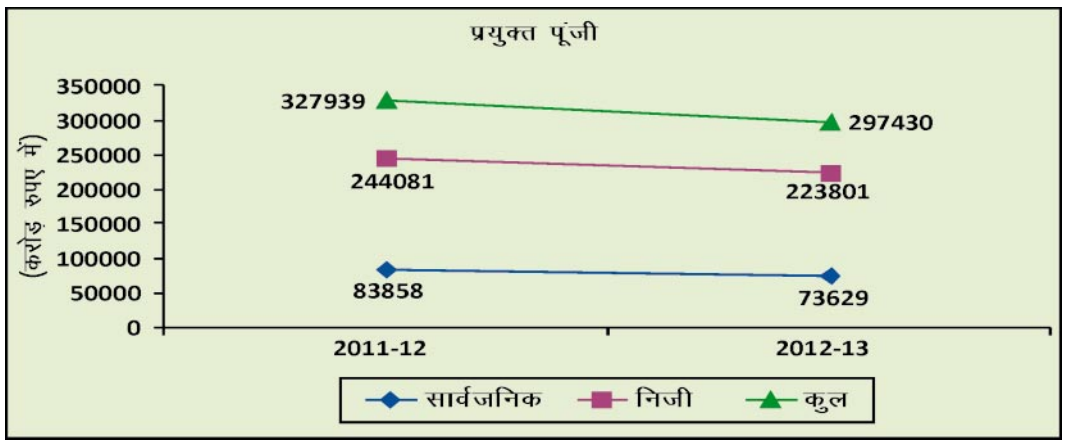

पूंजी–निवेश (सकल खंड)

1.1.8.5 दूरसंचार सेवा क्षेत्र के कुल (सकल खंड) में 5.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1.22 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 8.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे **तालिका–8** और **चित्र–9** में दर्शाया गया है। **प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात को तालिका–9** और **चित्र–10** में दर्शाया गया है।

तालिका–8 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सकल खंड (स्थायी परिसंपत्तियों) में निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
कुल सकल खंड	209482	347019	556501	206951	318613	525564

चित्र–9 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सकल खंड (स्थायी परिसंपत्तियां)

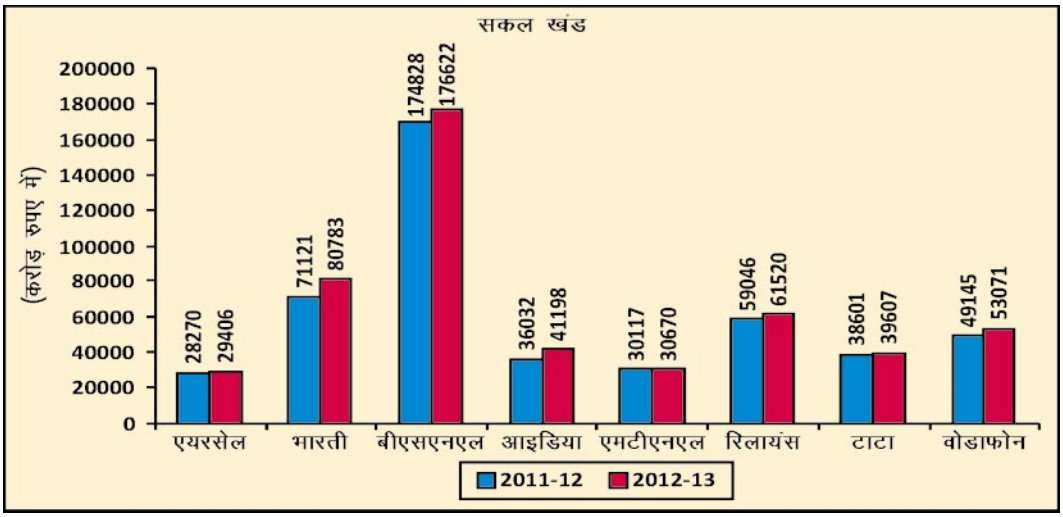

तालिका–9 : प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात

(प्रतिशत में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात* (प्रतिशत में)	40.31	72.15	64.27	35.66	60.10	53.85

(*) दूरसंचार सेवाओं की आय प्रयुक्त पूंजी से विभाजित की गई है।

चित्र–10 : प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात 2011–12 और 2012–13

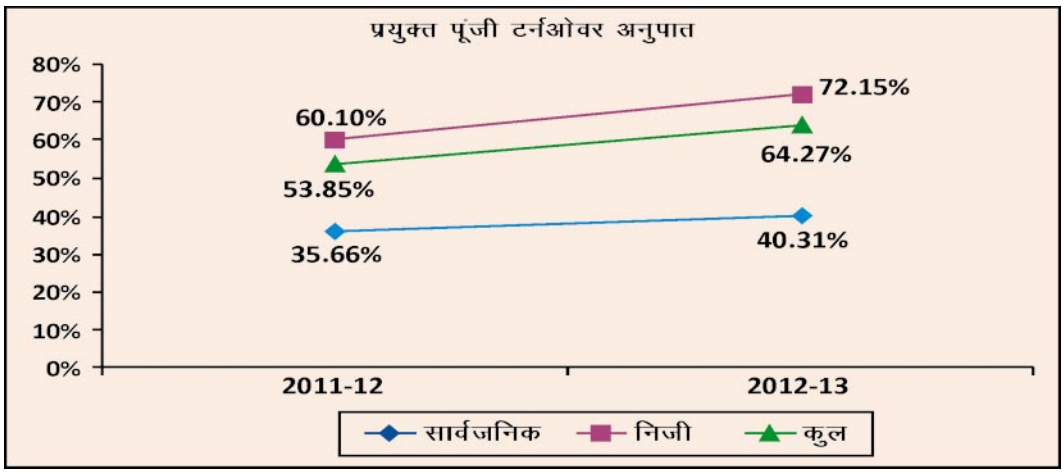

निवल स्थायी परिसम्पत्ति (निवल खंड) टर्नओवर अनुपात

1.1.8.6 स्थायी परिसम्पत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात : दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व/निवल खंड। इसे **तालिका–10** और **चित्र–11** में दर्शाया गया है।

तालिका–10 : स्थायी परिसम्पत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात

(प्रतिशत में)

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
स्थायी परिसंपत्ति (निवल) टर्न ओवर अनुपात (प्रतिशत में)	36.75	76.93	65.76	34.16	70.50	59.74

चित्र–11 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात

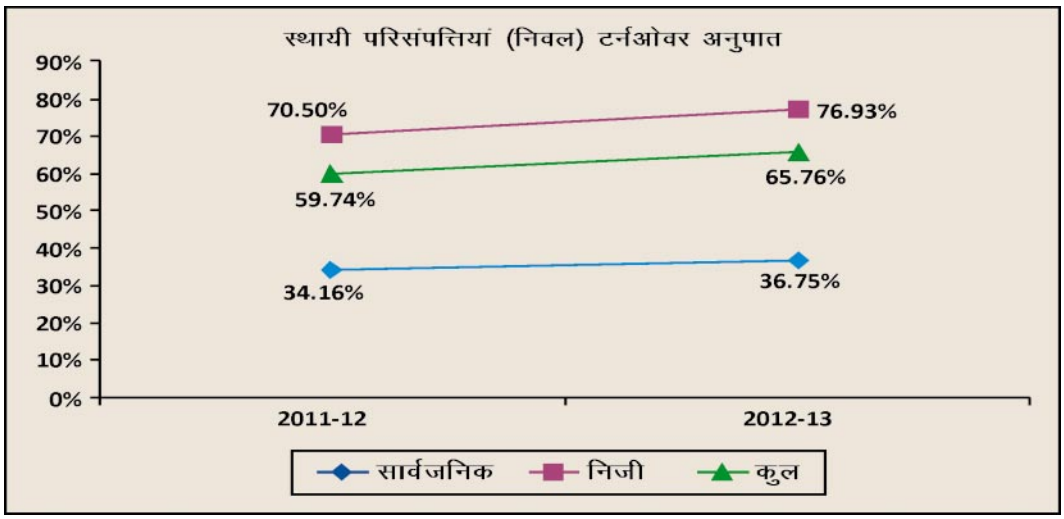

ऋण इक्विटी अनुपात

1.1.8.7 वर्ष 2012–13 में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ऋण इक्विटी अनुपात बढ़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का ऋण इक्विटी अनुपात अधिक है। इसे **तालिका–11** और **चित्र–12** में दर्शाया गया है।

तालिका–11 : क्षेत्रवार ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	2012–13			2011–12		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
ऋण इक्विटी अनुपात* (समय में)	0.26	1.83	1.25	0.17	1.51	1.01

(*) कुल ऋण को प्रयुक्त पूंजी से विभाजित किया गया है (शेयर पूंजी जमा आरक्षित निधि एवं अधिशेष)

चित्र–12 : वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान ऋण इक्विटी अनुपात

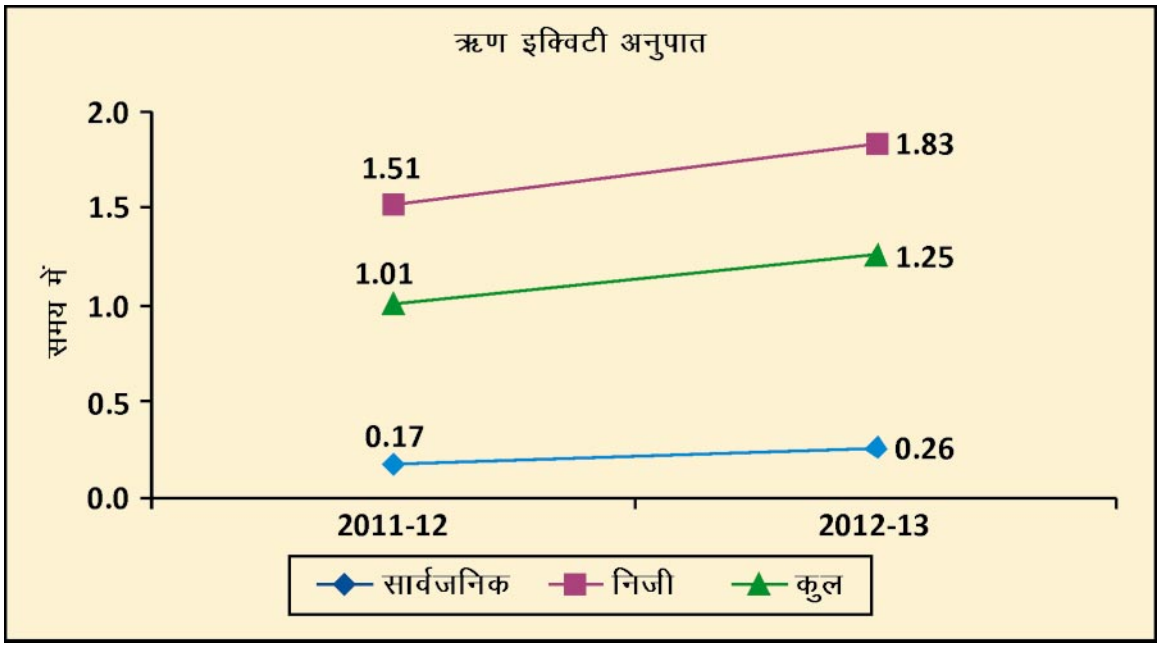

(ख) नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दूरसंचार क्षेत्र (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) निजी क्षेत्र का प्राथमिक एवं मूल्यवर्धित सेवा में प्रवेश, (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुगम्यता और प्रभावी अंतःसंयोजन, (च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन, (ज) सेवा की गुणवत्ता, तथा (झ) सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के संबंध में नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख निम्न प्रकार है:–

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलैस

31 मार्च, 2013 को वायरलैस ग्रामीण {मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एफ)}, बाजार 31 मार्च, 2012 के 323.27 मिलियन की तुलना में, 342.50 मिलियन तक पहुंच गया। सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल उपभोक्ताओं में से 39.47 प्रतिशत उपभोक्ता आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मार्च, 2008 से ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार को **चित्र–13** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–12** और **चित्र–14** में दर्शाया गया है।

चित्र–13 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

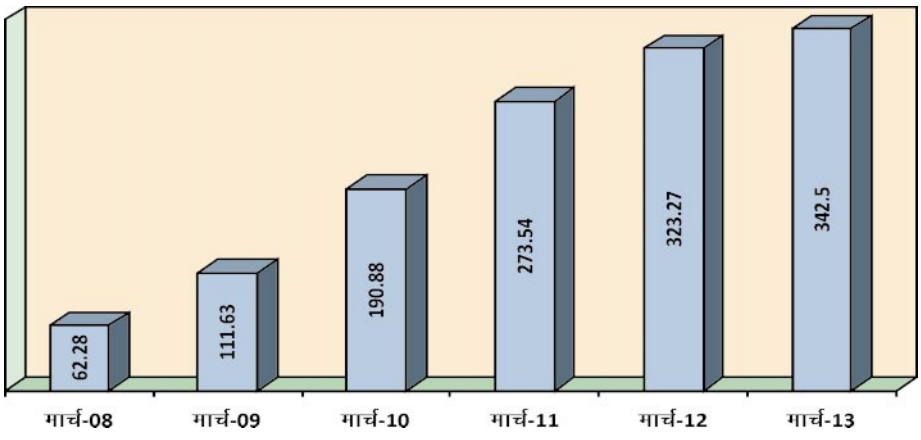

तालिका – 12 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता और बाजार हिस्सा

क्र. स.	वायरलैस समूह	मार्च, 13 की समाप्ति पर कुल वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च,12 की समाप्ति पर कुल वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च, 13 की समाप्ति पर ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च, 12 की समाप्ति पर ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (मार्च, 13 की समाप्ति पर)	ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (मार्च,12 की समाप्ति पर)
1	भारती	188.20	181.28	82.16	75.83	23.99	23.46
2	वोडाफोन	152.35	150.47	82.29	62.84	24.02	19.44
3	रिलायंस	122.97	153.05	29.34	34.02	8.57	10.52
4	आइडिया / स्पाइस	121.61	112.72	65.78	60.51	19.21	18.72
5	बीएसएनएल	101.21	98.51	34.84	34.53	10.17	10.68
6	टाटा	66.42	81.75	13.78	16.70	4.02	5.17
7	एयरसैल	60.07	62.57	22.33	22.54	6.52	6.97
8	यूनीटेक	31.68	42.43	10.04	12.11	2.93	3.75
9	सिस्टेमा	11.91	15.80	1.93	2.61	0.56	0.81
10	एमटीएनएल	5.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11	लूप	3.01	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12	वीडियोकॉन	2.01	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
13	क्वाड्रैंट	1.37	1.33	0.04	0.000	0.01	0.00
14	एस टेल	0.00	3.43	0.00	1.58	0.00	0.49
15	ईटीसलत	0.00	0.782	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**867.80**	**919.17**	**342.50**	**323.27**	**100.00**	**100.00**

चित्र–14 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार के सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

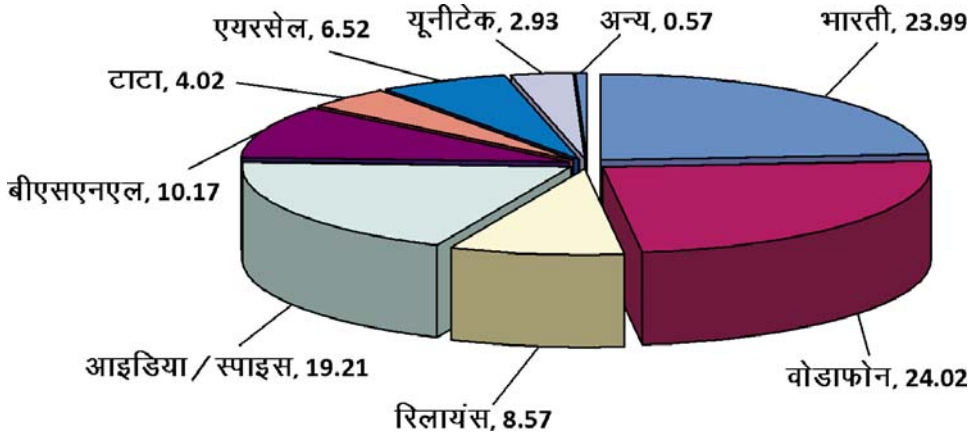

टिप्पणीः अन्य में सिस्टेमा और क्वाड्रेंट शामिल हैं।

1.2.1.2 वायरलाइन

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार में गिरावट हो रही है। 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार 6.71 मिलियन था, जबकि इसकी तुलना में 31, मार्च, 2012 की समाप्ति पर यह 7.55 मिलियन था। सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ता आधार तथा उनकी बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–13** में दर्शाया गया है। पिछली चार तिमाहियों की समाप्ति पर ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र–15** में दर्शाई गई है।

तालिका–13 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	वायरलाइन समूह	कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं में सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)	
		मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 12	मार्च, 13
1	बीएसएनएल	22.47	20.45	7.49	6.65	99.28%	99.13%
2	एमटीएनएल	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	भारती	3.27	3.28	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	रिलायंस	1.27	1.24	0.002	0.002	0.02%	0.03%
5	टाटा	1.44	1.51	0.046	0.05	0.61%	0.71%
6	क्वाड्रैंट (एचएफसीएल)	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7	सिस्टेमा श्याम	0.05	0.05	0.007	0.01	0.09%	0.13%
8	वोडाफोन	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	कुल	**32.17**	**30.21**	**7.55**	**6.71**	**100.00%**	**100.00%**

चित्र–15 : ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता

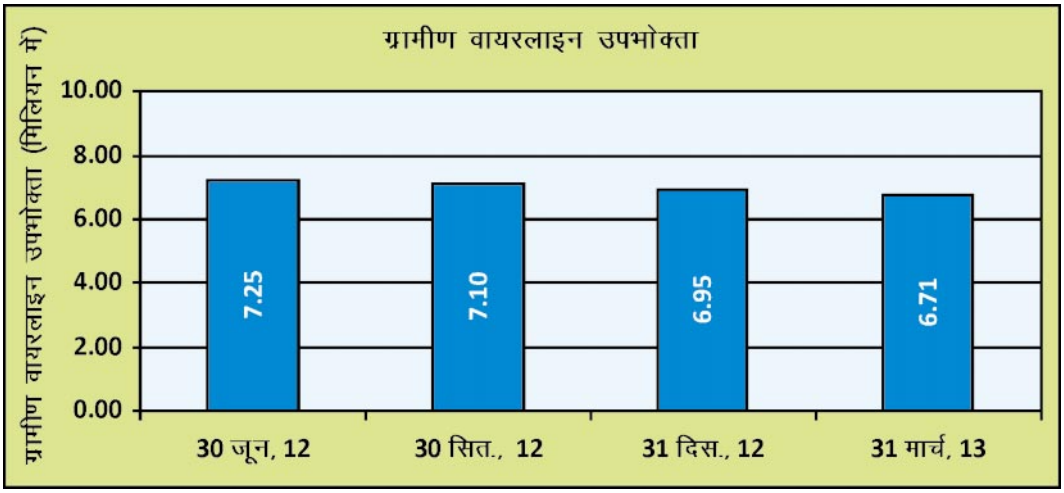

पिछले पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र–16** में दर्शाई गई है।

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

1.2.2.1 वायरलैस सेवाएं

31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर वायरलैस उपभोक्ता आधार 867.80 मिलियन है, जो 31 मार्च, 2012 को 919.17 मिलियन था। इसमें वित्तीय वर्ष 2012–13 में 51.37 मिलियन उपभोक्ताओं की गिरावट हुई। वायरलैस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार मार्च, 2008 में 261.07 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2013 में 867.80 मिलियन हो गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर 867.80 मिलियन उपभोक्ताओं में से 794.03 मिलियन (91.50 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता तथा 73.77 मिलियन (8.50 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च, 2008 से मार्च, 2013 तक के उपभोक्ता आधार की प्रवृत्ति को **चित्र–17** में दर्शाया गया है।

चित्र–16 : ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

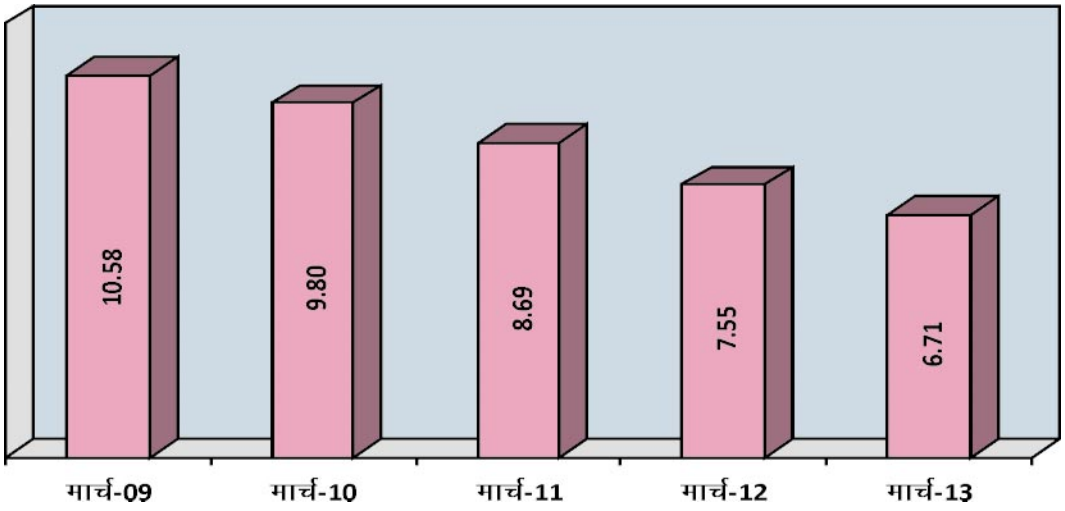

चित्र–17 : 31 मार्च 2013 की समाप्ति पर वायरलैस प्रचालकों का उपभोक्ता आधार (मिलियन में)

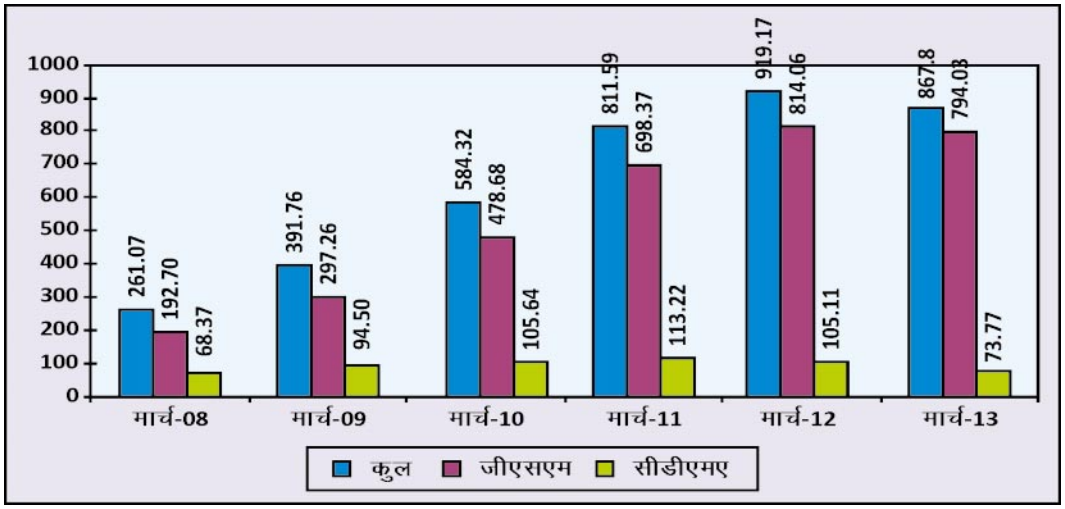

मार्च, 2007–08 से मार्च, 2012–13 तक वैयक्तिक वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए दोनों) का उपभोक्ता आधार तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में उनकी प्रतिशत वृद्धि, रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–1** में दी गई है। 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर विभिन्न मोबाइल प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–18** में दर्शाया गया है। विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची **अनुबंध–2** में दी गई है।

चित्र–18 : 31 मार्च 2013 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी

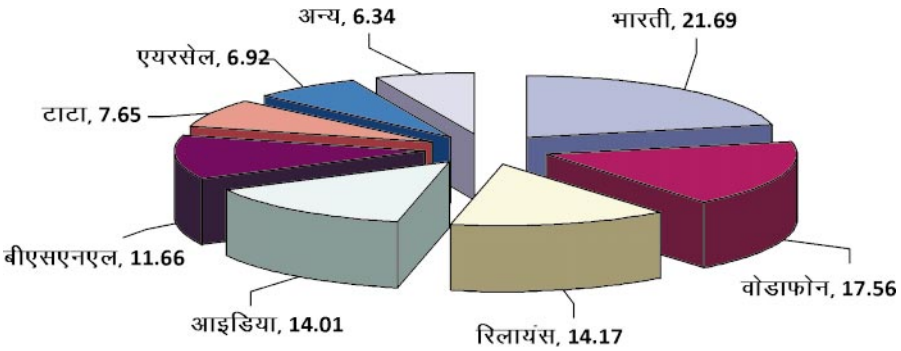

वायरलैस सेगमेंट में जीएसएम सेवाओं का उपभोक्ता आधार, मार्च, 2012 की समाप्ति पर 814.06 मिलियन की तुलना में मार्च, 2013 की समाप्ति पर 794.03 मिलियन था। इसमें वर्ष के दौरान लगभग 20.03 मिलियन उपभोक्ताओं की गिरावट हुई।

जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 188.20 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम प्रचालक बना रहा और उसके पश्चात् 152.35 मिलियन, 121.612 मिलियन तथा 98.50 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान था। 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर विभिन्न जीएसएम प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–19** में दर्शाया गया है।

चित्र–19 : 31 मार्च, 2013 को जीएसएम प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत)

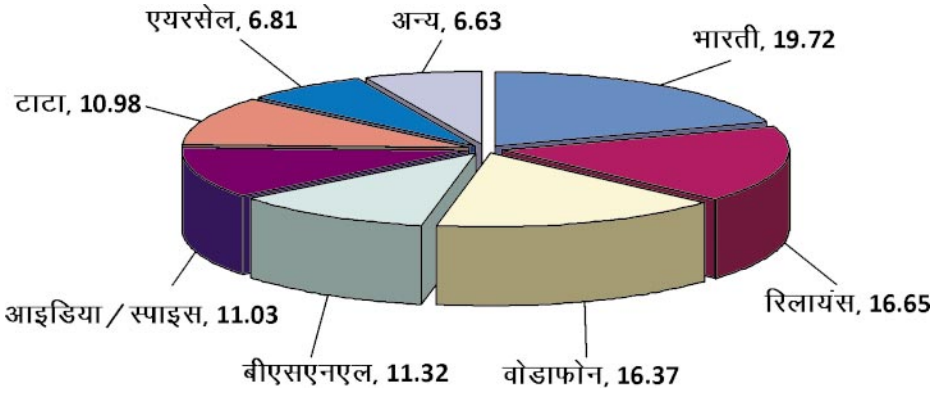

सीडीएमए सेल्युलर सेवाओं में उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में, 38.68 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स रिलायंस सबसे बड़ा सीडीएमए प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात् क्रमशः 20.28 मिलियन तथा 11.91 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा का स्थान है। 31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–20** में दर्शाया गया है।

चित्र–20 : 31 मार्च, 2013 को सीडीएमए प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

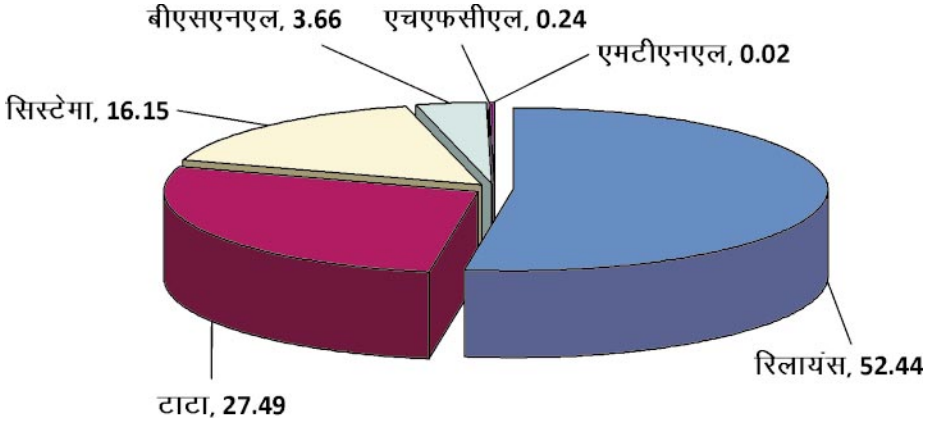

मार्च, 2008 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में सेल्युलर वायरलैस सेवाओं के उपभोक्ता आधार को ग्राफ के रूप में **चित्र–21** में दर्शाया गया है।

चित्र–21 : मार्च, 2008 से मार्च, 2013 तक महानगरों और परिमण्डलों (सर्किल) में वायरलैस सेवाओं का उपभोक्ता आधार (आंकड़े मिलियन में)

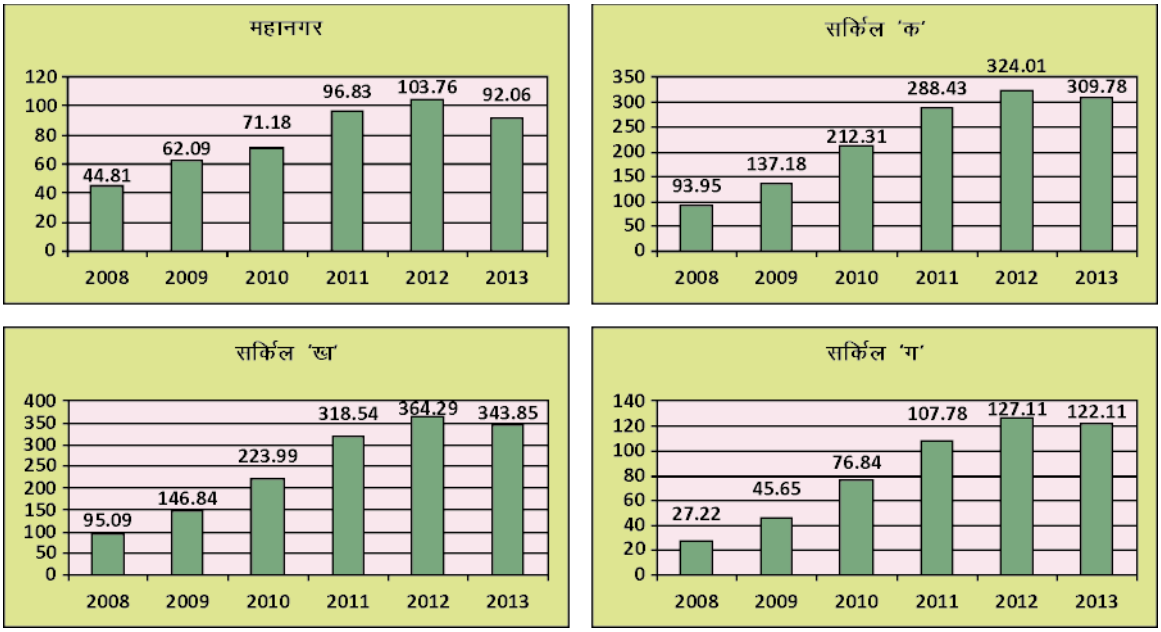

वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान विभिन्न परिमण्डलों (सर्किल) के लिए वायरलैस उपभोक्ताओं में वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दरें, **अनुबंध–3** में दर्शाई गई हैं। वायरलैस सेवाओं के लिए कुल उपभोक्ता आधार में (–) 5.89 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2012–13 के दौरान 'ग' सर्किल में 17.93 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई।

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएं

31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर वायरलाइन का कुल उपभोक्ता आधार 30.21 मिलियन था। वायरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदातावार ब्यौरा **तालिका–14** में दर्शाया गया है। उपभोक्ता आधार में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 67.67 प्रतिशत और 11.45 प्रतिशत है, जबकि अन्य सभी छह निजी प्रचालकों की समेकित हिस्सेदारी 20.88 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी 19.41 प्रतिशत थी, जोकि 31 मार्च, 2013 को बढ़कर 20.88 प्रतिशत हो गई।

सेवा प्रदातावार कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–22** में दर्शाया गया है।

तालिका–14 : 31 मार्च, 2013 को सेवा प्रदातावार वायरलाइन उपभोक्ता आधार का विवरण

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता आधार (वायरलाइन)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में	2,04,46,062
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)	दिल्ली और मुंबई में	34,60,049
3	भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हैक्साकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	32,83,070
4	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर लिमिटेड (पूर्व में एचएफसीएल)	पंजाब	1,87,642
5	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड	राजस्थान	52,474
6	टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	15,05,999

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता आधार (वायरलाइन)
7	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	12,42,626
8	वोडाफोन ग्रुप	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	35,820

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार।

चित्र–22 : 31 मार्च 2013, को वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी

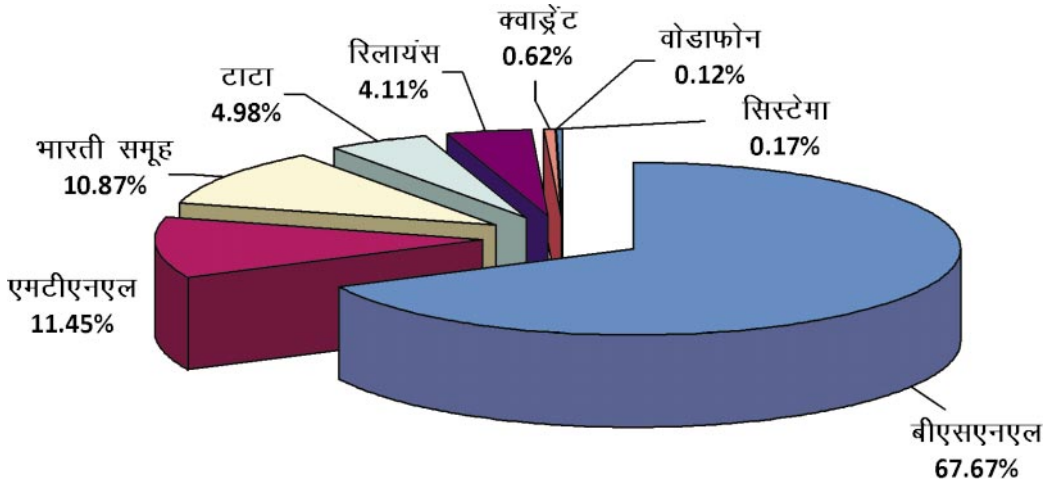

31 मार्च, 2013 को कुल शहरी वायरलाइन उपभोक्ता 23.50 मिलियन थे। शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी चित्र–23 में दर्शाई गई है।

31 मार्च, 2013 को कुल ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता 6.71 मिलियन थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–24** में दर्शाया गया है।

चित्र–23 : 31 मार्च, 2013 को शहरी वायरलाइन उपभोक्ता आधार में सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी

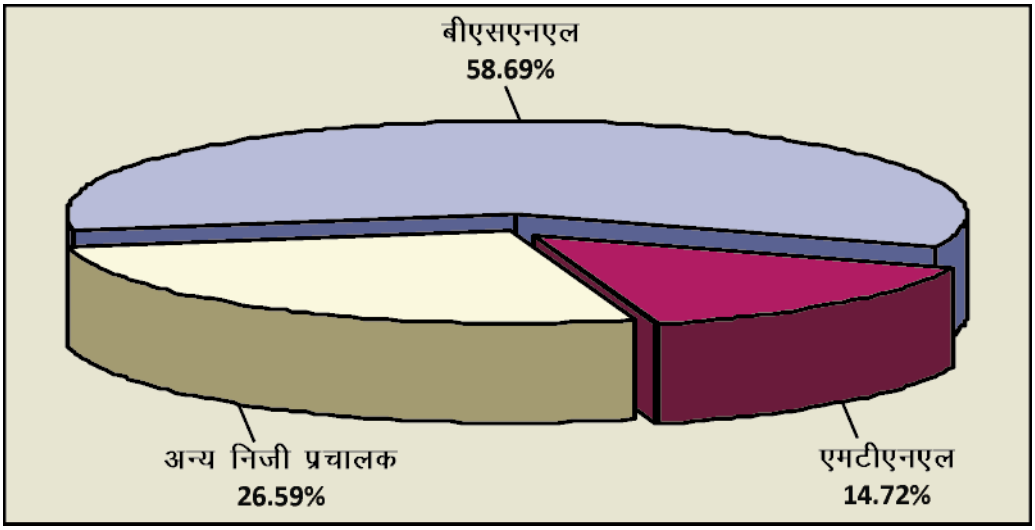

चित्र–24 : ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

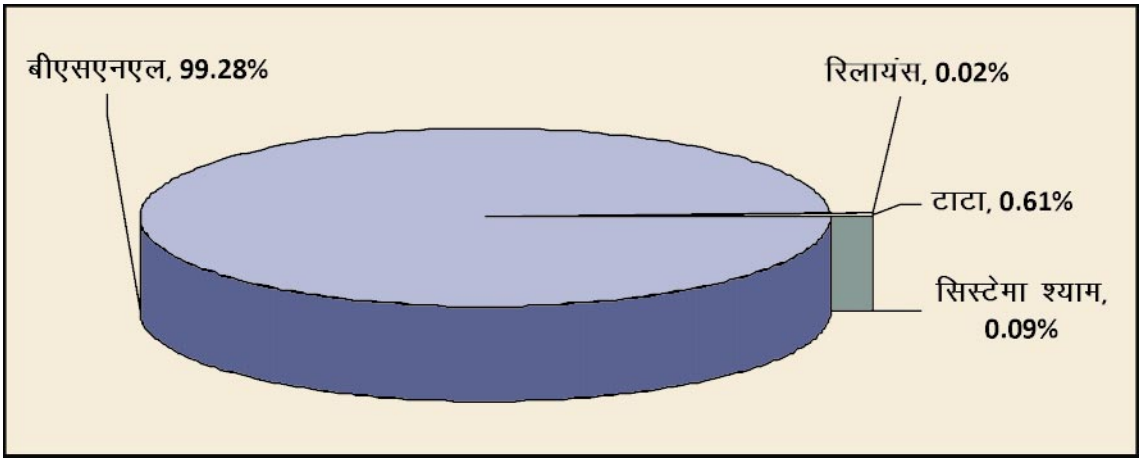

1.2.2.3 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

31 मार्च, 2013 को कुल पब्लिक कॉल आफिसों (पीसीओ) की संख्या 1.26 मिलियन थी, जो 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर 2.01 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका–15** में दर्शाई गई है।

1.2.2.4 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

31 मार्च, 2013 को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की कुल संख्या 5.89 लाख है, जबकि 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर यह संख्या 5.83 लाख थी। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वीपीटी की कुल संख्या को **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका–15 : देश में पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

क्र.सं.	सेवा प्रदाताओं का नाम	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2013 को
1	बीएसएनएल	10,80,316	7,96,171
2	एमटीएनएल	1,58,970	1,50,295
3	निजी प्रचालक	7,66,442	3,15,480
	कुल	**20,05,728**	**12,61,946**

तालिका–16 : भारत में ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी)

क्र.सं.	सेवा प्रदाताओं का नाम	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2013 को
1	बीएसएनएल	5,77,031	5,82,969
2	एमटीएनएल	0	0
3	निजी प्रचालक	6,687	6,662
	कुल	**5,83,718**	**5,89,631**

1.2.2.5 संस्थापित स्विचिंग क्षमता

31 मार्च, 2013 को सेवा प्रदातावार कुल संस्थापित स्विचिंग क्षमता तथा सक्रिय कनेक्शनों की संख्या **तालिका–17** में दी गई है।

1.2.2.6 इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड सेवाएं

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30 जून, 2013 तक इंटरनेट सेवाओं के लिए 392 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करने वाले सेवा प्रदाताओं (एसपी) (वायरलैस फोन उपभोक्ता द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को छोड़कर) की संख्या 185 थी।

31 मार्च, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा निजी क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरनेट उपभोक्ताओं के वितरण को **तालिका–18** में दर्शाया गया है।

तालिका–17 : सेवा प्रदातावार संस्थापित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2013 को	
			संस्थापित क्षमता	सक्रिय कनेक्शन
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में	3,98,58,095	2,04,46,062
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई में	56,51,409	34,60,049

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2013 को	
			संस्थापित क्षमता	सक्रिय कनेक्शन
3	भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हैक्साकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, (चेन्नई सहित) और उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,08,74,000	32,83,070
4	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड	पंजाब	5,48,835	1,87,642
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	26,68,000	12,42,626
6	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड	राजस्थान	2,00,000	52,474
7	टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर राज्य, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) और उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	28,96,207	15,05,999
8	वोडाफोन	आंध्र प्रदेश, चेन्नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान	1,80,000	35,820

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार।

तालिका–18 : 31 मार्च, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाता	150,85,830
निजी क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाता	65,20,851
कुल	**216,06,681**

31 मार्च, 2013 को उपभोक्ता आधार के अनुसार शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बाजार हिस्सेदारी (वायरलैस फोन उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट को छोड़कर) को **तालिका–19** में दर्शाया गया है।

1.2.2.7 इंटरनेट टेलीफोनी

अगस्त, 2007 में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा इंटरनेट सेवाओं का संचालन करने के लिए जारी नए दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी और इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं (आईटीएसपी) की अलग श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में 32 इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–20** में दी गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान (2012–13) इंटरनेट टेलीफोनी का उपयोग कुल 249.57 मिलियन मिनटों के लिए किया गया।

तालिका–19 : 31 मार्च, 2013 को उपभोक्ता आधार के अनुसार शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	इंटरनेट सेवा प्रदाता का नाम	कुल इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)	बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	13.12	60.74%
2.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2.49	11.53%
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1.96	9.06%
4.	भारती एयरटेल लिमिटेड	1.40	6.47%
5.	हैथवे केबल एवं डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड	0.37	1.69%

तालिका–20 : इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम
1	अलायन्स ब्राडबैंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड।
2	अपना टेलीलिंक लिमिटेड।
3	एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड।
4	भारत संचार निगम लिमिटेड।
5	ब्लेजनेट लिमिटेड।
6	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज़ लिमिटेड।
7	सिटीकाम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।
8	कोर्डिया एलटी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड।
9	डाटा इंफोसिस लिमिटेड।
10	डेल डीएसएल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड।
11	डिजिटल2वर्चुअल आईएसपी प्राइवेट लिमिटेड।
12	डिशनेट वायरलैस लिमिटेड।
13	इंड्सस्निड मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड(इन2केबल (आई) लिमिटेड)।
14	करूतुरी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (इस्टेल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड)।
15	मनीपाल ईकॉमर्स लिमिटेड।
16	माई ओन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड।
17	नेटलिनक्स लिमिटेड।
18	नोवानेट लिमिटेड।
19	ओप्टो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।
20	ओरटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड।
21	पाइपटेल कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड।
22	पल्स टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड।
23	क्यूबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड।
24	सिफी टेक्नालॉजीज़ लिमिटेड।
25	स्विफ्टमेल कम्युनिकेशंस लिमिटेड।
26	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड।
27	टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड।
28	ट्रिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
29	ट्यूलिप टेलिकॉम लिमिटेड (ट्यूलिप आईटी सर्विसेस लिमिटेड)।
30	वीवा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (मिलेई कारपागमबल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड)।
31	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड।
32	यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.3 प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में आशानुरूप प्रगति की है। इस क्षेत्र के अंतर्गत एनालॉग और डिजीटल केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, स्थलीय (टेरिस्ट्रियल) टीवी सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और रेडियो सेवाएं आती हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख घटक पे–टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसका उद्भव 1990 के प्रारंभ में हुआ था और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिला, जिससे इसके उपभोक्ताओं की संख्या 1992 में मात्र 410,000 से बढ़कर मार्च, 2013 में लगभग 153 मिलियन (केबल + डीटीएच़ + अन्य प्लेटफार्म) हो गई, इस प्रकार इसमें पिछले 20 सालों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 34 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हुई। एफएम रेडियो सेवाओं एवं स्थलीय टीवी सेवाओं में भी निरंतर प्रगति व विकास हुआ है। उपभोक्ता आधार में विस्तार के अनुरूप सेवा प्रदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की प्रगति व विकास की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

1.3.1 सैटेलाइट टीवी चैनल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान सैटेलाइट चैनलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। **चित्र–25**, देश में टेलीविजन चैनलों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि को दर्शाता है। स्टैन्डर्ड डेफिनेशन टीवी चैनलों के अलावा पिछले 3 वर्षों में प्रसारको द्वारा बड़े पैमाने पर हाई डेफिनेशन (एचडी) चैनल शुरू किए गए हैं। **चित्र संख्या–26,** वर्ष 2010 से 2012 के दौरान एचडी चैनलों की संख्या, उनके आरंभ होने की तारीखों के अनुसार, हुई वृद्धि को दर्शाता हैं। भारत में कुल 31 एचडी चैनल प्रचालन में हैं। रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–4** में चैनलों की सूची दी गई है।

चित्र–25 : भारत में वर्ष–वार टेलीविजन चैनलों की संख्या में वृद्धि

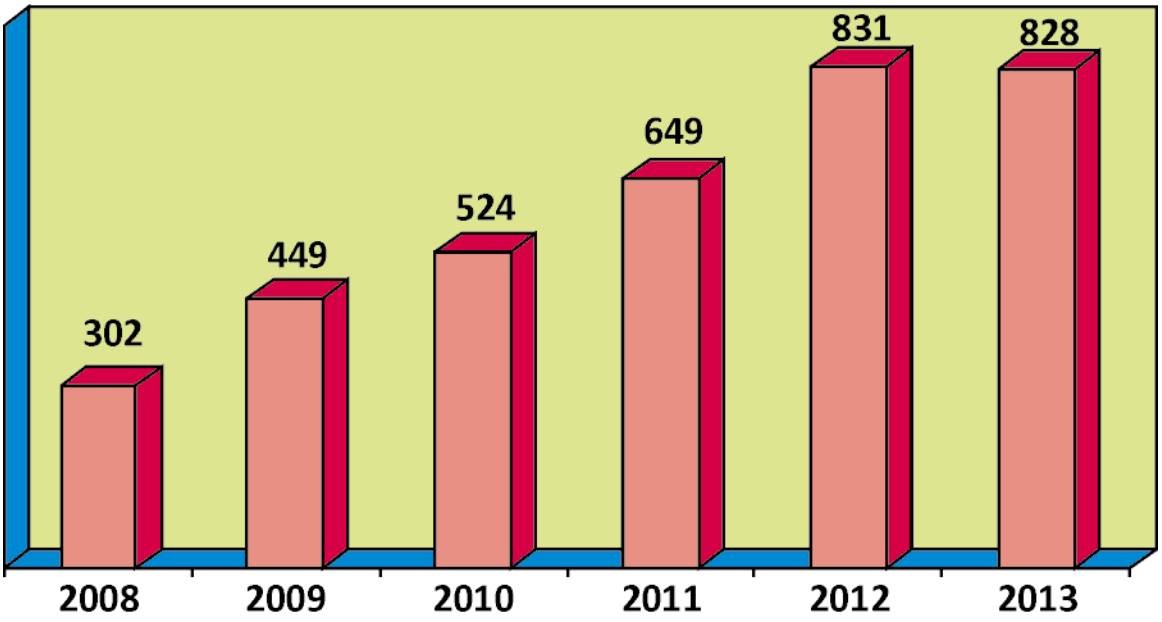

स्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट।

चित्र–26 : भारत में एचडी चैनलों की संख्या

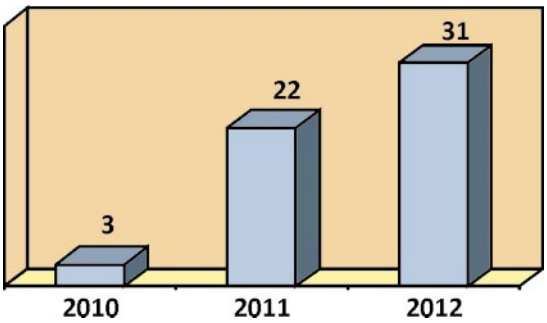

एचडी चैनलों के अलावा, भारत में विज्ञापन मुक्त चैनल भी शुरू किए जा रहे हैं।

1.3.2 डीटीएच सेवाएं

भारत में 2003 में इसकी शुरूआत के बाद से डीटीएच सेवाओं में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है और हर महीने इस क्षेत्र में एक मिलियन नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मार्च, 2013 तक पे–डीटीएच सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 56.48 मिलियन हो गई है। छह पे–डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा डीटीएच सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस आंकड़े में दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सेवाओं को देखने वाले दर्शक शामिल नहीं हैं। उपभोक्ता आधार के संदर्भ में, इस क्षेत्र के विकास को **चित्र–27** में दर्शाया गया है।

विगत वर्षों में, न केवल परंपरागत टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि डीटीएच सेवा प्रदाताओं ने अपनी सेवाओं में अनेक नई सेवाएं जोड़ी हैं, जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस), मूवी–ऑन डिमांड सहित इंटरएक्टिव सेवाएं, गेमिंग, शॉपिंग इत्यादि।

चित्र–27 : डीटीएच पंजीकृत उपभोक्ता आधार

(आंकड़े मिलियन में)

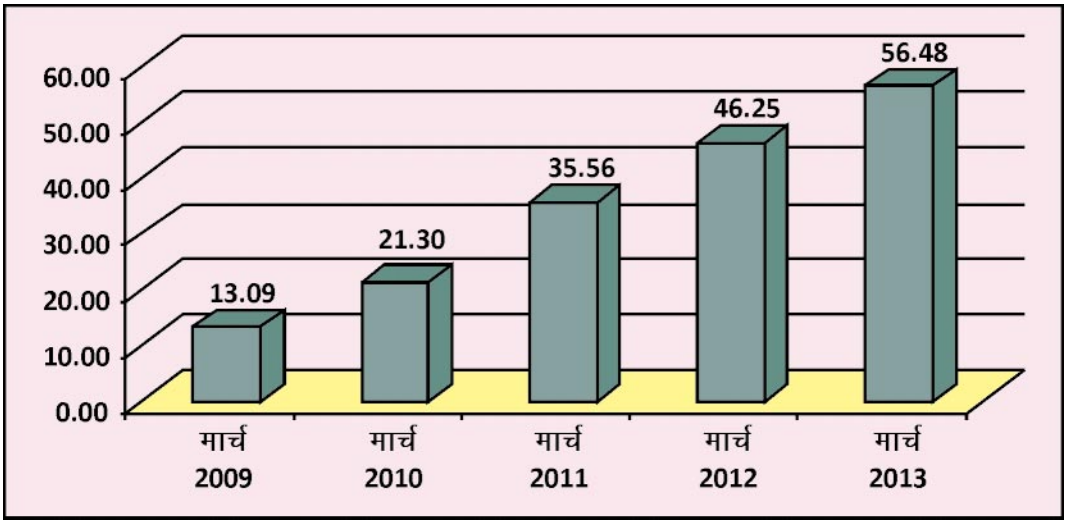

1.3.3 केबल टीवी सेवाएं

केबल टीवी सेवा क्षेत्र, सबसे बड़ा पे टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसके अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 97 मिलियन है। पिछले दशक में उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में, केबल टीवी क्षेत्र के विकास को **चित्र–28** में दर्शाया गया है।

1.3.4 डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस)

विगत कुछ वर्षों में, टीवी चैनलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा एनालॉग केबल टीवी प्रणाली की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण केबल टीवी क्षेत्र में दक्षता अवरोधों एवं नेटवर्क की गैर–एड्रेसेबल प्रकृति के कारण कई

चित्र–28 : केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि (मिलियन में)

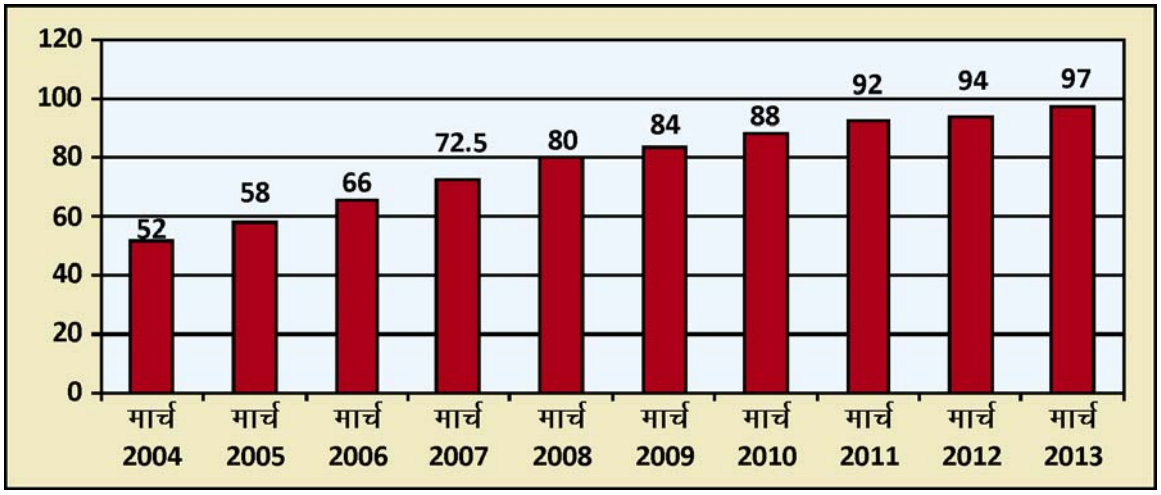

स्रोतः एमपीए रिपोर्ट, 2012 के अनुसार।

चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। प्रौद्योगिकी उद्भवन ने केबल टीवी क्षेत्र में डिजिटलीकरण के साथ–साथ एड्रेसेबिलिटी लाने का पथ प्रशस्त किया। तदनुसार, इस विषय का काफी कुछ अध्ययन करने तथा सार्वजनिक परामर्श लेने के उपरांत प्राधिकरण ने दिनांक 05 अगस्त, 2010 को पूरे देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) का कार्यान्वयन करने की सिफारिश की और इसे प्राप्त करने के लिए रोड मैप भी दिया।

सरकार ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया, जिससे भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम क्रियान्वित करने का पथ प्रशस्त हुआ। तत्पश्चात, सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को एक अधिसूचना भी जारी की, जिसमें एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली को अक्तूबर[5], 2012 से दिसम्बर, 2014 तक चरणबद्ध तरीके से चार चरणों में क्रियान्वित करने का रोड मैप निर्धारित किया गया था। 25 अक्तूबर, 2011 का अध्यादेश, बाद में दिसम्बर, 2011 को अधिनियम बन गया।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 तथा दिनांक 11.11.2011 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्शी प्रक्रिया शुरू की। तत्पश्चात, भादूविप्रा ने डिजिटल ऐड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टमों के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को टैरिफ आदेश एवं अंतःसंयोजन विनियम तथा दिनांक 14 मई, 2012 को क्यूओएस विनियम एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम अधिसूचित किया।

देश में डीएएस का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है। पहले चरण में कार्य निर्धारित तारीख 31 अक्तूबर, 2012 से पहले पूरा किया जाना था, जिसमें महानगर शामिल थे और दूसरे चरण का कार्य 31 मार्च, 2013 तक पूरा किया जाना था, जिसके अंतर्गत एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 38 शहर शामिल थे। विभिन्न एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार चार महानगरों, अर्थात दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई को शामिल करते हुए डीएएस कार्यान्वयन के पहले चरण में 85 लाख एसटीबी स्थापित किए गए हैं। डीएएस के कार्यान्वयन के दूसरे चरण में, 38 शहरों को शामिल करते हुए मार्च 2013 की समाप्ति पर लगभग 120 लाख एसटीबी स्थापित किए गए हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आकड़ों के अनुसार, डीएएस के कार्यान्वयन के पहले चरण के अंतर्गत शामिल चार महानगरों में से तीन महानगरों में, अर्थात दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में केबल टीवी प्रणाली का शत–प्रतिशत (100 प्रतिशत) डिजीटाइजेशन कर लिया

5 केन्द्र सरकार ने दिनांक 21 जून, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से 30 जून, 2012 की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2012 कर दिया था।

गया है। चेन्नई में लगभग 86 प्रतिशत टीवी वाले घरों का डिजीटाइजेशन हो चुका है।

डीएएस कार्यान्वयन के दूसरे चरण के अंतर्गत शामिल 38 शहरों में से 35 शहरों में 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन हो चुका है। शेष तीन शहरों में, अर्थात कोयम्बटूर, श्रीनगर तथा विशाखापत्तनम में 41 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच डिजीटाइजेशन हो चुका है।

एनालॉग केबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए अंतिम तिथि दिसम्बर, 2014 है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में कुल केबल टीवी वाले घरों में से लगभग 75 प्रतिशत घरों को डीएएस के कार्यान्वयन के तीसरे एवं चौथे चरण में शामिल कर लिया जाएगा।

1.3.5 रेडियो

रेडियो अपने व्यापक प्रसार, टर्मिनल पोर्टेबिलिटी, कम स्थापना खर्च और वहनीयता के कारण जन संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। भारत में रेडियो कवरेज शार्ट–वेव (एसडब्ल्यू), मीडियम वेव (एमडब्ल्यू) और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण को इसकी बहुआयामी लोकप्रियता के कारण मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन माना जाता है। मार्च, 2013 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के अतिरिक्त, 242 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के पास 277 केन्द्रों, 432 प्रसारण ट्रांसमीटरों [148 एमडब्ल्यू(मीडियम वेव), 236 एफएम (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन) और 48 एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव) केन्द्रों का नेटवर्क है] ।

एफएम सेवाओं का और अधिक शहरों, खासकर जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्विपीय भू–भागों में विस्तार करने तथा कुछ अन्य मुद्दों का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एफएम रेडियो का प्रसारण प्राइवेट एजेसियों के जरिए करने के लिए 25 जुलाई, 2011 को विस्तार के तृतीय चरण के संबंध में समेकित नीति दिशानिर्देश जारी किए। चरण–3 का आशय 839 नए एफएम रेडियो स्टेशन खोलकर 294 शहरों तक एफएम रेडियो की पहुंच बनाना और एफएम रेडियो स्टेशनों की क्षेत्रीय वृद्धि को बढ़ाना है। ऐसी आशा है कि चरण–3 के बाद एफएम रेडियो देश के भू–भाग के लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र को कवर कर लेगा। एफएम रेडियो में निजी प्रसारकों को शामिल करने से इसके कवरेज में विस्तार करने तथा रेडियो श्रोताओं को अच्छी गुणवत्ता की कवरेज उपलब्ध कराने में काफी योगदान मिला है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला तथा इससे विभिन्न शहरों में रोजगार के अवसर सृजित हुए। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की वर्ष–वार वृद्धि को **चित्र–29** तथा विज्ञापन राजस्व (237 स्टेशनों के भादूविप्रा के रिकार्डर्स के अनुसार) की तिमाही वृद्धि को **चित्र–30** में दर्शाया गया है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुलने से देश में रेडियो क्षेत्र में एक अन्य विस्तार हुआ।

चित्र–29 :प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

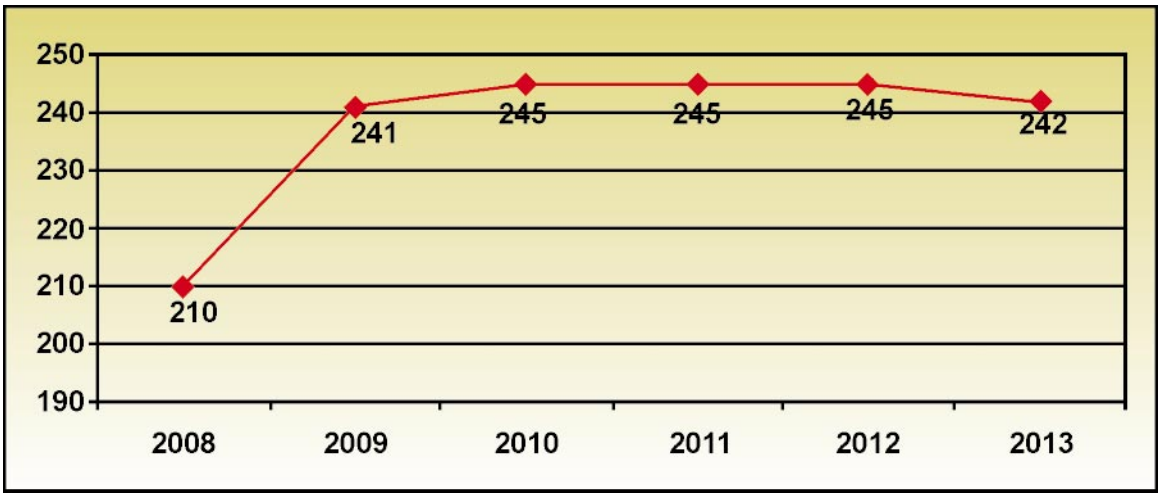

स्रोतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

देश के विस्तृत भू–भाग, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों और विविध सामाजिक स्तरविन्यास के कारण भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की भारी संभावना है। सामुदायिक रेडियो प्रसारण, आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं और स्थानीय भावनाओं को मूर्त रूप देने पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से छोटे–छोटे समुदायों की नेटवर्किंग करने के उद्देश्य को पूरा करता है। देश के विस्तृत भू–भाग, विविध भाषाओं, संस्कृतियों एवं सामाजिक स्तरविन्यास के कारण सामुदायिक रेडियो सेवा एक प्रभावी तंत्र बन गया है। सीआरएस की स्थापना विभिन्न शैक्षिक संस्थानों तथा सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके की जाती है। मार्च, 2013 की समाप्ति पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना

चित्र–30 : एफएम रेडियो क्षेत्र में विज्ञापन से राजस्व (करोड़ रुपए में) (तिमाही–वार)

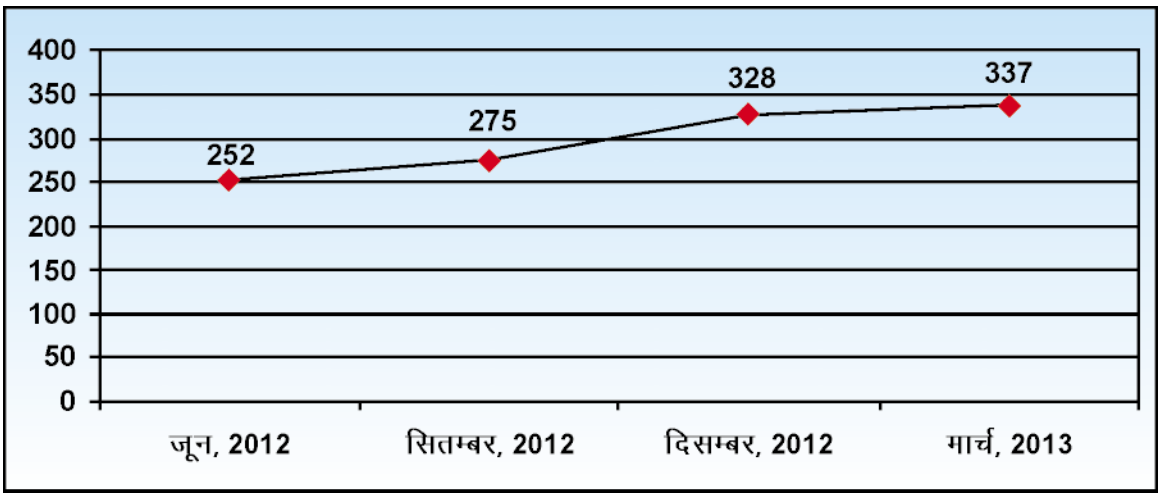

करने के लिए जारी किए गए 189 लाइसेंसों में से 148 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की वर्षवार वृद्धि **चित्र–31** में दर्शाई गई है।

1.3.6 टेलीपोर्ट्स

टेलीपोर्ट्स पूरी दुनिया में टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर कंटेंट होस्टिंग और वितरण एवं नेटवर्क प्रबंधन तक के सिस्टम इंटीग्रेशन में आने वाली जटिल समस्याओं के समाधान प्रदाता के रूप में उभरकर आए हैं। भारत में उदार अपलिंकिंग दिशानिर्देशों सहित प्रचालन की कम लागत एवं कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप दूसरे देशों को भारत से जोड़ने के लिए चैनलों में व्यापक बदलाव आया है। यदि भारत "टेलीपोर्ट्स हब" के रूप में विकसित हो जाता है, तो ऐसे चैनल भी भारत में आ जाएंगे जो भारत में डाउनलिंकिंग के लिए नहीं हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और राजस्व की आय में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी मुद्रा भी अधिक मात्रा में भारत आने लगेगी। तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक स्थल के मद्देनजर भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में टीवी चैनल दिखाने के लिए टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग सुविधाएं मुहैया करा सकता है। भादूविप्रा, ने इस अवसर की पहचान करके "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से जुड़ी समस्याओं" पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में सरकार को भारत को टेलीपोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।

पिछले चार वर्षों में, भारत में अनुमेय टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि को **चित्र–32** में दर्शाया गया है और सूचना

चित्र–31 : देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या

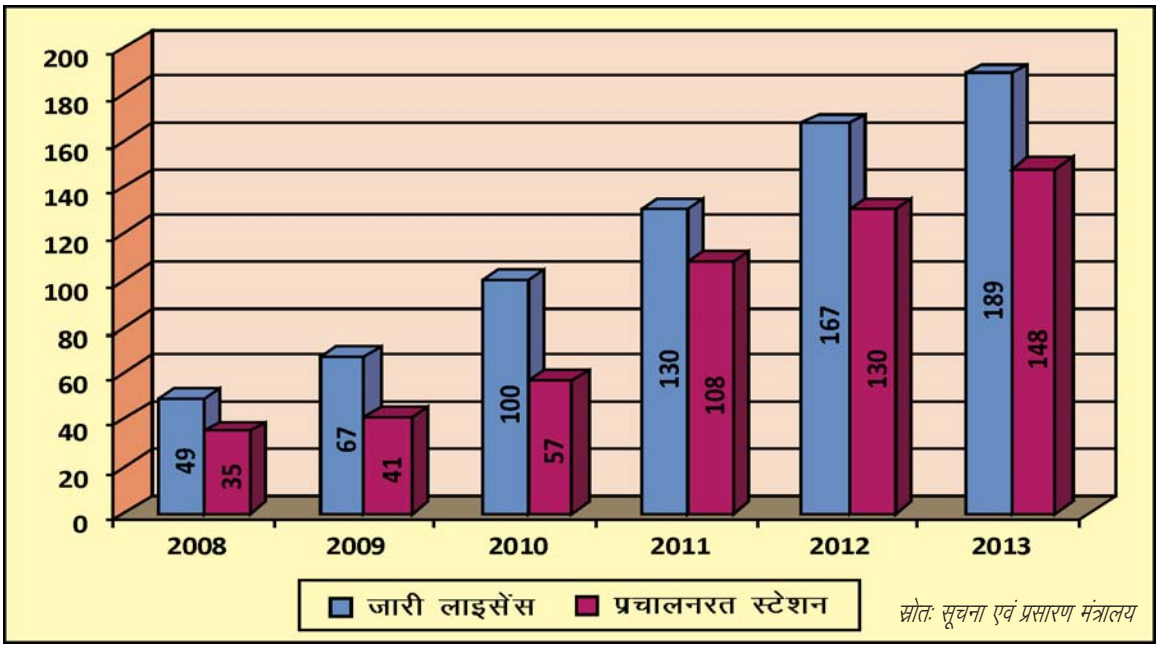

चित्र–32 : देश में अनुमेय टेलीपोर्ट्स की संख्या

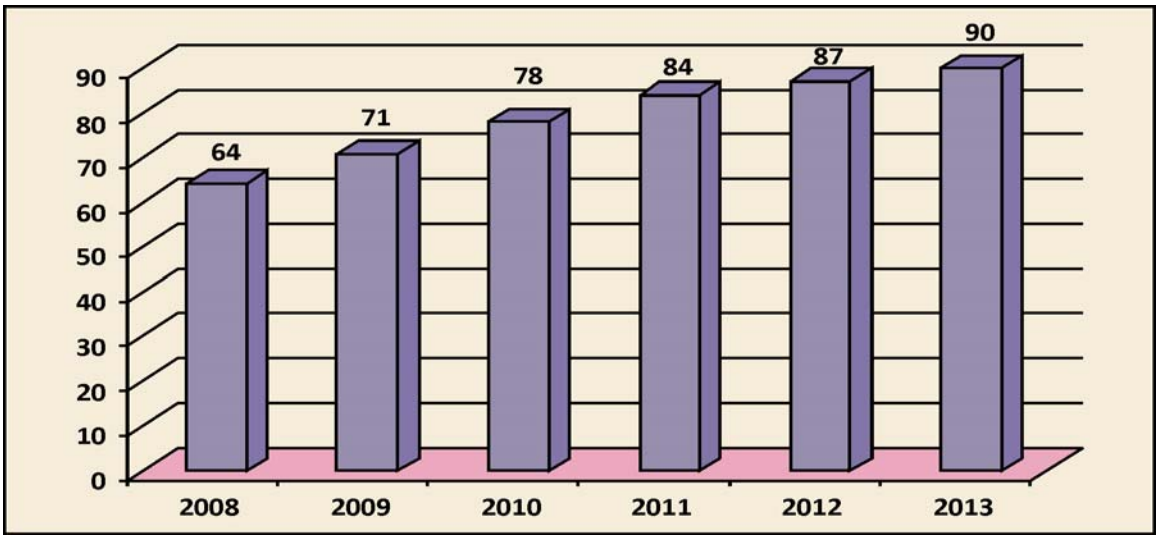

स्रोतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमेय टेलीपोर्ट्स की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुबंध–5** में दी गई है।

1.3.7 प्रसारण क्षेत्र के प्रशुल्क की प्रवृत्ति

उपभोक्ताओं को लागत प्रभावी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, भादूविप्रा, समय–समय पर प्रशुल्क आदेशों के रूप में विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। गैर–सीएएस क्षेत्र और अधिसूचित सीएएस क्षेत्र, एड्रेसेबल प्लेटफार्मों, जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी इत्यादि के प्रशुल्क, भादूविप्रा द्वारा उनके संबंध में जारी किए गए संबंधित आदेशों द्वारा शासित होते हैं। प्रसारण क्षेत्र में एआरपीयू की दर पिछले कुछ वर्षों से लगभग 160 रुपए प्रतिमाह के आस–पास स्थिर बनी हुई है। तथापि, डीटीएच प्रचालक कई नई सेवाओं जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं, (वीएएस) मूवी ऑन डिमांड सहित इंटरएक्टिव सेवाएं, गेमिंग, शॉपिंग, आदि की पेशकश कर रहे हैं। एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी प्रणाली क्रियान्वित होने से यह प्रवृत्ति केबल टीवी क्षेत्र में भी दोहराई जानी तय है।

एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए भादूविप्रा के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के प्रशुल्क आदेश में, थोक तथा खुदरा स्तरों पर पृथक रूप में पे–चैनल पेश करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, थोक मूल्य पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। इन प्रावधानों के चलते थोक तथा खुदरा स्तरों पर एक ऐसा समय आने की संभावना है जब अभिदान (सबिसिक्रिप्शन) प्रवृत्ति सेवा प्रदाताओं के बजाए उपभोक्ता स्तर पर तय होगी।

1.3.8 केबल एवं सैटेलाइट टीवी सेवा क्षेत्र में हितधारक

मार्च, 2013 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत टीवी चैनलों की कुल संख्या 828 थी, जिसमें 184 एसडी पे–चैनल शामिल थे। इन चैनलों के मालिक लगभग 350 प्रसारक (कंटेंट

मालिक) हैं और इनकी बिक्री 30 डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों के द्वारा की जाती है। पे–चैनलों, डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों की सूची और पे–डीटीएच ऑपरेटरों की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में क्रमशः **अनुबंध–6, अनुबंध–7 और अनुबंध–8** में दी गई हैं।

1.3.9 प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति को **तालिका–21 तथा** पिछली चार तिमाहियों में, प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादक संकेतक को **तालिका–22** में दर्शाया गया है।

तालिका–21 : प्रसारण और केबल टीवी सेवा की समग्र स्थिति

देश में परिवारों की संख्या (अनुमानित)	262 मिलियन
टीवी धारक परिवारों की संख्या (अनुमानित)	161 मिलियन
केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)	97 मिलियन
31 मार्च, 2013 तक प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	56.48 मिलियन
केबल प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	60,000
मल्टी सिस्टम प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	6000
पे–डीटीएच प्रचालकों की संख्या	6
31 मार्च, 2013 तक चैनलों की संख्या	828
31 मार्च, 2013 तक पे–चैनलों की संख्या	184
31 मार्च, 2013 तक एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	242
31 मार्च, 2013 तक लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	189
31 मार्च, 2013 तक प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	148
31 मार्च, 2013 तक देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की संख्या	90

तालिका–22 : प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल सेवाएं	तिमाही की समाप्ति पर			
	जून, 2012	सित., 2012	दिस., 2012	मार्च, 2013
सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	762	825	831	828
पे–चैनलों की संख्या (प्रचालनरत)	184	184	184	184
एचडी पे–चैनलों की संख्या (प्रचालनरत)	24	24	31	31
प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	48.45	50.91	54.52	56.48
प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	245	245	242	242

भाग-I के अनुबंध

अनुबंध–1

2007–08 से 2012–13 तक वायरलैस सेवाओं [जीएसएम एवं सीडीएमए] का उपभोक्ता आधार

(उपभोक्ता आधार मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	वित्तीय वर्ष 2012 की तुलना में वृद्धि / गिरावट
							(प्रतिशत में)
भारती	61.98	93.92	127.62	162.20	181.28	188.20	3.82%
वोडाफोन	44.13	68.77	100.86	134.57	150.47	152.35	1.25%
रिलायंस	45.79	72.67	102.42	135.72	153.05	122.97	-19.65%
आइडिया	24.001	38.89	63.82	89.50	112.72	121.61	7.89%
स्पाइस	4.21	4.13					
बीएसएनएल	40.79	52.15	69.45	91.83	98.51	101.21	2.74%
टाटा	24.33	35.12	65.94	89.14	81.75	66.42	-18.75%
एयरसेल	10.61	18.48	36.86	54.84	62.57	60.07	-4.00%
यूनीटेक		0	4.26	22.79	42.43	31.68	-25.34%
सिस्टेमा	0.11	0.6	3.78	10.06	15.68	11.91	-24.04%
एमटीएनएल	3.53	4.48	5.09	5.47	5.83	5.00	-14.24%
लूप	1.29	2.16	2.84	3.09	3.27	3.01	-7.95%
विडियोकॉन		0	0.03	7.11	5.95	2.01	-66.22%
क्वाड्रैंट	0.3	0.39	0.33	1.47	1.33	1.37	3.01%
एस टेल		0	1.01	2.82	3.43	0	-100.00%
ईटीसलत		0	0.0004	0.97	0.78	0	-100.00%
कुल	**261.07**	**391.76**	**584.32**	**811.59**	**919.17**	**867.8**	**-5.59%**

स्रोत : सेवा प्रदाता।

अनुबंध–2

31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
1	**महानगर**	दिल्ली	भारती
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			एयरसेल लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
2		मुम्बई	लूप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			भारती
			एयरसेल लिमिटेड
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
3		चेन्नई#	एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड
			वोडाफोन
4		कोलकाता	भारती
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			रिलायंस टेलीकॉम
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
5	**क सर्किल**	महाराष्ट्र	वोडाफोन
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लिमिटेड
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिम) प्राइवेट लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
6		गुजरात	वोडाफोन
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लिमिटेड
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिम) प्राइवेट लिमिटेड
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
7		आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			एयरसेल लिमिटेड
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिण) लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
8		कर्नाटक	भारती
			स्पाइस
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			एयरसेल लिमिटेड

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
9		तमिलनाडु#	वोडाफोन
			एयरसेल लिमिटेड
		चेन्नई सहित तमिलनाडु	बीएसएनएल
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
			भारती
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
10	**ख सर्किल**	केरल	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
11		पंजाब	स्पाइस
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			क्वाड्रैंट
			टाटा टेलीसर्विसेज
12		हरियाणा	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
13		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			यूनिटेक वायरलैस (उत्तर) प्राइवेट लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
14		उत्तर प्रदेश (पूर्व)	वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			यूनिटेक वायरलैस (उत्तर) प्राइवेट लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
15		राजस्थान	वोडाफोन
			हेक्साकॉम (भारती)
			बीएसएनएल
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			टाटा टेलीसर्विसेज

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
16		मध्य प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
17		प0 बंगाल एवं अंड0 एवं निको0	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
18	**ग सर्किल**	हिमाचल प्रदेश	भारती
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
19		बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			आदित्य बिरला टेलीकॉम लिमिटेड (आइडिया)

क्र. सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्व) प्राइवेट लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
20		ओडिशा	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
21		असम	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
22		पूर्वोत्तर राज्य	रिलायंस टेलीकॉम
			भारती
			बीएसएनएल
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
23		जम्मू व कश्मीर	बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
			एस्सार स्पेसटेल प्राइवेट लिमिटेड (वोडाफोन)
			आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
			रिलायंस कम्युनिकेशंस

तमिलनाडु एवं चेन्नई के लिए एक लाइसेंस।

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

अनुबंध–3

वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर

सर्किल	अप्रैल, 10 से मार्च, 11 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2010–11 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल, 11 से मार्च, 12 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2011–12 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल, 12 से मार्च, 13 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2012–13 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत
महानगर	25.65	36.03%	6.93	7.16%	(-)11.70	(-)11.28%
सर्किल 'क'	35.87	35.87%	35.58	12.34%	(-)14.23	(-)4.39%
सर्किल 'ख'	94.55	42.21%	45.75	14.36%	(-)20.44	(-)5.61%
सर्किल 'ग'	30.94	40.26%	19.33	17.93%	(-)5.00	(-)3.93%
पूरे देश में	**222.27**	**38.89%**	**107.58**	**13.26%**	**(-)51.37**	**(-)5.59%**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्टें।

अनुबंध–4

भारत में एचडी चैनलों की सूची

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	चैनल का नाम
1.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार प्लस एचडी
2.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार वर्ल्ड एचडी
3.	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	सन टीवी एचडी
4.	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	जेमिनी टीवी एचडी
5.	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फॉक्स ट्रैवलर एचडी
6.	वॉयकॉम 18	कलर एचडी
7.	ज़ील	जी टीवी एचडी
8.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार गोल्ड एचडी
9.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार मूवीज़ एचडी
10.	जूम इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	मूवीज़ नाउ एचडी
11.	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	केटीवी एचडी
12.	ज़ील	जी सिनेमा एचडी
13.	ज़ील	जी स्टूडियो एचडी
14.	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल जियोग्राफिक्स चैनल एचडी (एनजीसी एचडी)
15.	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	डिस्कवरी एचडी वर्ल्ड
16.	एईटीएन 18 नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी
17.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	ईएसपीएन एचडी
18.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	स्टार क्रिकेट एचडी
19.	ताज टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	टेन एचडी
20	सेलिब्रेटीज मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	ट्रैवल एक्सपी एचडी
21.	टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी
22.	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	सन म्यूजिक एचडी
23.	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिक्स एचडी
24.	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	सेट एचडी
25.	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	लाइफ ओके एचडी
26.	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट ज़ियो एडवेंचर एचडी
27.	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट ज़ियो वाइल्ड एचडी
28.	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बेबी टीवी एचडी
29.	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट ज़ियो म्यूजिक एचडी
30.	टर्नर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	एचबीओ हिट्स एचडी
31.	टर्नर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	एचबीओ डिफाइंड एचडी

अनुमेय टेलीपोर्ट की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली
2	सन टीवी लिमिटेड चेन्नई
3	इंटरटेनमेंट टीवी नेटवर्क लिमिटेड, मुम्बई
4	ऊषोदय इंटरप्राइजेज लिमिटेड, हैदराबाद
5	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
6	एशियानेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम
7	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
8	सहारा संचार लिमिटेड, नोएडा
9	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
10	न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, नई दिल्ली
11	इंडियाविजन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड कोच्ची; (केरल)
12	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा
13	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्व में एस्सेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड) नोएडा
14	पॉजिटिव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी
15	चैनल गाइड इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
16	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव
17	एसोसिएटेड ब्राडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
18	एवी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल
19	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
20	अमृता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम
21	माविस सेटकाम लिमिटेड, चेन्नई
22	वीएसएनएल, नई दिल्ली
23	वीएसएनएल, मुम्बई
24	वीएसएनएल, चेन्नई
25	वीएसएनएल, कोलकाता
26	वीएसएनएल, कोचीन
27	लामहास सैटेलाइट सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई
28	मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम
29	संस्कार इन्फो टीवी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई

क्र.सं.	विवरण
30	बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, मुम्बई
31	सीनियर मीडिया लिमिटेड
32	लोक प्रकाशन लिमिटेड, अहमदाबाद
33	कलकत्ता रिलेविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
34	कोहिनूर ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब)
35	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, नोएडा
36	कामयाब टीवी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एमडीटीवी प्राइवेट लिमिटेड), भुवनेश्वर
37	कस्तूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु
38	एसएसटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
39	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, मुम्बई
40	एमएम टीवी लिमिटेड, अलपुझा
41	इन केबलनेट (आंध्रा) लिमिटेड, हैदराबाद
42	इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड, हैदराबाद
43	सन टीवी लिमिटेड, चेन्नई
44	टाटा स्काई, नई दिल्ली
45	मीडिया सिन्टेन्ट एंड कम्युनिकेशन्स सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
46	सतीश शुगर्स लिमिटेड, बंगलूरु
47	शीतल फाइबर लिमिटेड, जालन्धर
48	एमएच वन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, दिल्ली
49	एसटीवी इंटर प्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली
50	एआईआरआर एक्स मीडिया लिमिटेड, सूरत
51	ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
52	विनिंग एज कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद
53	इंडियाशाइन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
54	इंडियाशाइन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
55	रचना टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
56	ऑरटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, भुवनेश्वर
57	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद
58	सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अरूर (केरल)
59	प्रज्ञा विजन प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
60	ब्रहमपुत्र टेली–प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी
61	जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

क्र.सं.	विवरण
62	इंडियाशाइन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
63	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, (वीएसएनएल) चेन्नई
64	पॉजिटिव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
65	ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, भुवनेश्वर
66	राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर
67	प्राइड ईस्ट इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी
68	इंडियाशाइन प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
69	विनटेज स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
70	स्काइलाइन मीडिया टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ,नोएडा
71	इन्फारमेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
72	यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स लिमिटेड, मुम्बई
73	कास्मैट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
74	भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड, नोएडा
75	श्री वेंकटेश्वर भक्ति, तिरूपति
76	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नई
77	रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपीटीटिव एग्जामिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
78	इंडिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विसेज लिमिटेड नोएडा
79	राज टेलीविजन, नेटवर्क लिमिटेड, चेन्नई
80	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
81	कनसन न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़
82	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नई
83	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, नोएडा
84	आस्था ब्राडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड, नोएडा
85	महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
86	आरटीआर ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद
87	सिल्वर स्टार कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नई
88	लम्हाज सैटेलाइट सर्विसेज लिमिटेड
89	स्काइलाइन टेली मीडिया सर्विसेज लिमिटेड
90	भारतीय टेलीपोर्ट लिमिटेड

पे–चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	ज़ी टीवी
2	ज़ी सिनेमा
3	कार्टून नेटवर्क
4	ज़ी मराठी
5	ज़ी न्यूज़
6	सीएनएन
7	ज़ी कैफे
8	ज़ी स्टूडियोज़
9	ज़ी बंगला
10	ज़ी पंजाबी
11	ज़ी ट्रेंड्ज़
12	एचबीओ
13	पोगो
14	ज़ी बिजनेस
15	ज़ी क्लासिक
16	ज़ी एक्शन
17	ज़ी प्रीमियर
18	ज़ी तेलगू
19	ज़ी कन्नड
20	ईटीसी पंजाबी
21	ईटीसी
22	जिंग
23	ज़ी जागरण
24	ज़ी स्माइल
25	24 घंटे
26	24 तास
27	ज़ी टॉकिज़
28	डब्ल्यूबी
29	ज़ी 24 घंटालू
30	ज़ी सलाम

क्र.सं.	चैनल का नाम
31	9एक्स
32	स्टार प्लस
33	स्टार गोल्ड
34	स्टार मूवीज़
35	स्टार वर्ल्ड
36	विजय टीवी
37	एनजीसी
38	फाक्स ट्रैवलर चैनल
39	चैनल (वी)
40	लाइफ ओके
41	द एमजीएम
42	स्टार जलसा
43	एबीपी आनंदा
44	एफएक्स
45	फॉक्स क्राइम
46	बेबी टीवी
47	नैट जिओ वाइल्ड
48	नैट जिओ एडवेंचर
49	नैट जिओ म्यूज़िक
50	एशियानेट
51	स्टार प्रवाह
52	फोक्स एक्शन मूविज
53	मूविज ओके
54	एनडीटीवी 24x7
55	एनडीटीवी प्रॉफिट
56	एनडीटीवी गुड टाइम्स
57	सुवर्ण
58	एशियानेट प्लस
59	एनडीटीवी इंडिया
60	सेट

क्र.सं.	चैनल का नाम
61	मैक्स
62	डिस्कवरी
63	एनिमल प्लैनिट
64	एएक्सएन
65	एनिमक्स
66	टीएलसी
67	सब टीवी
68	सेट पिक्स
69	आज तक
70	हैडलाइन टुडे
71	तेज
72	चैनल 8 (सोनी आठ)
73	डिस्कवरी साइंस
74	डिस्कवरी टर्बो
75	नियो स्पोर्ट्स
76	नियो प्राइम
77	डिस्कवरी चैनल – तमिल
78	मिक्स
79	डिस्कवरी किड्स
80	सिक्स
81	सन टीवी
82	जेमिनी टीवी
83	उदय टीवी
84	के टीवी
85	जेमिनी कॉमेडी
86	उदय मूवीज
87	सन म्यूजिक
88	जेमिनी म्यूजिक
89	सन न्यूज
90	जेमिनी न्यूज
91	उदय वरथेग्लू
92	जेमिनी मूवीज
93	चिंटू टीवी

क्र.सं.	चैनल का नाम
94	उदय कॉमेडी
95	कुशी टीवी
96	छुट्टी टीवी
97	उदय।।
98	आदित्य टीवी
99	सूर्या टीवी
100	किरण टीवी
101	द डिज़नी चैनल
102	डिज़नी एक्सडी
103	हंगामा टीवी
104	आईबीएन 7
105	आईबीएन लोकमत
106	कलर्स
107	एमटीवी
108	निक
109	वीएच 1
110	सन न्यूज इंग्लिश
111	कॉमेडी सेन्ट्रल
112	सोनिक
113	सीएनबीसी टीवी 18
114	सीएनएन – आईबीएन
115	सीएनबीसी आवाज
116	जेमिनी लाइफ
117	ईटीवी
118	ईटीवी 2
119	ईटीवी बंगला
120	ईटीवी मराठी
121	ईटीवी कन्नड़
122	ईटीवी गुजराती
123	ईटीवी ओडिया
124	ईटीवी यूपी
125	ईटीवी बिहार
126	ईटीवी उर्दू

क्र.सं.	चैनल का नाम
127	ईटीवी राजस्थान
128	ईटीवी एमपी
129	बिन्दास
130	यूटीवी एक्शन
131	वर्ल्ड मूवीज
132	यूटीवी मूवीज
133	यूटीवी एक्शन – तेलगू
134	बीबीसी वर्ल्ड
135	बीबीसी इन्टरटेनमेंट
136	सीबीबीज़
137	ईएसपीएन
138	स्टार स्पोर्टस
139	स्टार क्रिकेट
140	ईएसपीएन न्यूज
141	राज टीवी
142	राज डिजिटल प्लस
143	विस्सा टीवी
144	राज म्यूजिक्स
145	राज न्यूज (24×7)
146	9एक्सएम
147	9एक्स झकास
148	9एक्सओ
149	9एक्स जलवा
150	सहारा वन
151	फिल्मी
152	बी4यू मूवीज
153	एमएए टीवी
154	एमएए म्यूजिक
155	एमएए मूवीज

क्र.सं.	चैनल का नाम
156	एमएए जूनियर
157	दिल्ली आज तक
158	ई–24
159	बूमेरंग
160	टीसीएम टर्नर क्लासिक मूवीज
161	तरंग
162	तरंग म्यूजिक
163	प्रार्थना
164	ईटी नाउ
165	टाइम्स नाउ
166	ज़ूम
167	टेन स्पोर्टस
168	टेन क्रिकेट
169	टेन एक्शन
170	बिग सीबीएस प्राइम
171	बिग सीबीएस लव
172	बिग सीबीएस स्पार्क
173	बिग सीबीएस स्पार्क पंजाबी
174	बिग मैज़िक
175	ब्लूमबर्ग यूटीवी
176	9एक्स टशन
177	सार्थक टीवी
178	जया टीवी
179	जया प्लस
180	जया मैक्स
181	जे मूवीज
182	मेगा टीवी
183	मेगा म्यूजिक
184	मेगा 24

प्रसारणकर्ताओं / एग्रीगेटरों की सूची

क्र.सं.	प्रसारणकर्ताओं / एग्रीगेटरों की सूची
1	मैसर्स मीडिया प्रो इन्टरप्राइजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* **(एग्रीगेटर)**
2	मैसर्स इंडियाकास्ट यूटीवी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
3	मैसर्स सन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड* **(एग्रीगेटर)**
4	मैसर्स एमएसएम डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
5	मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
6	मैसर्स राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
7	मैसर्स माविस सेटकॉम लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
8	मैसर्स ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
9	मैसर्स एबीएस मीडिया सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
10	मैसर्स एमएए टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
11	मैसर्स ताज टेलीविजन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड* **(एग्रीगेटर)**
12	मैसर्स बिग सीबीएस नेटवर्क्स लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
13	मैसर्स रिलायन्स टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
14	मैसर्स बिग मैजिक लिमिटेड **(एग्रीगेटर)**
15	मैसर्स बिजनिस ब्रॉडकॉस्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
16	मैसर्स बिग आरटीएल ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
17	मैसर्स 9एक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
18	मैसर्स बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
19	मैसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
20	मैसर्स ट्यूनर इन्टरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
21	मैसर्स बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
22	मैसर्स सार्थक इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
23	मैसर्स पॉल इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
24	मैसर्स एलाइड इंफोटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
25	मैसर्स सिल्वर स्टार कम्युनिकेशंस लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
26	मैसर्स ईनाडू टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर) (केवल आंध्र प्रदेश राज्य में स्वयं द्वारा वितरण)**
27	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
28	मैसर्स सेलिब्रेटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
29	मैसर्स एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**
30	मैसर्स टर्मेरिक विज़न प्राइवेट लिमिटेड **(ब्रॉडकास्टर)**

अनुबंध–8

पे–डीटीएच प्रचालकों की सूची

क्र.सं	डीटीएच प्रचालक
1	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड
2	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी (प्रा.) लि.

क्र.सं	डीटीएच प्रचालक
4	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
5	मैसर्स रिलायंस बिग टीवी प्रा.लि.
6	मैसर्स भारत बिजनेस चैनल्स लिमिटेड

भाग–II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग–एक में प्रसारण तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में विद्यमान सामान्य परिदृश्य की समीक्षा प्रस्तुत की गई है और 2012–13 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा परिवेश सुनिश्चित किया जाए, जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां प्रदान हों, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ प्राप्त हो।

2.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत, भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ–साथ, लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रशुल्क संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी शर्तों के साथ ही सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र में, प्रशुल्क नीति की निगरानी, अंतःसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांतों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक जनता के लिए खुला विकल्प और एक्सेस की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क तंत्र और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता, सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान–प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के

साथ प्राधिकरण के संपर्क के लिए मंच की स्थापना किए जाने संबंधी मामलों पर विचार करना और निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (घ) के अंतर्गत 09 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया, जिसमें भादूविप्रा को उन निबंधन और शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया, जिनके अनुसार उपभोक्ताओं के लिए ''एड्रेसेबल प्रणालियां'' उपलब्ध कराई जाएंगी और पे–चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे।

2.3 अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों, जैसे सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें इसके द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी हितधारकों तथा आम जनता को, उनसे राय मांगे जाने पर, उनके राय दिए जाने के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में खुला मंच चर्चा करना, ई–मेल पर तथा पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और विभिन्न अभिमत तथा नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श हेतु संपर्क–सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है, जिसमें वे कारण स्पष्ट किए जाते हैं, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई सहभागितापूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

2.4 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार तथा प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचार जानने के लिए उनके साथ भी पारस्परिक विचार–विनिमय करता है। यह दूरसंचार सेक्टर के कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करने की प्रणाली भी अपनाता है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों को सुदृढ़ बनाने के निरंतर उपाय कर रहा है। भादूविप्रा विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो अपनी ओर से अथवा अनुज्ञप्तिदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से निदेश पर प्रसारण व केबल सेवाओं के मामले में सिफारिशें दे। भादूविप्रा द्वारा वर्ष

2012–13 में सरकार को निम्न सिफारिशें दी गई हैं :–

दूरसंचार क्षेत्र

- एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के प्रवसन के लिए मार्गनिर्देश पर दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- ''विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति'' से संबंधित दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- ''नंबर संसाधनों के प्रभावी उपयोग'', दिनांक 20.08.2010 के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 21.03.2012 के पत्र पर भादूविप्रा का दिनांक 11 मई, 2012 प्रत्युत्तर।
- ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर भादूविप्रा की दिनांक 23.04.2012 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रत्युत्तर में दिनांक 12 मई 2012 की सिफारिशें।
- ''समेकित लाइसेंस/वर्ग लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसो के अंतरण के लिए मार्गनिर्देश'' पर दूरसंचार विभाग के पत्र पर पुनर्विचार करने के बाद दिनांक 12 मई, 2012 को की गई सिफारिशें।
- 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए समर्थन पर दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।
- ''अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) सेवाओं'' पर दिनांक 14 मई 2012 की सिफारिशें।
- ''स्पेक्ट्रम की नीलामी : लागत, प्रशुल्क और वित्तीय प्रतिफल पर प्रभाव का विश्लेषण'' पर दिनांक 12 जुलाई, 2012 की सिफारिशें।
- "आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस टेलिकम्युनिकेशन सिस्टम (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आवंटन'' पर दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 की सिफारिशें।
- ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस के उपयोग के लिए दिनांक 25.02.2010 के नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन व शर्तों को समाहित करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के संबंध में दिनांक 22 नवंबर, 2012 की सिफारिशें।
- ''एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाओं) के निबंधन व शर्तों'' पर दिनांक 02 जनवरी, 2013 की सिफारिशें।
- ''आईएमटी–एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं'' पर दिनांक 19 मार्च, 2013 की सिफारिशें।

एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के प्रवसन के लिए मार्गनिर्देश पर, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें

2.5.1 दिनांक 11.05.2010 के ''स्पेक्ट्रम प्रबंध और लाइसेंस फ्रेमवर्क'' पर अपनी सिफारिशों में भादूविप्रा ने सिफारिश की थी कि भविष्य में सभी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होने चाहिए

और इसे स्पेक्ट्रम के लाइसेंस से असंबद्ध किया जाना चाहिए। अक्तूबर, 2011 में भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ–साथ, प्रवेश/पात्रता, निष्पादन और वित्तीय बैंक गारंटियों आदि के साथ एकीकृत लाइसेंसों को समर्थ बनाने के लिए एक–रूपात्मकता और दिशानिर्देशों सहित एकीकृत लाइसेंस के दिशानिर्देशों के लिए सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया गया। तदनुसार, भादूविप्रा ने 16 अप्रैल, 2012 को ''एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के प्रवसन के लिए'' सिफारिशें जारी कीं। दूरसंचार विभाग ने मई, 2012 में अपनी टिप्पणी के साथ सिफारिश को भादूविप्रा को वापस भेजा। भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर विचार करने के पश्चात, अपनी सिफारिशों को 12 मई, 2012 को जारी किया। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

- नए तंत्र में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से असंबद्ध किया गया है।
- एकीकृत लाइसेंसों के तीन स्तर होंगे; राष्ट्रीय स्तर, सेवा क्षेत्र स्तर और जिला स्तर।
- एकीकृत लाइसेंस के लिए एक–बार अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क (क) राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत लाइसेंस के लिए 15 करोड़ रुपए, (ख) जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों, जहां प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क 50 लाख रुपए होगा को, छोड़कर सेवा क्षेत्र के स्तर के एकीकृत लाइसेंस प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपए, और (ग) जिला स्तर के प्रत्येक एकीकृत लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए होगा।

''विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति'' से संबंधित दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें

2.5.2 दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को सभी प्रकार के दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति पर सिफारिशों के लिए अनुरोध किया था। भादूविप्रा ने परामर्श प्रक्रिया शुरू की। इस बीच 02 फरवरी, 2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ 10 जनवरी, 2008 को और उसके पश्चात दिए गए यूएएस लाइसेंसों को आदेश की तारीख से चार महीने में रद्द करने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम को देखते हुए, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणी और अपने स्वयं के विश्लेषण से भादूविप्रा ने सिफारिश की कि दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक अलग एक्जिट नीति की जरूरत नहीं थी और विभिन्न लाइसेंसों में लाइसेंस को अभ्यर्पित करने के लिए वर्तमान शर्तें, जिसके द्वारा लाइसेंसधारी लाइसेंस को अग्रिम रूप से कम से कम 60 कैलेंडर दिनों (आईएसपी लाइसेंस के मामले में 30 कैलेंडर दिन) का नोटिस देकर लाइसेंस को अभ्यर्पित कर सकता है, लागू होती रहेंगी।

''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें

2.5.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 02 फरवरी, 2012 के निर्णय में भादूविप्रा को लाइसेंस प्रदान करने और नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नई सिफारिशें करने का निदेश दिया था। 03 फरवरी, 2012 को दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी।

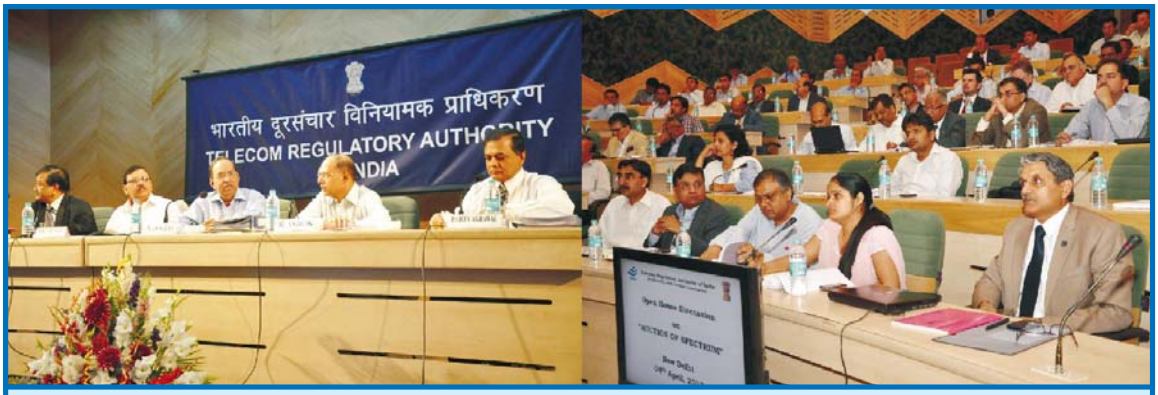

"स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर 04 अप्रैल, 2012 को आयोजित खुला मंच चर्चा

भादूविप्रा द्वारा 23 अप्रैल, 2012 को सिफारिशें दी गईं। शामिल किए गए मुद्दों में नीलामी संरूप, पात्रता, स्पेक्ट्रम कैप, आरक्षित मूल्य, स्पेक्ट्रम बंधक, रोल आउट, दायित्व, स्पेक्ट्रम प्रयोग के प्रभार, वैधता अवधि, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, 700/800/900/1800/ 2100/2300 मेगाहट्र्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, स्पेक्ट्रम का उदारीकरण, स्पेक्ट्रम की पुनःफार्मिंग आदि शामिल है। सिफारिशों को दूरसंचार विभाग ने मई, 2012 में भादूविप्रा को अपनी टिप्पणी के साथ वापस भेजा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग के प्रेक्षणों पर विचार करने के पश्चात, 12 मई, 2012 को अपनी सिफारिशें दी।

25 अक्तूबर, 2012 को दूरसंचार विभाग ने पुनः स्पेक्ट्रम के लिए विनिर्धारित सीमा लाइसेंसों के नवीकरण पर स्पेक्ट्रम को प्रतिधारण और स्पेक्ट्रम के पुनःफार्मिंग पर भादूविप्रा की पहले की सिफारिशों के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे। भादूविप्रा ने वर्ष 2010 और 2012 के बीच की गई सभी सिफारिशों पर सामूहिक रूप से विचार किया और 30 अक्तूबर, 2012 को दूरसंचार विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रत्युत्तर दिया।

"नंबर संसाधनों के प्रभावी उपयोग", दिनांक 20.08.2010 के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 21.03.2012 के पत्र पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दिनांक 11 मई, 2012 प्रत्युत्तर

2.5.4 "नंबर संसाधनों के प्रभावी उपयोग" पर दिनांक 20 अगस्त, 2010 की भादूविप्रा की सिफारिशें पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त दिनांक 21 मार्च, 2012 के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा 11 मई, 2012 को अपनी प्रतिक्रिया भेजी गई। भादूविप्रा द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में, एक समयबद्ध तरीके से देश को दस अंकीय नंबर योजना में स्थानांतरित होना चाहिए,और एकीकृत योजना के लागू होने तक नीचे उद्धृत मूल सिफारिशों के पैरा 2.33 को क्रियान्वित किया जाए, संबंधी अपनी पहले की सिफारिशों को पुनः दोहराया है।

"पैरा 2.33 : प्राधिकरण सिफारिश करता है कि बीच की अवधि में, एकीकृत नंबर

योजना के क्रियान्वित किए जाने तक, पर्याप्त नंबर स्थान के सृजन के लिए निम्नलिखित योजना अपनायी जानी चाहिए:–

क. फिक्सड से फिक्सड, अंतर–सर्किल फिक्सड से मोबाइल और मोबाइल से मोबाइल कॉल के डॉयल करने की योजना में कोई परिवर्तन नहीं।

ख. इन्ट्रा सर्किल फिक्सड से मोबाइल को पहले ''0'' लगाकर डॉयल करें।

ग. 2,3,4 और 6 के साथ शुरू होने वाले मौजूदा एसडीसीए कोडों के बाद में 0,1,8 और 9 लगाकर मोबाइल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाए।''

01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए समर्थन पर, दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें

2.5.5 भादूविप्रा ने 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता के संबंध में 14.05.2012 को सिफारिशें जारी की। भादूविप्रा ने अपनी सिफारिशों में कहा कि 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को बनाए रखने के लिए, दो वर्ष के लिए, मैसर्स बीएसएनएल को सहायता जारी रखी जाए। सहायता की राशि पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए हो सकती है।

''अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) सेवाओं'' पर दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें

2.5.6 प्राधिकरण ने 14 मई, 2012 की अनुप्रयोग सेवाओं पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की। सिफारिशों के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को प्राधिकार देने के माध्यम से लाइसेंसिंग के तहत कवर किया जाना चाहिए।
- एकीकृत लाइसेंसिंग तंत्र के तहत मौजूदा लाइसेंसों के साथ–साथ प्रस्तावित लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों में अनुप्रयोग सेवाओं के लिए प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/लाइसेंसधारियों और लाइसेंस प्राप्त अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं/ अंतर्वस्तु प्रदाताओं को अल्प कोडो के आवंटन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अल्प कोड परिषद (एससीसी) की स्थापना की जाएगी।
- अल्प कोड, राष्ट्रीय नंबर योजना के अनुसार ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय रूप से आवंटित किए जाएंगे। अल्प कोड एएसपी और टीएसपी दोनों को स्वतंत्र रूप से आवंटित किए जाएंगे।
- भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुप्रयोग सेवाओं के विकास को उपयुक्त प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

''स्पेक्ट्रम की नीलामी : लागत, प्रशुल्क और वित्तीय प्रतिफल पर प्रभाव का विश्लेषण'' पर, दिनांक 12 जुलाई, 2012 की सिफारिशें''

2.5.7 दिनांक 23.04.2012 की स्पेक्ट्रम की नीलामी पर भादूविप्रा की सिफारिशों में विहित नीलामी के लिए सिफारिश किए गए आरक्षित मूल्य को ध्यान में रखते हुए वायरलैस सेवा खंड

में प्रचालन लागत और प्रतिफल तथा खुदरा प्रशुल्क का मूल्यांकन करने के लिए मॉडलिंग और पूर्वानुमान तकनीकों का प्रयोग करके वित्तीय विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण के परिणाम दूरसंचार विभाग को सम्प्रेषित किए गए।

आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस टेलिकम्युनिकेशन सिस्टम (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आवंटन'' पर, दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 की सिफारिशें

2.5.8 उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांश मोबाइल कॉल अपने घरों या कार्यालयों से की जाती हैं और ऐसी कॉलों की काफी अधिक संख्या इन्ट्रा उद्यम कॉल होती हैं। संतोषजनक इनडोर कवरेज प्रदान करने के लिए प्रदाताओं को या तो बड़ी संख्या में बेस ट्रांससिवर स्टेशन (बीटीएस) प्रदान करने होते हैं या भवन में समाधान तैनात करने होते हैं। डिजिटल सीटीएस प्रौद्योगिकी दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों के अधिक कुशल प्रयोग के लिए सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिक का पूरक बन सकती है और इनडोर कवरेज आवश्यकताओं में भी सहायता कर सकती है। तथापि लाइसेंस रहित, विभिन्न यंत्रों विशेषकर कई–कई यंत्रों में अंतरक्षेप (इंटरफीयरेंस) संबंधी समस्याओं के कारण, विद्यमान लाइसेंस रहित बैन्डों में अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में, सीटीएस यंत्रों में बाधा आती है। इन सिफारिशों में, भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि निजी और इनडोर (वाणिज्यिक के लिए नहीं) प्रयोग के लिए सीटीएस के कम विद्युत प्रचालनों के लिए 1800–1900 मेगाहर्ट्ज बैंड को लाइसेंस मुक्त किया जाना चाहिए। सीटीएस युक्तियां जो 1800–1900 मेगाहर्ट्ज के लाइसेंस–मुक्त स्पेक्ट्रम बैंड में प्रचालित की जाएंगी के

आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस टेलिकम्युनिकेशन सिस्टम (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आवंटन'' पर 10 जुलाई, 2012 को आयोजित खुला मंच चर्चा

लिए कतिपय शिष्टाचारों की भी सिफारिश की गई है।

ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस के उपयोग के लिए दिनांक 25.02.2010 के नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन व शर्तों को समाहित करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के संबंध में, दिनांक 22 नवंबर, 2012 की सिफारिशें

2.5.9 प्राधिकरण को, ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस (एनआईए) में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के लिए, सिफारिश प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से संदर्भ प्राप्त हुआ।

यथोचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात, सभी लाइसेंसधारियों नामतः यूएएस, सीएमटीएस, आईएसपी, जिन्होंने नीलामी में बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है, को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम से संबंधित आवेदन आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईए) के निबंधनों एवं शर्तों में एकसमान और न्यायसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 22.11.2012 को दूरसंचार विभाग को सिफारिश भेजी गई थी।

''एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाओं) के निबंधन व शर्तों'' पर, दिनांक 02 जनवरी, 2013 की सिफारिशें

2.5.10 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र संख्या 20–281/2010–एएस–1, दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से भादूविप्रा को ''एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाओं) के लिए एकीकृत लाइसेंस के लिए निबंधन और शर्तों'' को भेजा। दूरसंचार विभाग के पत्र में यह कहा गया था कि नवम्बर, 2012 में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी में सफल नए प्रवेशकों को नए लाइसेंस जारी करने की अपेक्षा है।

भादूविप्रा ने एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाओं) की जांच करने के पश्चात 02 जनवरी, 2013 को अपनी सिफारिश दी।

''आईएमटी–एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं'' पर, दिनांक 19 मार्च, 2013 की सिफारिशें

2.5.11 भादूविप्रा ने 19 अगस्त, 2011 को ''आईएमटी–एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए कुछ मुद्दे, जैसे आईएमटी एडवांस सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम बैंड, नीलामी के लिए रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम का ब्लॉक आकार, 4जी प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रयोग के लिए अपेक्षित स्पेक्ट्रम ब्लाकों की न्यूनतम संख्या, प्रति मेगाहर्ट्ज आरक्षित मूल्य, स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार आदि, विनियामक स्वरूप के थे, जबकि कुछ मुद्दे नामतः उपयोगकर्ता उपस्कर का विनिर्देशन, सुरक्षा मुद्दे, आईएमटी–ए प्रणालियों पर वॉयस सेवाओं की डिलीवरी, बपौती प्रणाली (2जी/3जी) के साथ अंतः प्रचालनात्मकता, क्यूओएस पैरामीटर और महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर फेम्टो सैल/रिले आदि का प्रभाव तथा स्पेक्ट्रम नीति आदि तकनीकी स्वरूप के थे।

02 फरवरी, 2012 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भादूविप्रा को 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम के लाइसेंस और आवंटन प्रदान करने के लिए नई सिफारिशें करने का निदेश दिया। तदनुसार, यथोचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात, भादूविप्रा ने 23 अप्रैल, 2012 को ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें भेजी। ये सिफारिशें व्यापक थीं और इनमें न केवल 2जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को कवर किया गया है अपितु 3जी और आईएमटी–एडवांस सेवाओं को भी कवर किया गया। इसलिए, कुछ मुद्दे, जो दिनांक 19 अगस्त, 2011 के परामर्श पत्र में मूल रूप से उठाए गए थे, वे 23 अप्रैल, 2012 की ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर सिफारिश में कवर हो गए। परामर्श पत्र में उठाए गए शेष मुद्दे, जो आईएमटी उन्नत प्रौद्योगिकियों के तकनीकी पहलुओं से संबंधित थे, पर 19 मार्च, 2013 की ''आईएमटी–एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं'' पर भादूविप्रा की सिफारिशों में विचार किया गया है।

इन सिफारिशों में, भादूविप्रा ने 700 मेगाहट्र्ज बैंड में विभिन्न बैंड प्लानों पर विचार किया और पाया गया कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर भी बहुत से देशों ने या तो एपीटी700 बैंड प्लान आधारित एफडीडी को अपनाया है या अपनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। भादूविप्रा का मत था कि भारत को भी विशाल पारिस्थितिक प्रणाली का लाभ लेने के लिए सुमेलित बैंड प्लान को अपनाना चाहिए, जिसके इस बैंड प्लान में उभरने की संभावना है। तदनुसार, भादूविप्रा ने सिफारिश की कि 2x45 मेगाहट्र्ज फ्रीकवेंसी व्यवस्था पर आधारित एफडीडी के साथ 700 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बैंक (698–806 मेगाहट्र्ज) के लिए एपीटी700 बैंड प्लान अपनाया जाना चाहिए। शेष मुद्दों पर नामतः उपयोगकर्ता उपस्कर के विनिर्देशन, सुरक्षा–मुद्दे आईएमटी–ए प्रणालियों में वॉयस सेवाओं की डिलीवरी, बपौती प्रणालियां (2जी/3जी) के साथ अंतःप्रचालनात्मकता, क्यूओएस पैरामीटर और महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर फेम्टो सैल/रिले के प्रभार आदि पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह विचार था कि इन प्रौद्योगिकियों के रोल आउट पर ही इन मुद्दों का बेहतर समाधान हो सकता है। तदनुसार, इन मुद्दों पर कोई सिफारिश नहीं की।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

- ''भारत में एफएम रेडियो क्षेत्र में लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्थान विनिर्धारित करने'' पर दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें
- ''टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में कतिपय कंपनियों के प्रवेश से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 28 दिसंबर, 2012 की सिफारिशें

''भारत में एफएम रेडियो क्षेत्र में लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्थान विनिर्धारित करने'' पर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें

2.5.12 सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने अ.शा.पत्र सं. 102/2/2008–एफएम(खंड–V), दिनांक 08 अगस्त, 2011 द्वारा भादूविप्रा को एफएम क्षेत्र में लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्थान के मुद्दे पर पुनः विचार करने

के लिए अनुरोध किया था। न्यूनतम चैनल स्थान अर्थात निकटवर्ती चैनलों की कैरियर फ्रीक्वेंसियों के बीच फ्रीक्वेंसी अलग करना, एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जो श्रोताओं के एफएम रेडियो रिसीवर सेट में व्यक्तिगत चैनलों के विश्वसनीय अभिग्रहण को निर्धारित करता है। रेडियो रिसीवरों की गुणवत्ता में सुधार के साथ डिजिटल उपकरणों, जैसे कि जनता में मोबाइल सेटों और एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापनाओं के वैकल्पिक डिजाइनों के प्रवेश से अब तकनीकी रूप से दिए गए लाइसेंस सेवा क्षेत्र में कम चैनल स्थान के साथ अधिक एफएम रेडियो चैनलों को प्रसारित करना व्यवहार्य हो गया है। यह दुर्लभ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने अपनी सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं :–

i) किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर एफएम रेडियो चैनलों की फ्रीक्वेंसी 400 किलोहर्ट्ज के न्यूनतम स्थान में जारी की जा सकती है।

ii) 400 किलोहर्ट्ज के चैनल स्थान के साथ प्रचालन करने वाले एफएम चैनलों को प्रभावशाली सह–अवस्थित स्थलों से प्रसारित किया जाना चाहिए और समान शक्ति के साथ संचारित किया जाना चाहिए।

iii) फ्रीक्वेंसी का ठीक आवंटन निकटवर्ती लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में मौजूदा स्थापनाओं/आवंटित फ्रीक्वेंसियों की फ्रीक्वेंसियों और शक्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ताकि फ्रीक्वेंसियों के पुनः प्रयोग के लिए, पद्धति को संतुष्ट किया जा सके। तदनुसार, फ्रीक्वेंसियों के आवंटन की भविष्य की सभी योजना और अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए।

"टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में कतिपय कंपनियों के प्रवेश से संबंधित मुद्दों" पर, दिनांक 28 दिसंबर, 2012 की सिफारिशें

2.5.13 "टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में कतिपय कंपनियों के प्रवेश से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 28.12.2012 को सिफारिशें जारी की गई थीं। महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रम, केंद्र/राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम और केंद्र/राज्य सरकार की निधिक कंपनियों को प्रसारण और या टीवी चैनलों के वितरण के व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ii) प्रसार भारती और सरकार के बीच संबंध को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्राधिकरण यह भी सिफारिश करता है कि ऐसे उपायों के द्वारा प्रसार भारती की कार्यात्मक स्वतंत्रता और स्वायतता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iii) प्रसारण पर किसी नए विधान के लंबित होने तक प्रसारण और/या वितरण गतिविधियों में प्रवेश के लिए राजनीतिक निकायों के प्रवेश के लिए सिफारिश की गई अयोग्यता को नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में यथा–आवश्यक अयोग्यता

को शामिल करके कार्यकारी निर्णय के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

iv) यदि केंद्र सरकार ने पहले ही किसी राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों/राज्य सरकार के उपक्रमों/राज्य सरकार के संयुक्त उद्यमों और निजी क्षेत्र/राज्य सरकार की निधिक कंपनियों को केबल वितरण प्लेटफार्म के लिए अनुमति प्रदान की है, तो केंद्र सरकार द्वारा उचित बहिर्गमन मार्ग प्रदान कराया जाना चाहिए।

2.6 वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राधिकरण को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में इसने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:–

दूरसंचार क्षेत्र

- लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012, दिनांक 11 अप्रैल, 2012
- मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012 दिनांक 17 अप्रैल, 2012
- बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 7 मई, 2012
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 14 मई, 2012
- दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 जून, 2012
- मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाएं (संशोधन), 2012, दिनांक 18 सितंबर, 2012
- दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 18 सितंबर, 2012
- दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 19 सितंबर, 2012
- लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 15 अक्तूबर, 2012
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन एक्सेस अनिवार्य सुविधाएं (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 19 अक्तूबर, 2012
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 22 अक्तूबर, 2012
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012
- बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवंबर, 2012
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 27 नवंबर, 2012
- वायरलैस डाटा सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012 दिनांक 04 दिसंबर, 2012

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिग स्टेशन एक्सेस सुविधा के लिए प्रभार और सह–स्थान प्रभार विनियम, 2012 दिनांक 21 दिसंबर, 2012
- ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 24 दिसंबर, 2012
- उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियम, 2013 दिनांक 21 फरवरी, 2013
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 21 फरवरी, 2013
- सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 25 मार्च, 2013

लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012, दिनांक 11 अप्रैल, 2012 पर विनियम

2.6.1 लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 अद्यतन, युक्तियुक्त और मानकीकृत रिपोर्टिंग पद्धति तैयार करती है और लेखापरीक्षा तथा जवाबदेही प्रावधानों को सुदृढ़ करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:–

- लेखा वर्ष के दौरान, न्यूनतम एक सौ करोड़ रुपए के कुल कारोबार वाले सभी सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- सेवाओं, उत्पादों और नेटवर्क कारकों के वर्गीकरण को संशोधित किया गया है ताकि प्रौद्योगिकी, अभिनव परिवर्तनों और उपभोक्ता मांग में नवीनतम प्रवृत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके।
- सूचना प्रस्तुत करने के प्रपत्रों को युक्तियुक्त और मानकीकृत किया गया है।
- जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए, रिपोर्टों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनाए जाने की जरूरत होगी।

बृहत रूपात्मकता और लेखाकरण पृथक्करण के लिए सिद्धांतों पर, सेवा प्रदाताओं के मार्गदर्शन के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2012 को लेखाकरण पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि उनको, ऑपरेटर विशेष से संबंधित लेखाकरण पृथक्करण नियमावलियां तैयार करने में सहायता प्राप्त हो।

मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

2.6.2 मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग को समर्थ बनाने के लिए तीव्र और विश्वसनीय संचार को सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल बैंकिंग विनियम 17 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। ये विनियम मोबाइल फोन पर वित्तीय लेन–देन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए, सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए परामर्श पत्र को जारी करने के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के पश्चात जारी किए गए हैं। इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एसएमएस, यूएसएसडी और आरवीआर

के प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करना है। एक्सेस सेवा प्रदाता वैकल्पिक रूप से बैंक को डब्ल्यूएपी या एसटीके प्रयोग की सुविधा भी दे सकते हैं।

बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 07 मई, 2012

2.6.3 इन विनियमों के माध्यम से, प्राधिकरण ने सेवा पैरामीटरों की नेटवर्क केंद्रस्थ गुणवत्ता और 3जी नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वॉयस सेवाओं के लिए बैंचमार्क विनिर्धारित किए हैं। ये पैरामीटर विवेचित क्षेत्रों, जैसे कि कॉल ड्रॉप, वॉयस गुणवत्ता, नेटवर्क संकुचन और नेटवर्क उपलब्धता में 3जी प्रचालकों के निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता करेंगे।

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012

2.6.4 दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012 को जारी किया। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी टेलीमार्केटर को प्रचारक संसाधनों के माध्यम से यूसीसी भेजने के लिए कॉली सूची में डाला जाता है, तो केवल प्रचारक संदेश भेजने के लिए इसको प्रदान किए गए दूसरंचार संसाधन वियोजित किए जाएंगे, तथापि, यदि टेलीमार्केटर को लेन–देन से संबंधित संदेशों के लिए इसको आवंटित दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों को भेजने के लिए कॉली सूची में डाला जाता है, तो लेन–देन संबंधी संदेशों और प्रचारक संदेशों को भेजने के लिए, उसको प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 08 जून, 2012

2.6.5 कतिपय लाइसेंसधारियों के स्पेक्ट्रम के आवंटन को अवैध और उनके लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा के दिनांक 02 फरवरी, 2012 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रभावित उपभोक्ताओं, जिनकी नेटवर्क पर सदस्यता 90 दिन से कम है, के द्वारा नंबरों की पोर्टिंग में सुविधा देने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमों का तीसरा संशोधन जारी किया।

मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाएं (संशोधन), 2012, दिनांक 18 सितंबर, 2012

2.6.6 हितधारकों से टिप्पणी/प्रति टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 12.10.2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर आईएन विनियमों में संशोधन मसौदे को अपलोड किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर दिनांक

18.09.2012 को दिनांक 27.11.2006 के आईएन विनियमों के लिए संशोधन जारी किया गया था। यह संशोधन सेवा प्रदाताओं को आईएन सेवाओं के लिए समयबद्ध तरीके से करार करने की सुविधा देगा। यह लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्चुअल कॉलिंग कार्ड (वीसीसी) जारी करने के लिए लाभदायक होगा। वीसीसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच करार के पश्चात उपभोक्ता एनएडीओ/आईएलडीओ द्वारा जारी कॉलिंग कार्ड का प्रयोग करके एसटीडी/आईएसडी कॉल करने में समर्थ होंगे।

दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 18 सितंबर, 2012

2.6.7 पोर्ट दो नेटवर्क के बीच में अंतःसंयोजन की स्थापना के लिए अनिवार्य भाग है। पोर्ट को दो अंतःसंयोजन वाले नेटवर्कों के बीच इनग्रेस और इग्रेस के ट्रैफिक के लिए अंतःसंयोजन का बिन्दु (पीओआई) प्रदान करने के लिए किसी स्विच/एक्सचेंज में समाप्ति के स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पोर्ट प्रभार, अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क इंटरफेस पर अंतःसंयोजन संपर्कों को समाप्त करने के लिए अंतःसंयोजन सेवा प्रदाता को अंतःसंयोजन लेने वाले द्वारा देय होते हैं।

शुरू में पोर्ट प्रभार वर्ष 1999 में भादूविप्रा द्वारा निर्धारित किए गए थे और इनको दिसंबर, 2001 में ''दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 जारी करके संशोधित किया गया। इन प्रभारों को बाद में फरवरी, 2007 में संशोधित किया गया था। पोर्ट प्रभारों की और आगे समीक्षा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा 09.05.2012 को परामर्श पत्र जारी किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणी/प्रति टिप्पणी और आगे आंतरिक विश्लेषण के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 18.09.2012 को विनियमों के लिए दूसरा संशोधन जारी किया। संशोधन में टेनडेम/टीएएक्स स्विच में पोर्ट प्रदान करने के लिए 10,000 रुपए प्रति पोर्ट प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की गई है और एमएससी में पोर्ट प्रदान करने के लिए 4,000 रुपए प्रति पोर्ट प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की गई है। संशोधित पोर्ट प्रभार 01 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी हुए।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 19 सितंबर, 2012

2.6.8 भादूविप्रा को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उपभोक्तओं ने सूचित किया है कि उनके पोर्टिंग अनुरोधों को अवैध आधारों पर डोनर ऑपरेटरों द्वारा खारिज किया गया है। एक्सेस प्रदाताओं द्वारा एमएनपी विनिमयों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने विनियमों को संशोधित किया है और जहां पोर्टिंग अनुरोधों को खारिज करना और विनियमों में निर्दिष्ट समय–सीमा में भी उल्लंघन

प्रमाणित होता है, उनमें वित्तीय निरुत्साहन लगाने के प्रावधान को शामिल किया है। ऐसे मामलों, जिनमें सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा में भादूविप्रा द्वारा अंतर देखा जाता है, तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए अधिकतम 5,000/–रुपए तक की राशि का वित्तीय निरुत्साहन लगाया जाएगा, जब कि ऐसे मामलों जिनमें सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को खारिज करने का उल्लंघन प्रमाणित होता है, उनमें प्रत्येक खारिज के लिए अधिकतम 10,000/–रुपए तक की राशि का वित्तीय निरुत्साहन लगाया जाएगा।

लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 15 अक्तूबर, 2012

2.6.9 लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 में सेवा प्रदाताओं द्वारा विनिर्धारित रिपोर्टों को देरी से प्रस्तुत करने या रिपोर्टों में अपूर्ण/गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए निरुत्साहन का प्रावधान नहीं है। 11 अप्रैल, 2012 में अधिसूचित लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति विनियम, 2012 (2012 का 7) के विनियम 5 के तहत पूर्ण और सही रिपोर्टें समय पर प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने महसूस किया कि चूककर्ता सेवा प्रदाताओं पर कुछ वित्तीय निरुत्साहन लगाया जाना चाहिए।

तदनुसार, चूककर्ता सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन लगाने के लिए नया विनियम 5क अंतःस्थापित करने के लिए 15 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र में लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग पद्धति (संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 20) अधिसूचित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन एक्सेस अनिवार्य सुविधाएं (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 19 अक्तूबर, 2012

2.6.10 उचित और गैर–भेदमूलक निबंधन और शर्तों पर संकीर्ण स्थान सुविधा के लिए एक्सेस को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, इस संशोधन के माध्यम से उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं ताकि एक्सेस सुविधा प्रभार, सह–स्थान प्रभार और अन्य संबंधित प्रभार, जैसे रद्दीकरण प्रभार और बहाली प्रभारों को अब प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 22 अक्तूबर, 2012

2.6.11 दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (टीसीपीआर), दिनांक 06 जनवरी, 2012 ने वाउचरों की केवल तीन श्रेणियों नामतः प्लान वाउचर, टॉप–अप और एसटीवी की अनुमति दी। बहुत से सेवा प्रदाताओं और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मांग रही है कि वाउचरों की चौथी श्रेणी (कॉम्बो वाउचरों) की अनुमति दी जाए। कॉम्बो वाउचर टीसीपीआर के तहत वाउचरों की अतिरिक्त श्रेणी होगी, जो एकल वाउचर के माध्यम से मौद्रिक मूल्य और प्रशुल्क रियायत प्रदान करेगी। ऐसे वाउचर सेवा

प्रदाता को बाजार खंडीकरण पर आधारित उत्पादों की नवीन बंडलिंग प्रस्तुत करने के लिए अधिक लोचशीलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, कॉम्बो वाउचरों का प्रयोग उपभोक्ता को अतिरिक्त मौद्रिक मूल्य खरीदने के साथ–साथ एकल लेन–देन के माध्यम से विशेष प्रशुल्क का लाभ लेने में समर्थ बनाएंगे। इसलिए, भादूविप्रा ने कॉम्बो वाउचरों की अनुमति देते हुए 22 अक्तूबर, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2012 जारी किया।

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012

2.6.12 भादूविप्रा ने यूसीसी के खतरे को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में बहुत से उपाय किए हैं। दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012, विशेष रूप से गैर–पंजीकृत टेलीमार्किटरों से वाणिज्यिक एसएमएस से संबंधित विनियामक तंत्र को और कड़ा करने के लिए जारी किया है। गैर–पंजीकृत टेलीमार्किटरों के द्वारा थोक प्रचारक एसएमएस भेजने के लिए एसएमएस पैक या प्रशुल्क प्लानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रियायती दर पर प्रति सिम एक सौ एसएमएस प्रतिदिन से अधिक भेजने के लिए मूल्य नियंत्रण रखा गया है। उपभोक्ता, इस संख्या से अधिक एसएमएस भेजने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, प्रति सिम एक सौ एसएमएस प्रतिदिन से अधिक भेजे गए ऐसे सभी एसएमएस का प्रभार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित दर की तुलना में कम दर पर नहीं होगा।

बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 08 नवंबर, 2012

2.6.13 सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने उन सेवा प्रदाताओं, जो बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बैंचमार्कों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, पर वित्तीय निरुत्साहन लगाने के लिए 08 नवम्बर, 2012 को बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जारी किया गया। ये विनियम, नेटवर्क सेवा की गुणवत्ता पैरामीटरों और उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए बैंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर वित्तीय निरुत्साहन भी विनिर्धारित करते हैं। विनियमों में और आगे सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों की गलत और देरी से रिपोर्टिंग के संबंध में निवारक प्रावधान किया गया है।

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 27 नवंबर, 2012

2.6.14 दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम के लिए पांचवा संशोधन, उस तारीख को निर्दिष्ट करता है, जिससे चौथे संशोधन विनियम, दिनांक 20 अक्तूबर, 2012 में विनिर्धारित प्रावधान प्रभावी होंगे।

वायरलैस डाटा सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012, दिनांक 04 दिसंबर, 2012

2.6.15 सेवा प्रदाता 3जी सेवाओं को रोल आउट कर रहे हैं और ये सेवाएं वर्तमान में सभी सेवा क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के रोल आउट के साथ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा में वृद्धि की दर में वायरलाइन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक वृद्धि होगी। चूंकि मोबाइल डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का कोई मानक नहीं था, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि मोबाइल डाटा सेवाओं के सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा के बैंचमार्क और सेवा की गुणवत्ता की निगरानी की जाए। अतः भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने हेतु 10 जुलाई, 2012 को विनियमों का मसौदा जारी किया। 10 अक्तूबर, 2012 को खुला मंच चर्चा आयोजित की गईं। टिप्पणी और चर्चाओं के आधार पर भादूविप्रा ने 04 दिसंबर, 2012 को वायरलैस डाटा सेवाओं के लिए गुणवत्ता के मानक जारी किए।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन एक्सेस सुविधा के लिए प्रभार और सह–स्थान प्रभार विनियम, 2012, दिनांक 21 दिसंबर, 2012

2.6.16 भादूविप्रा ने 07.06.2007 को "अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस के लिए अनिवार्य सुविधा पर केबल लैंडिंग स्टेशन विनियम" जारी किया। वर्ष 2007 में प्राधिकरण के अनुमोदन से केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों ने एक्सेस सुविधा प्रभारों (एएफसी) को प्रकाशित किया (क) जब केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) को एक्सेस प्रदान की जाती है, और (ख) जब सीएलएस के पास स्थान उपलब्ध नहीं होता, तब वैकल्पिक अवस्थिति पर। एएफसी को चालू लागत और उपयोग के साथ सीध में लाने के मद्देनजर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 22.03.2012 को परामर्श पत्र जारी किया। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत डाटा के आधार पर प्राधिकरण ने केबल लैंडिंग स्टेशन और वैकल्पिक अवस्थिति में चार क्षमताओं में एक्सेस सुविधा प्रभारों को विनिर्दिष्ट किया है। ये प्रभार, प्रचलित प्रभारों की तुलना में काफी कम है और इनके फलस्वरूप निम्न की संभावना है:–

- बीपीओ/कॉल सेंटरों, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदाताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किटों (आईपीएलसी) के मूल्य में कटौती।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के तेजी से विकास के लिए आईएलडीओ/आईएसपी को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की उपलब्धता।

- प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वॉयस/डाटा का अंतर्राष्ट्रीय कैरिज।
- अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ खंड में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 24 दिसंबर, 2012

2.6.17 ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 24 दिसंबर, 2012 को जारी किया गया था। इन विनियमों का उद्देश्य ब्रॉडबैंड सेवा के लिए विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के बैंचमार्कों को पूरा करने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन विनिर्धारित करना है। विनियमों ने सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों के बैंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन विनिर्धारित किए हैं। विनियमों में सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों की गलत और देरी से रिपोर्टिंग के विरुद्ध निवारक का प्रावधान भी किया गया है।

उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013, दिनांक 21 फरवरी, 2013

2.6.18 भादूविप्रा ने 21 फरवरी, 2013 को उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 जारी किया, जिनमें नियमित परस्पर अन्योन्यक्रिया के माध्यम से दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ परस्पर संपर्क के लिए उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए तंत्र विनिर्धारित किया गया है।

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 21 फरवरी, 2013

2.6.19 प्राधिकरण ने 21 फरवरी, 2013 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया, ताकि सिम की असक्रियता के मामले में टीएसपी की प्रमुख चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मोबाइल उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। विनियम, अन्य बातों के साथ–साथ, अधिदेश देता है कि ऐसे मामलों, जिनमें टीएसपी का प्रयोग न किए जाने के आधार पर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की असक्रियता के लिए शर्त विनिर्धारित करता है, उनमें निम्नलिखित विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए :–

(i) प्री–पेड उपभोक्ताओं का मोबाइल कनेक्शन 90 दिन से कम प्रयोग न किए जाने की किसी अवधि के लिए असक्रिय नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रयोग के प्रयोजन के लिए वॉयस कॉल/वीडियो कॉल (इनकमिंग या आउटगोइंग) या आउटगोइंग एसएमएस या डाटा प्रयोग या मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रयोग, या किराए का भुगतान (पोस्टपेड कनेक्शन के मामले में) निश्चित रूप से गतिविधि के कार्य क्षेत्र में आएगा, सेवा प्रदाता किसी अन्य गतिविधि को भी विनिर्धारित कर सकता है।

(iii) यदि उपभोक्ता के प्री–पेड खाते में 20/–रुपए या अधिक का शेष है, तो कोई असक्रियता नहीं की जाएगी।

(iv) समुचित प्रभारों के भुगतान पर प्री–पेड उपभोक्ताओं के लिए ''स्वचालित नंबर प्रतिधारण स्कीम'' क्रियान्वित की जाएगी।

(v) कोई उपभोक्ता, जिसका कनेक्शन असक्रिय किया जाता है, को 15 दिन की रियायती

अवधि दी जाएगी, जिसके अंदर वह उसी नंबर को पुनः सक्रिय करा सकता है।

(vi) उपभोक्ताओं को प्रयोग न किए जाने के कारण सिम की असक्रियता के निबंधन और शर्तों को पारदर्शी रूप से संप्रेषित किया जाएगा।

विनियमों ने समुचित प्रभार के भुगतान पर पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के लिए ''सुरक्षित अभिरक्षा स्कीम'' के कार्यान्वयन का भी आदेश दिया। ऐसे उपभोक्ताओं को सुरक्षा अभिरक्षा की अवधि के दौरान मासिक किराया अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 25 मार्च, 2013

2.6.20 प्राधिकरण ने 25 मार्च, 2013 को सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया, जिसमें मीटर से मापन और बिल तैयार करने में विश्लेषण के कार्यान्वयन में और प्रभाविता लाने के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं के मीटर से मापन और बिल तैयार करने की लेखापरीक्षा के लिए संशोधित तंत्र विनिर्धारित किया गया है। विनियमों में आदेश दिया गया है कि सेवा प्रदाता, भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित लेखापरीक्षकों में से, किसी एक के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपने मीटर से मापन और बिल तैयार करने की प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करें और उसका लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र भादूविप्रा को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रस्तुत करें। विनियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि प्रमाण पत्र में किन्हीं अपर्याप्तताओं का उल्लेख किया जाता है, तो सेवा प्रदाताओं को उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 नवम्बर तक भादूविप्रा के पास दाखिल करनी होगी। इसके अलावा, इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देरी के लिए 1,00,000/–रुपए प्रति सप्ताह की

''सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) विनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा'' पर 09 जनवरी,2013 को आयोजित खुला मंच चर्चा

दर से वित्तीय निरुत्साहन और गलत या अपूर्ण सूचना के लिए 10,00,000/–रुपए की राशि तक(से अनधिक) प्रति की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर वित्तीय निरुत्साहन भी विनिर्धारित किया है।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

- दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2012
- दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (पहला संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012
- सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012
- उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012
- सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 22 मार्च, 2013

दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2012

2.6.21 भादूविप्रा ने 30 अप्रैल, 2012 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 जारी किए हैं। अंतःसंयोजन विनियम की मुख्य विशेषताएं हैं :–

(i) प्रसारणकर्ता हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में चैनलों, जैसा भी मामला हो, के लिए 01.01.2013 या 01.04.2013 से ''मस्ट कैरि'' प्रावधान का उपयोग करेंगे।

(ii) एमएसओ के लिए प्रसारणकर्ता द्वारा प्रभारित राशि से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेगा। वे गैर–एड्रेबेसल प्रणाली में प्रभार की दर से अधिकतम 42 प्रतिशत की दर से प्रभार लगा सकते हैं।

(iii) प्राधिकरण ने कैरिज शुल्क से संबंधित मुद्दे का समाधान किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एमएसओ द्वारा डिजिटल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निवेश किया जाता है और चैनलों के कैरिज शुल्क में अंतर्ग्रस्त लागत को देखते हुए प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक एमएसओ वहन शुल्क निश्चित कर सकता है। तथापि, इसे संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसे एक समान, गैर–भेदमूलक और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कैरिज शुल्क को न्यूनतम दो वर्षों के लिए ऊपर की ओर (वृद्धि करने के लिए) संशोधित नहीं किया जा सकता। यदि यह महसूस किया जाता है कि कैरिज शुल्क अनुचित है, तो प्राधिकरण हस्तक्षेप करेगा।

दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012

2.6.22 भादूविप्रा ने 14 मई, 2012 को डीएएस के लिए मौजूदा अंतःसंयोजन विनियम, 2012 के लिए संशोधन जारी किया। अंतःसंयोजन विनियमों के संशोधन की मुख्य विशेषताएं हैं :–

(i) मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर, प्रसारणकर्ता से किसी प्लेसमेंट फीस की मांग नहीं करेगा।

(ii) किसी मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर के द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत अंतःसंयोजन प्रसंग में उन मूल सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए, जिसके आधार पर प्रसारणकर्ता द्वारा देय कैरिज शुल्क निर्धारित किया गया है।

(iii) प्रत्येक प्रसारणकर्ता अपने चैनलों की शैली, जो या तो समाचार और समसामयिक मामलों या सूचनात्मक या खेल या बच्चों के लिए या संगीत या जीवनशैली या मूवी या धार्मिक/भक्तिपूर्ण या सामान्य मनोरंजन (हिंदी) या सामान्य मनोरंजन (अंग्रेजी) या सामान्य मनोरंजन (क्षेत्रीय भाषा) हो सकती है, घोषित करेगा।

(iv) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में, उसके द्वारा दिए गए सभी चैनल उसी शैली में देगा जिसमें कोई विशेष चैनल प्रसारणकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और एक चैनल केवल एक शैली में प्रदर्शित करेगा।

सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012

2.6.23 भादूविप्रा ने 14 मई, 2012 को ''सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 जारी किए हैं। सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियमों की मुख्य विशेषताएं हैं :–

(i) सेवाएं, जैसे कि कनेक्शन वियोजन, सेट टॉप बॉक्स को बदलना या वापसी आदि प्रदान करने के लिए सभी ब्यौरे देते हुए मानक आवेदन फार्म का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ii) उपभोक्ता को सेवाओं के वियोजन के लिए न्यूनतम 15 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, उपभोक्ता द्वारा वियोजन के लिए अनुरोध करने के लिए, न्यूतनम 15 दिन का पूर्व नोटिस देगा।

(iii) न्यूनतम एक महीने से अधिकतम तीन महीनों की अवधि के लिए उपभोक्ता के अनुरोध पर निलंबित कनेक्शन के मामले में एसटीबी के लिए किरायों को छोड़कर कोई प्रभार प्रभारित नहीं किए जाने चाहिए।

(iv) ऑपरेटर, पद्धति के नियम प्रकाशित करेगा और नामांकन के समय उपभोक्ता को भी इसे प्रदान करेगा। पद्धति की नियमावली हिंदी और अंग्रेजी के अलावा राज्य की भाषा, जहां केबल सेवाएं प्रदान की जाती है, में होनी चाहिए।

(v) उपभोक्ता शिकायतों पर 8 घंटे के अंदर प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

(vi) यदि शिकायतकर्ता, शिकायत केंद्र के माध्यम से उसकी शिकायतों के समाधान से संतुष्ट न हो तो, वह ऑपरेटर के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

(vii) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर, केबल टीवी सेवाओं को प्री–पेड और पोस्ट पेड भुगतान के विकल्प के साथ प्रस्तुत करेगा और उपभोक्ताओं को बिल देने के लिए जिम्मेदार होगा।

(viii) ऑपरेटर, उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स के लिए तीन स्कीमें नामतः सुस्पष्ट खरीद, किराया–खरीद और किराया का प्रस्ताव करेगा।

(ix) सुस्पष्ट खरीद स्कीम के तहत उपभोक्ता द्वारा अधिगृहीत सेट टॉप बॉक्सों के लिए न्यूनतम एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जानी चाहिए।

(x) उपभोक्ता द्वारा सेट टॉप बॉक्स को अभ्यर्पित करने के सात दिन के अंदर सेट टॉप बॉक्सों के लिए प्रतिभूति जमा वापस की जानी चाहिए।

(xi) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर की वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें पेश की जा रही सेवाएं, पेश की जा रही सेवाओं की दरों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

(xii) मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और केबल टीवी ऑपरेटर इन विनियमों के प्रावधानों की मुख्य विशेषताओं के बारे में जनता में जागरूकता अभियान चलाएंगे।

उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012, दिनांक 14 मई, 2012

2.6.24 भादूविप्रा ने 14 मई, 2012 को डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र जारी किया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं :–

(i) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या उसका संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, सेवाएं प्रदान करने से पहले शिकायतों के निवारण और उपभोक्ताओं के सेवा अनुरोधों के निवारण के लिए अपने सेवा क्षेत्र में शिकायत केंद्र स्थापित करेगा।

(ii) ग्राहक सेवा नंबर टोल फ्री होना चाहिए और इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या उसका संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर वेब आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा ताकि उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति की निगरानी करने में समर्थ बनाया जा सके।

(iv) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या उसका संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर प्रत्येक राज्य, जिसमें यह सेवाएं प्रदान कर रहा है, में एक या अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त या नामित करेगा।

(v) मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या उसके संबद्ध केबल ऑपरेटर को डिजिटल एड्रेसेबल केबल

टीवी के उपभोक्ताओं का चार्टर प्रकाशित करना होगा, जिसमें उनको प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में आवश्यक सभी ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए।

सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 22 मार्च, 2013

2.6.25 भादूविप्रा ने 22 मार्च, 2013 को ''सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013'' पर विनियम अधिसूचित किया। यह विनियम, प्रसारणकर्ताओं को मौजूदा विनियमों में यथाविनिर्धारित किए अनुसार, किसी एक घंटे में, अधिकतम 12 मिनट के लिए उनके चैनलों में विज्ञापनों की अवधि को प्रतिबंधित करने का आदेश देता है। इन विनियमों की निगरानी और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रसारणकर्ताओं को यह आदेश दिया गया है कि उनके चैनलों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की अवधि की रिपोर्ट प्राधिकरण को, प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित प्रोफार्मा में तिमाही आधार पर देनी होगी।

2.7 वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रशुल्क आदेश जारी किए।

- दूरसंचार प्रशुल्क (50वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 19 अप्रैल, 2012
- दूरसंचार प्रशुल्क (51वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 20 अप्रैल, 2012
- दूरसंचार प्रशुल्क (52वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 19 सितंबर, 2012
- दूरसंचार प्रशुल्क (53वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 01 अक्तूबर, 2012
- दूरसंचार प्रशुल्क (54वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012

सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम पर'' 23 नवंबर, 2012 को आयोजित खुला मंच चर्चा

दूरसंचार प्रशुल्क (50वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

2.7.1 टॉप–अप वाउचरों की कतिपय श्रेणियों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क पर अधिकतम सीमा को 2/–रुपए से 3/–रुपए तक बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल, 2012 को दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के लिए 50वां संशोधन जारी किया गया।

दूरसंचार प्रशुल्क (51वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 20 अप्रैल, 2012

2.7.2 उपभोक्ता को चयन में सुविधा देने के लिए, दूरसंचार प्रशुल्क आदेश,1999 (51वां संशोधन) प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा "प्रति सेकंड पल्स दर" के प्रावधान का आदेश देता है। इस संशोधन के पश्चात, सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि एक सेकंड की एकसमान पल्स दर के साथ पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों उपभोक्ताओं के लिए कम से कम प्रत्येक के लिए एक प्रशुल्क प्लान प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्रस्तुत करें।

यह संशोधन, वर्तमान उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) टैरिफ में संशोधन लागू करने के लिए सेवा प्रदाताओं को लचीलेपन की अल्प गुजांइश प्रदान करते समय, यह उपबंध करता है कि आईएलडी टैरिफों में कोई भी संशोधन, नए व साथ ही साथ वर्तमान उपभोक्ताओं पर, समान रूप से लागू होगा और, वर्तमान उपभोक्ता भी निःशुल्क अथवा रियायती आईएलडी उपयोग प्रभारों का प्रावधान करने वाले किसी भी प्रकार के स्पेशल पैकों में अभिदान करने के लिए पात्र बने रहेंगे।

दूरसंचार प्रशुल्क (52वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 19 सितंबर, 2012

2.7.3 विनियामक आदेशों के अनुपालन में सुधार करने के उद्देश्य से 19 सितंबर,2012 को दूरसंचार प्रशुल्क (52वां संशोधन) आदेश अधिसूचित किया गया, जिसमें निम्नलिखित स्थितियों में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन के लिए प्रावधान किया गया है:–

(i) **प्रशुल्क रिपोर्ट करने में देरी पर वित्तीय निरुत्साहन** : यदि कोई सेवा प्रदाता टीटीओ 1999 के तहत यथा परिकल्पित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो यह वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, जैसा कि प्राधिकरण आदेश के द्वारा निदेशित करे, दो लाख रुपए की अधिकतम राशि की शर्त के अधीन, विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए 5 हजार रुपए की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) **टैरिफ की सूचना प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय निरुत्साहन** : यदि कोई सेवा प्रदाता, टीटीओ, 1999 में परिकल्पित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण के आदेश के द्वारा जैसा भी निदेश दिया जाए, के अनुसार अधिकतम दो लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए वित्तीय निरूत्साहन के रूप में पांच हजार रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दूरसंचार प्रशुल्क (53वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 01 अक्तूबर, 2012

2.7.4 01.01.2012 को अधिसूचित, इस प्रशुल्क आदेश में यह आदेश दिया गया है कि टॉप–अप वाउचरों पर लगाया जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क, अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिकतम 10 प्रतिशत या तीन रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। अधिकतम प्रशुल्क को क्रियान्वित करने में कठिनाइयों और परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 53वें संशोधन द्वारा निर्णय लिया कि, की गई कॉल और प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और मतदान में भाग लेने के लिए भेजे गए एसएमएस के लिए प्रशुल्क को स्थगन के तहत रखा जाए।

दूरसंचार प्रशुल्क (54वां संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012

2.7.5 05.11.2002 को अधिसूचित यह प्रशुल्क आदेश अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों (यूसीसी), विशेष रूप से गैर–पंजीकृत टेलीमार्केटरो से वाणिज्यिक एसएमएस के खतरों को नियंत्रित करने के लिए, विनियामक तंत्र को कड़ा करने के लिए और उपायों को विनिर्धारित करता है। प्रशुल्क आदेश के अनुसार 100 एसएमएस प्रतिदिन/प्रति सिम से आगे,प्रत्येक एसएमएस के लिए 50 पैसे से कम प्रभारित नहीं किया जाएगा।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क (पहला संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2012

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क (पहला संशोधन) आदेश, 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2012

2.7.6 भादूविप्रा ने 30 अप्रैल, 2012 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क (पहला संशोधन) आदेश, 2012 जारी किया। प्रशुल्क आदेश की मुख्य विशेषताएं हैं :–

(i) उपभोक्ता को सभी चैनल (पे और फ्री–टु–एयर) अलग–अलग आधार पर पेश किए जाएं।

(ii) एक बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) होगा, जिसमें न्यूनतम 100 फ्री–टु–एयर चैनल होंगे, जिनमें प्रत्येक शैली के कम से कम 5 चैनल नामतः समाचार और समसामयिक मामले, सूचनात्मक, खेल, बच्चों के लिए, संगीत, जीवन शैली, फिल्में और हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में सामान्य मनोरंजन होगा। सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के 18 चैनल और लोकसभा चैनल बीएसटी का भाग होगा। यद्यपि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) को बुनियादी सेवा टियर पेश करना अनिवार्य होगा, फिर भी उपभोक्ता के लिए बीएसटी को अभिदत्त करना बाध्यकारी नहीं है। इसकी बजाए उपभोक्ता अधिकतम 100 एफटीए चैनलों का स्वयं का पैकेज बना सकता है। किसी भी दशा में, एमएसओ, उपभोक्ता से 100/–रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं ले सकता।

(iii) उपभोक्ता के लिए, बीएसटी या एक या अधिक एफटीए चैनलों या एक या अधिक पे चैनलों या एमएसओ द्वारा पेश किए गए बुके या इनके किसी मिश्रण को अभिदत्त करना, खुला होगा।

(iv) यदि उपभोक्ता एफटीए चैनल(लों) के साथ या इनके बिना पे–चैनल(लों) का चयन करता है, तो एमएसओ 150/–रुपए से अनधिक न्यूनतम मासिक अंशदान निश्चित कर सकता है। यदि उपभोक्ता द्वारा चुने गए चैनलों/बुके का कुल मूल्य 150/–रुपए से अधिक हो जाता है, तो वास्तविक प्रभार अदा करना होगा।

(v) डिजिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को प्रचुर चयन के साथ–साथ, उसकी अदा करने की क्षमता के अनुसार उसके अभिदान बजट के लिए समर्थ बनाया जाए। तदनुसार, प्राधिकरण ने एमएसओ को आदेश दिया है कि 01.01.2013 से न्यूनतम 500 चैनल रखे जाएं। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे एमएसओ, जिनके 25000 से कम उपभोक्ता हैं, को क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, उनको 01.04.2013 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, प्राधिकरण ने यह विनिर्धारित किया है कि प्रत्येक एमएसओ के पास 01 जुलाई, 2012 से 200 चैनल की न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए। प्राधिकरण को आशा है कि चरण–2 से आगे के क्षेत्रों में प्रचालन करने वाले सभी एमएसओ चैनल वहन क्षमता को 500 चैनलों तक बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे।

(vi) केवल वे एमएसओ, जिनके पास अपेक्षित क्षमता है, जैसा ऊपर बताया गया है, ''अवश्य प्रदान'' खंड का आह्वाहन कर सकते हैं। प्रसारणकर्ता ऐसे एमएसओ को अपने चैनल प्रदान नहीं करेंगे, जिनकी तत्काल 200 चैनलों से कम चैनल वहन करने की क्षमता है और छोटे एमएसओ के मामले में 01.01.2013 या 01.04.2013 से 500 चैनल से कम चैनल वहन करने की क्षमता है।

(vii) एमएसओ खुदरा प्रशुल्क और पैकेज या मूल्य पेशकशों को भी निश्चित कर सकते हैं। तथापि, चैनलों की अलग–अलग दरों की राशि, जो बुके का भाग है, बुके की दर से 1.5 गुना से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, किसी चैनल की अलग–अलग दर, बुके की औसत चैनल दर से 3 गुना से अधिक नहीं होगी।

(viii) जुलाई, 2010 के प्रशुल्क आदेश में यह प्रावधान है कि एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्सा पारस्परिक बातचीत पर आधारित होगा। प्राधिकरण ने अब यह निर्धारित किया है कि यदि परस्पर बातचीत विफल हो जाती है, तो बीएसटी या एफटीए चैनलों के लिए राजस्व हिस्सा 55:45 (एमएसओ : एलसीओ) के अनुपात में होगा। पे–चैनलों या एफटीए चैनलों के साथ या उनके बिना पे–चैनलों के बुके के लिए राजस्व हिस्सा 65:35 (एमएसओ : एलसीओ) के अनुपात में होगा।

2.8 भादूविप्रा ने अपने आदेशों/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:–

दूरसंचार क्षेत्र

- एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस और उपभोक्ताओं को ''सेवा को जारी रखने'' की निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स एस टेल प्राइवेट लिमिटेड को 11 अप्रैल, 2012 का निर्देश।
- एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस और उपभोक्ताओं को ''सेवा को जारी रखने'' के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 11 अप्रैल, 2012 का निर्देश।
- सेवा प्रदाताओं को मीटर से मापन और बिल तैयार करने की लेखापरीक्षा से उठने वाले मुद्दों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 और दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के तहत दिनांक 12 जून, 2012 का निर्देश।
- गैर–वाणिज्यिक संप्रेषण के लिए दो सौ एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन की सीमा से छूट के संबंध में एफ सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) दिनांक 27 सितंबर, 2011 द्वारा जारी निर्देश का दूसरा संशोधन, दिनांक 26 जून, 2012।
- ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना पारदर्शी तरीके से प्रदान करने में ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 जुलाई, 2012 का निर्देश।
- देश के बाहर से उत्पन्न होने वाली मिस्ड कॉल (वानगिरी कॉल) पर सेवा प्रदाताओं को 7 सितंबर, 2012 का निर्देश।
- ब्लैक आउट दिवसों पर प्रभार लगाने के मामले में उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पारदर्शिता उपायों को विनिर्धारित करते हुए, दिनांक 14 सितंबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज़ को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स वोडाफोन को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।

- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स आइडिया को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स एयरसेल को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- वैध यूपीसी के बिना मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए मैसर्स भारती एयरटेल को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश।
- मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य विनियम, 2006, दिनांक 27 नवंबर, 2006 में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 06 नवम्बर, 2012 का निर्देश।
- मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य विनियम, 2006, दिनांक 27 नवंबर, 2006 में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड को 06 नवम्बर, 2012 का निर्देश।
- मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य विनियम, 2006, दिनांक 27 नवंबर, 2006 में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल को 6 नवम्बर, 2012 को निर्देश।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामों के अनुसरण में सेवा बंद करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का निर्देश।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामों के अनुसरण में सेवा बंद करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन क्म्युनिकेशन्स लिमिटेड को दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का निर्देश।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामों के अनुसरण में सेवा बंद करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मैसर्स यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का निर्देश।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामों के अनुसरण में सेवा के बंद करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का निर्देश।
- मैसर्स यूनीटेक के उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा के संबंध में मैसर्स यूनीटेक/सभी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन प्रदाताओं/एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद लाइसेंसधारियों, जिन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं, के पोर्टिंग लेन–देन रोकने के लिए, दिनांक 11 मार्च, 2013 का निर्देश।

एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस, नेटवर्क कनेक्टिविटी को बहाल करना, सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखना और उपभोक्ताओं को सेवा जारी रखने को सुनिश्चित करने हेतु निबंधन और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स ईटीसलत और मैसर्स एस0 टेल को दिनांक 11 अप्रैल, 2012 का निर्देश

2.8.1 निर्देश, मैसर्स ईटीसलत और मैसर्स एस0 टेल के संदर्भ में था, जिन्होंने एकतरफा रूप से उनके लाइसेंसों को रद्द करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए, अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं। तथापि, माननीय न्यायालय के आदेश भावी तारीख से प्रभावी होने थे और इसलिए सेवा प्रदाताओं को, उस तारीख तक लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन करना था। अतः जब तक कि इन सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस प्रचालनात्मक बने हुए थे, तब तक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए निदेश जारी किया गया।

सेवा प्रदाताओं के मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने की लेखापरीक्षा से उठने वाले मुद्दों पर दिनांक 12 जून, 2012 का निर्देश

2.8.2 यह निर्देश, नंबर श्रृंखला और प्रशुल्क प्लानों के गलत संरूपण के कारण अधिक प्रभार से संबंधित मुद्दों का निवारण करना चाहता है। हालांकि प्राधिकरण ने इस निर्देश से आदेश दिया था कि सेवा प्रदाता विभिन्न मदों, एक नई नंबर श्रृंखला के संरूपण से संबंधित और दूसरा नए प्रशुल्क प्लानों के संरूपण से संबंधित, वाली दो मास्टर तालिकाओं को क्रियान्वित करें। मास्टर तालिका नई नंबर श्रृंखला और प्रशुल्क प्लान के संरूपण में देरी से बचने में सहायता करेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर गलत प्रभार लगाने की घटनाएं कम हो जाएंगी। मास्टर तालिकाएं बिल तैयार करने के उचित सत्यापन के लिए लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा पथ भी प्रदान करेगी।

गैर–वाणिज्यिक संप्रेषण के लिए दो सौ एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन की सीमा से छूट के संबंध में एफ सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) दिनांक 27 सितंबर, 2011 द्वारा जारी निर्देश का दूसरा संशोधन, दिनांक 26 जून, 2012

2.8.3 27.09.2011 के निर्देश के दूसरे संशोधन के माध्यम से गैर–वाणिज्यिक संप्रेषण श्रेणी के लिए दो सौ एसएमएस प्रति सिम प्रतिदिन से मैसर्स जाक्सटर एसएमएस, मैसर्स हाइक और मैसर्स लेटलोंग को छूट दी गई थी।

ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना पारदर्शी तरीके से प्रदान करने में ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 जुलाई, 2012 का निर्देश

2.8.4 ब्रॉडबैंड सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता के उद्देश्य से और दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए, निर्देश दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विभिन्न प्लानों और उचित प्रयोग नीति (एफयूपी) के बारे में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना पारदर्शी ढंग से ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था।

इस निर्देश के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया है कि वे उचित उपयोग नीति (एफयूपी) पर पर्याप्त सूचना प्रदान करें तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति

विनिर्दिष्ट न्यूनतम गति से नीचे कम न हो जाए और उपभोक्ताओं को प्लान के साथ डाटा प्रयोग सीमा बंडल के 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक उनके डाटा प्रयोग होने पर सतर्कता प्रदान की जाए।

देश के बाहर से उत्पन्न होने वाली मिस्ड कॉल (वानगिरी कॉल) पर सेवा प्रदाताओं को 07 सितंबर, 2012 का निर्देश

2.8.5 भादूविप्रा के ध्यान में यह आया है कि उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय अवस्थितियों से मिस्ड कॉल प्राप्त कर रहे हैं, जो उनको प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। जब उपभोक्ता नंबर पर वापस कॉल करने का प्रयास करता है, तो उसके खाते से काफी बड़ी राशि की कटौती की जाती है। निर्देश, ऐसी मिस्ड कॉल (वानगिरी कॉल के रूप में भी ज्ञात) से संबंधित मुद्दों का निवारण करना चाहता है। सेवा प्रदाताओं को केवल प्रीपेड उपभोक्ताओं को आईएसडी कनेक्शन उनकी सहमति से प्रदान करने, उपभोक्ताओं को 60 दिन के अंदर आईएसडी सुविधा के लिए अपनी सहमति देने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित करने, उन प्रीपेड उपभोक्ताओं की आईएसडी सुविधा, जिन्होंने सहमति नहीं दी है, बंद करने और आईएसडी को शुरू व बंद कराने का आसान विकल्प प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

ब्लैक आउट दिवसों पर प्रभार लगाने के मामले में उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पारदर्शिता उपायों को विनिर्धारित करते हुए, दिनांक 14 सितंबर, 2012 का निर्देश

2.8.6 दिनांक 14 सितंबर, 2012 के निर्देश के माध्यम से भादूविप्रा ने ब्लैक आउट दिवसों पर प्रभार लगाने के मामले में पारदर्शिता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उपाय विनिर्धारित किए। ''ब्लैक आउट दिवसों'' शब्द उन दिनों का उल्लेख करता है, जिनमें सेवा प्रदाताओं ने किसी प्लान/पैकेज के तहत उनके द्वारा मुफ्त या रियायती वॉयस कॉल/एसएमएस की अनुमति नहीं दी। कतिपय दिशानिर्देश पहले ही थे, जिनमें आदेश दिया गया है कि किसी कैलेंडर वर्ष में ब्लैक आउट दिवसों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी और यह कि उपभोक्ता द्वारा पैकेज को अभिदत्त करने के पश्चात, ऐसी किसी तारीख को बदलने की अनुमति नहीं होगी। अब आदेशित किए गए अतिरिक्त उपायों में शामिल हैं :–

(i) 'ब्लैक आउट'' दिवसों को कॉल या एसएमएस के लिए प्रभार उस प्रशुल्क प्लान, जिसमें उपभोक्ता नामांकित है, में दर से अधिक नहीं होगा,

(ii) उपभोक्ताओं को प्रत्येक ब्लैक आउट दिवस के शुरू होने से पहले पूर्व सूचना दी जाएगी और ब्लैक आउट दिन की तारीख/अवसर को सूचित किया जाना चाहिए, और

(iii) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के शुरू होने से पहले कैलेंडर वर्ष के लिए प्रयोज्य ब्लैक आउट दिवसों को सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक छह महीनों में सेवा प्रदाता की प्रशुल्क प्लानों सहित सेवा क्षेत्रवार प्रकाशित किया जाना चाहिए।

बिना वैध यूपीसी के मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड से पोर्टिड मोबाइल नंबरों के वियोजन के लिए (i) मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज, (ii) मैसर्स वोडाफोन, (iii) मैसर्स रिलायंस

टेलीकॉम लिमिटेड, (iv) मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स, (v) मैसर्स आइडिया, (vi) मैसर्स एयरसेल, और (vii) मैसर्स भारती एयरटेल को 15 अक्तूबर, 2012 का निर्देश

2.8.7 निर्देश का उद्देश्य, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कतिपय कदाचारों को नियंत्रित करना था, जिनमें वे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए थे, से प्रीमियम/रूचि वाले नंबरों की पोर्टिंग कर रहे थे।

मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य विनियम, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 (2006 का 13) में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए (i) मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), (ii) मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, और (iii) मैसर्स भारती एयरटेल को दिनांक 06 नवम्बर, 2012 का निर्देश

2.8.8 भादूविप्रा ने किसी एक्सेस प्रदाता के उपभोक्ताओं को किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही आईएन सेवाओं की एक्सेस की सुविधा देने के लिए 27 नवम्बर, 2006 को मल्टी ऑपरेटर मल्टी सेवा परिदृश्य विनियम, 2006 (2006 का 13) (जिसको इसके पश्चात आईएन विनियम कहा जाएगा) जारी किया था। आईएन सेवा विनियम, 2006 के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और यह कि कोई सेवा प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को मल्टी ऑपरेटर परिदृश्य में उपलब्ध उनके पसंद की मुफ्त फोन सेवाओं के एक्सेस के लिए मना नहीं करेगा, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) की उप–धारा (ii) (iii) (iv) (vi) और (vii) के साथ पठित धारा 13 के तहत निर्देश मैसर्स एमटीएनएल, मैसर्स भारती और मैसर्स रिलायंस को जारी किए गए थे।

केंद्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी के परिणामों के अनुसरण में सेवा के बंद करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए (i) मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, गुड़गांव, (ii) मैसर्स वीडियोकॉन कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, गुड़गांव, (iii) मैसर्स यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 17 दिसंबर, 2012 का निर्देश

2.8.9 मोबाइल ऑपरेटर, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रद्द हो गए थे और जिन्होंने सरकार द्वारा की गई नीलामी में स्पेक्ट्रम अधिगृहीत नहीं किया था, को अपनी सेवाएं 18 जनवरी, 2013 को या उससे पहले बंद करना अपेक्षित था। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए गए कि वे संबंधित क्षेत्रों में, या तो लिखित में या एसएमएस के माध्यम से, अपने सभी मौजूदा उपभोक्ताओं को सेवाओं के बंद करने की तारीख सूचित करें और नामांकन के समय प्रत्येक नए उपभोक्ता को भी सूचित किया जाए। इसका अभिप्राय, सेवाओं के सन्निकट बंद होने के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनको वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समर्थ बनाना था।

उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा के संबंध में मैसर्स यूनीटेक को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश

2.8.10 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 फरवरी, 2013 के आदेश/निर्णय के अनुसरण में मैसर्स यूनीटेक ने 15 क्षेत्रों, जिनमें मैसर्स यूनीटेक ने दूरसंचार विभाग द्वारा की गई नीलामी में कोई स्पेक्ट्रम अधिगृहीत नहीं किया था, में अपनी सेवाएं बंद कर दीं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता उनकी उपलब्ध शेष राशि की खपत नहीं कर सके और नेटवर्क के अचानक बंद होने के कारण मुंबई और कोलकाता में अन्य सेवा प्रदाता को अपने नंबर को पोर्ट करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं ले सके, इन सेवा क्षेत्रों में मैसर्स यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा के संबंध में सभी टीएसपी और एमएनपीएसपी को निर्देश जारी किया गया।

लाइसेंसधारियों, जिन्होंने दिनांक 11 मार्च, 2013 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं, के पोर्टिंग लेन–देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश

2.8.11 भादूविप्रा के ध्यान में यह लाया गया है कि सेवा प्रदाताओं, जिन्होंने न तो अपने प्रचालन शुरू किए थे और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुसरण में अपने प्रचालनों को बंद किया था, से संबंधित मोबाइल टेलीफोन नंबरों को पोर्ट किया जा रहा है। भादूविप्रा ने ऐसे सेवा प्रदाताओं से संबंधित मोबाइल टेलीफोन नंबरों के संबंध में सभी एमएनपी सेवा प्रदाताओं को प्रोसेस न करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पोर्टिंग के लिए अनुरोध को स्वीकार न करने के संबंध में निदेश दिया।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

- डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत एमएसओ को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश
- डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत स्थानीय केबल ऑपरेटरों को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश

डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत एमएसओ को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश

2.8.12 डीएएस कार्यान्वयन के चरण–1 के तहत कवर किए गए अधिसूचित डीएएस क्षेत्रों में डीएएस के माध्यम से केबल टीवी प्रदान करने के लिए सभी पंजीकृत एमएसओ को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश में यह निदेश दिया गया कि "सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012" के खंड 20 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। डीएएस के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों को यह

सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि उपभोक्ता प्रबंध प्रणाली में सभी सक्रिय सेट–टॉप बॉक्सों के संबंध में चैनलों/बुके के चयन सहित सभी संबद्ध उपभोक्ताओं के ब्यौरे पूर्ण रूप से प्रविष्ट किए गए हैं और इस निर्देश के जारी होने के 07 दिन के अंदर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत स्थानीय केबल ऑपरेटरों को दिनांक 22 फरवरी, 2013 का निर्देश

2.8.13 डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत डीएएस के कार्यान्वयन के लिए चरण–1 के तहत कवर किए गए अधिसूचित डीएएस क्षेत्रों में डीएएस के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने वाले एलसीओ को निर्देश दिया गया कि :–

(क) डीएएस क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों से संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां सेट–टॉप–बॉक्स लगाए गए हैं, वहां सभी उपभोक्ताओं के उपभोक्ता आवेदन फार्म यथोचित रूप से भरे गए और पूर्ण हैं (सभी संबद्ध उपभोक्ता के ब्यौरे और उसके चैनल/बुके का चयन) उपभोक्ताओं से एकत्रित कर लिए गए हैं और उनको संबद्ध मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, सभी संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी :–

(i) संबद्ध मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर(रों) से प्राप्त एसटीबी की कुल संख्या।

(ii) लगाए गए और प्रचालित किए गए कुल एसटीबी की संख्या।

(iii) सभी तरह से यथोचित रूप से भरे गए और पूर्ण (उपभोक्ता के सभी सम्बद्ध ब्यौरे और उनका चैनल/बुके का चयन) संबंधित मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर(रों) को प्रस्तुत किए गए उपभोक्ता आवेदन फार्मों की कुल संख्या।

उपर्युक्त पैराग्राफ (क) और (ख) में सूचना के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, इस निर्देश के जारी होने की तारीख से 7 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

2.9 भादूविप्रा विभिन्न हितधारकों, जैसे सेवा प्रदाता, उनके संगठन, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठन और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करता है। भादूविप्रा ने ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जो हितधारकों और आम जनता को उनके विचारों, जब भी परामर्श पत्रों पर मांगे जाते हैं, को प्रस्तुत करके नीति तैयार करने में भागीदारी की अनुमति देती है। परामर्श पत्र, जिनकी परिणति सिफारिशें/विनियम/दूरसंचार प्रशुल्क आदेश में जारी करने के रूप में हुई हैं, के अलावा, वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित परामर्श पत्र भी जारी किए गए हैं:–

दूरसंचार क्षेत्र

- आपातकालीन/आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलताओं – "रिसपांस और

रिकवरी'' में लगे व्यक्तियों की कॉल को प्राथमिकता से भेजने पर परामर्श पत्र, दिनांक 10 मई, 2012

- राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क समीक्षा पर परामर्श पूर्व पत्र, दिनांक 20 दिसंबर, 2012
- ''इंटरनेट सेवाओं और न्यूनतम संभावित एजीआर के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा'' पर परामर्श पत्र, दिनांक 28 दिसंबर, 2012
- पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (अखिल भारत नंबर पोर्टेबिलिटी) पर परामर्श पूर्व पत्र, दिनांक 20 फरवरी, 2013
- राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क की समीक्षा पर परामर्श पत्र, दिनांक 25 फरवरी, 2013
- ''यूनीवर्सल सिंगल नंबर बेस्ड इंटीग्रेटिड एमरजेंसी कम्युनिकेशन्स और रिसपांस प्रणाली'' पर परामर्श पत्र, दिनांक 15 मार्च, 2013
- दिनांक 19 मार्च, 2013 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पांचवा संशोधन), विनियम, 2013 के मसौदे पर परामर्श पत्र

आपातकालीन/आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलताओं – ''रिसपांस और रिकवरी'' में लगे व्यक्तियों की कॉल को प्राथमिकता से भेजने पर परामर्श पत्र, दिनांक 10 मई, 2012

2.9.1 एक ऐसे तंत्र को सुविधा देने के उद्देश्य से, जिसमें आपातकाल के दौरान ''रिसपांस और रिकवरी'' में लगे महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्राथमिकता पर कॉल प्राप्त करते हैं, भादूविप्रा

ने हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 10 मई, 2012 को आपातकालीन/आपदाओं के दौरान नेटवर्क की विफलता "रिसपांस और रिकवरी" में लगे व्यक्तियों को कॉल प्राथमिकता से भेजने पर परामर्श पत्र जारी किया है। भादूविप्रा द्वारा 10 अक्तूबर, 2012 को दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित की गई। बाद में, भारत में प्राथमिकता कॉल भेजने के कार्यान्वयन में शामिल तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 21 नवम्बर, 2012 को संगोष्ठी आयोजित की गई।

राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क समीक्षा पर परामर्श पूर्व पत्र, दिनांक 20 दिसंबर, 2012

2.9.2 राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए प्रशुल्क, पिछली बार प्राधिकरण के द्वारा दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (44वां संशोधन), दिनांक 24 जनवरी, 2007 के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए थे। तंत्रों को शासित करने वाले कुछ लागत संघटकों, जो राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों का भाग हैं, में परिवर्तनों को देखते हुए प्राधिकरण ने व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

20 दिसंबर, 2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विषय पर परामर्श पूर्व पत्र जारी किया और हितधारकों से राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए बृहत् तंत्र पर इनपुट मांगे ताकि प्राधिकरण व्यापक परामर्श पत्र तैयार करने में समर्थ हो सके। 25.02.2013 को परामर्श पत्र जारी किया, इसमें राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क के विनियम के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के पक्ष–विपक्ष में चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में यथा–परिकल्पित मुफ्त राष्ट्रीय रोमिंग के आदेश की संभावना पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण के साथ परामर्श पत्र में विचार–विमर्श किया गया था। इसके अलावा, परामर्श पत्र में राष्ट्रीय रोमिंग के समय वीडियो कॉल और एसएमएस के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए विशेष प्रशुल्क वाउचरों (एसटीवी) की अनुमति देने की वांछनीयता पर हितधारकों के विचार भी मांगे गए। इसके अलावा, इस विषय पर 07.05.2013 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई।

"इंटरनेट सेवाओं और न्यूनतम संभावित एजीआर के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा" पर परामर्श पत्र, 28 दिसंबर, 2012

2.9.3 भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(क)(ii) के अंतर्गत निम्नलिखित पर सिफारिशें देने के लिए भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से संदर्भ प्राप्त हुआ :–

(i) इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए आईएसपी लाइसेंस करारों में एजीआर की परिभाषा और निम्नलिखित श्रेणियों में उसके लाइसेंस(सों) में संशोधन :–

- 1998 के दिशानिर्देशों (आईएसपी श्रेणी लाइसेंस) के तहत प्रदान किए गए आईएसपी लाइसेंस।

- वर्ष 2002 के दिशानिर्देशों के तहत और बाद में वर्ष 2007 के दिशानिर्देशों (आईएसपी–आईटी श्रेणी लाइसेंस) के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस।

(ii) 3जी आवेदन आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईए)/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और एक्सेस सेवा लाइसेंसों सहित स्पेक्ट्रम के साथ या उसके बिना अन्य लाइसेंसों के मामले में इंटरनेट सेवा/एक्सेस सेवा लाइसेंस(सों) के तहत बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम धारकों के लिए संभावित एजीआर और मूल्य की प्रयोज्यता, यदि प्रयोज्य हो।

(iii) इंटरनेट सेवा लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों और यूएएस लाइसेंसधारियों द्वारा सूचित किए जाने वाले'' राजस्व और लाइसेंस फीस के विवरण के फार्मेट'' में संशोधन।

तदनुसार, भादूविप्रा ने 28 दिसंबर, 2012 को हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए ''इंटरनेट सेवाओं और न्यूनतम संभावित एजीआर के प्रावधान के लिए लाइसेंस करार

में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (अखिल भारत नंबर पोर्टेबिलिटी) पर परामर्श पूर्व पत्र, दिनांक 20 फरवरी, 2013

2.9.4 ''एक राष्ट्र–पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2012 में विहित प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27 दिसंबर, 2012 के पत्र द्वारा संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें पूर्ण मोबाइल पोर्टेबिलिटी अर्थात् लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में एमएनपी के लिए भादूविप्रा अधिनियम के तहत भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी गई थीं।

पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को क्रियान्वित करने के लिए, पोर्टिंग अनुरोध, मार्ग से भेजने, प्रभार लगाने, परीक्षण आदि से संबंधित मुद्दों की पहचान और निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इस परामर्श पूर्व पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों जैसे अंतःसेवा क्षेत्र, पोर्टिंग के क्रियान्वयन की इष्टतम विधि, एमएनपी सेवा लाइसेंस की मौजूदा लाइसेंस शर्तों में अपेक्षित संशोधन, रोमिंग उपभोक्ता द्वारा यूपीसी का जनन, वर्तमान एमएनपी विनियमों में अपेक्षित संशोधन आदि पर हितधारकों के विचार मांगे।

हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 20 फरवरी, 2013 को परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया था।

राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क की समीक्षा पर परामर्श पत्र, दिनांक 25 फरवरी, 2013

2.9.5 प्राधिकरण द्वारा नेशनल रोमिंग सेवाओं के लिए प्रशुल्क आदेश (44वां संशोधन), दिनांक 24 जनवरी, 2007 को विनिर्दिष्ट किए गए थे। तंत्रों को शासित करने वाले कुछ लागत संघटकों, जो नेशनल रोमिंग प्रभारों का भाग हैं, में परिवर्तनों को देखते हुए प्राधिकरण ने व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

परामर्श पत्र में राष्ट्रीय दूरंसचार के लिए प्रशुल्क के विनियमों के विभिन्न दृष्टिकोणों के पक्ष–विपक्ष का विश्लेषण किया गया। राष्ट्रीय रोमिंग नीति, 2012 में यथा–परिकल्पित मुफ्त राष्ट्रीय रोमिंग के आदेश की संभावना पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण के साथ परामर्श पत्र में विचार–विमर्श किया गया था। इसके अलावा, पत्र ने राष्ट्रीय रोमिंग के समय वीडियो कॉल और एसएमएस के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए विशेष प्रशुल्क वाउचरों (एसटीवी) की अनुमति देने की वांछनीयता पर हितधारकों के विचार भी मांगे।

''यूनीवर्सल सिंगल नंबर बेस्ड इंटीग्रेटिड एमरजेंसी कम्युनिकेशन्स और रिसपांस प्रणाली'' पर परामर्श पत्र, दिनांक 15 मार्च, 2013

2.9.6 अधिकांश आपातस्थिति में, सामान्यतः स्वास्थ्य, जीवन, परिसंपत्ति या पर्यावरण का जोखिम शामिल होता है और इसलिए तत्काल हस्तक्षेप करना अपेक्षित होता है। भारत में

वर्तमान में पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन दल, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि के लिए विभिन्न आपातकालीन दूरसंचार और अनुक्रिया प्रणालियां हैं। इस प्रणालियों तक विभिन्न नंबरों जैसे 100 (पुलिस), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस) और 108 (आपातकालीन आपदा प्रबंधन) आदि के माध्यम से पहुंचा जाता है।

अधिकांश विकसित देशों में एक एकीकृत आपातकालीन संचार और अनुक्रिया प्रणाली उपलब्ध है, जिस तक यूनीवर्सल एकल नंबर के माध्यम से उनके नागरिकों द्वारा पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए यूएसए में नंबर ''911'' का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश यूरोपीय देशों में आपातकालीन अनुक्रिया के लिए नंबर ''112'' प्रदान किया गया है। वर्तमान प्रणाली में विभिन्न कमियों को देखते हुए, भारत में भी इसी प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है। तथापि, इसके कार्यान्वयन में, विशेष रूप से जब विभिन्न किस्म के आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी/विभाग/एजेंसियों हों, चुनौतियां हैं।

भादूविप्रा ने दिनांक 15 मार्च, 2013 को हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए

''आपतकालीन संचार प्रणाली के क्रियान्वयन'' पर 31 अक्तूबर, 2012 को आयोजित कार्यशाला

''एकीकृत आपातकालीन संचार और अनुक्रिया प्रणाली पर आधारित यूनीवर्सल एकल नंबर'' पर परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से भादूविप्रा ने आईईसीआरएस के कार्यान्वयन में दूरसंचार से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणी मांगी थी। कुछ मुद्दे हैं : आपातकालीन सेवा की किस्में, जो एकल आपातकाल नंबर के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए, यूनीवर्सल एकल आपातकाल नंबर की पहचान करना, वास्तविक समय (विशेष रूप से मोबाइल उपयोगकर्ताओं) में कॉल करने वाले की पहचान और अंतरण में अंतर्ग्रस्त तकनीकी मुद्दे, तंत्र का निधियन, भाषा का अनुवाद आदि के मुद्दे।

दिनांक 19 मार्च, 2013 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पांचवा संशोधन), विनियम, 2013 के मसौदे पर परामर्श पत्र

2.9.7 प्राधिकरण ने पहले दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009, दिनांक 23 सितंबर, 2009 जारी किए थे, जिनमें देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी व्यवसाय कार्यविधि तंत्र निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण को कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई कि ऐसे नंबरों की पोर्टिंग के लिए कंपनी/कारपारेट से अनुमति/ प्राधिकार के अभाव में ''संविदात्मक बाध्यता'' श्रेणी के तहत डोनर ऑपरेटरों तथा उनके पोर्टिंग अनुरोधों को खारिज कर दिया गया था। इन मुद्दों के निवारण के उद्देश्य से भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए एमएनपी विनियम के लिए मसौदा संशोधन जारी किया।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

- ''एड्रेसेबल प्रणाली के लिए प्रयोज्य डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली और प्रशुल्क आदेश के लिए प्रयोज्य अंतःसंयोजन विनियम के संशोधन के मुद्दों'' पर परामर्श पत्र, दिनांक 20 दिसंबर, 2012
- मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र, दिनांक 15 फरवरी, 2013

''एड्रेसेबल प्रणाली के लिए प्रयोज्य डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली और प्रशुल्क आदेश के लिए प्रयोज्य अंतःसंयोजन विनियम के संशोधन के मुद्दों'' पर परामर्श पत्र, दिनांक 20 दिसंबर, 2012

2.9.8 दिनांक 20.12.2012 को ''एड्रेसेबल प्रणाली के लिए प्रयोज्य डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली और प्रशुल्क आदेश के लिए प्रयोज्य अंतःसंयोजन विनियम के संशोधन के मुद्दों'' पर परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र ने विभिन्न मुद्दों पर विचार मांगे, इनमें से कुछ निम्नानुसार थे:–

(i) एमएसओ के न्यूनतम चैनल कैरी करने की क्षमता।

(ii) प्लेसमेंट शुल्क का विनियमन।

(iii) खुदरा स्तर पर विकृत मूल्य निर्धारण की दोहरी शर्तों का संशोधन।

(iv) चैनलों की न्यूनतम निर्धारण अवधि।

(v) चैनल (लों)/बुके के चयन के संबंध में उपभोक्ता को विकल्प।

(vi) चैनलों के बुके प्रस्तुत करने के तरीके, जिनके लिए विशेष सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) अपेक्षित हैं।

2.9.9 दिनांक 15.02.2013 को ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' पर परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र ने विभिन्न मुद्दों पर विचार मांगे, इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :–

(i) मीडिया क्षेत्र में प्रवेश से कतिपय कंपनियों को अयोग्य ठहराना।

(ii) मीडिया केंद्र पर किसी कंपनी के स्वामित्व/नियंत्रण को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली रूपात्मकता।

(iii) उन मीडिया खंडों की पहचान करना, जिनमें मीडिया के स्वामित्व के नियम विनिर्धारित किए जाने हैं।

(iv) मीडिया के स्वामित्व के नियमों को बनाते समय शैलियों की पहचान पर विचार किया जाना।

(v) प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए संबद्ध बाजार(रों) की पहचान करने के लिए मीडिया के स्वामित्व के नियमों और इन पैरामीटरों को मापने के लिए रूपात्मकता विकसित करना।

(vi) मीडिया खंडों में और इसके आर–पार मीडिया के स्वामित्व के विनियमों को विकसित करना।

(vii) मीडिया क्षेत्र में विलय और अधिग्रहणों के मामले में विनियम/प्रतिबंध विकसित करना।

(viii) प्रसारण और वितरण कंपनियों के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण के लिए स्वामित्व नियम विकसित करना।

(ix) मीडिया कंपनियों द्वारा अनिवार्य प्रकटनों के लिए मानदंड विनिर्धारित करना।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन की समीक्षा

2.10 भादूविप्रा के कार्यकरण और प्रचालन की नीति के विशिष्ट संदर्भ में निम्नलिखित पैराग्राफों में (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन, (च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन (ज) सेवा की गुणवत्ता, और (झ) सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के संबंध में नीचे विस्तार से बताया गया है।

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

2.10.1 कुल ग्रामीण उपभोक्ता आधार, जो 31 मार्च, 2012 को 330.82 मिलियन था, बढ़कर 31 मार्च, 2013 को 349.22 मिलियन हो गया है। ग्रामीण टेलीघन्तव, जो मार्च, 2012 के अंत में 39.22 मिलियन था, बढ़कर मार्च, 2013 के अंत में 41.02 मिलियन हो गया।

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार घट रहा है। 31 मार्च, 2012 के अंत में ग्रामीण

वायरलाइन आधार 7.55 मिलियन था, जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2013 को यह 6.71 मिलियन था। जबकि इसी अवधि के दौरान, ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2012 को वायरलैस ग्रामीण [मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)] बाजार 323.27 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2013 को 342.50 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 39.47 प्रतिशत वायरलैस उपभोक्ता हैं।

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

2.10.2 31 मार्च, 2013 के अनुसार, कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 30.21 मिलियन था। बीएसएनएल और एमटीएनएल की उपभोक्ता आधार में बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 67.67 प्रतिशत और 11.45 प्रतिशत है, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों की कुल मिलाकर हिस्सेदारी 20.88 प्रतिशत है। निजी ऑपरेटरों का हिस्सा, जो 31 मार्च, 2012 को 19.41 प्रतिशत था, बढ़कर 31 मार्च, 2013 को 20.88 प्रतिशत हो गया।

वायरलैस उपभोक्ता आधार, जो 31 मार्च, 2012 को 919.7 मिलियन था, की तुलना में 31 मार्च, 2013 को 867.80 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपभोक्ता आधार 51.37 मिलियन उपभोक्ताओं तक कम हो गया। वायरलैस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार, जो मार्च, 2008 में 261.07 मिलियन था, वह मार्च, 2013 में बढ़कर 867.80 मिलियन हो गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में 867.80 मिलियन उपभोक्ताओं में से 794.03 मिलियन (91.50 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता और 73.77 मिलियन (8.50 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे।

वायरलैस खंड में जीएसएम का उपभोक्ता आधार मार्च, 2012 के अंत में 814.06 मिलियन था जबकि इसकी तुलना में मार्च, 2013 के अंत में यह 794.03 मिलियन था। वर्ष के दौरान जीएसएम उपभोक्ता आधार में लगभग 20.03 मिलियन उपभोक्ताओं की कमी हुई।

जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के अनुसार, मैसर्स भारती 188.20 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ सबसे बड़ा जीएसएम सेवा प्रदाता बना रहा, जिसके पश्चात 152.35 मिलियन, 121.612 मिलियन और 98.50 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स बीएसएनएल थे।

सेल्युलर सीडीएमए सेवाओं में, उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के अनुसार मैसर्स रिलायंस 38.68 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ सबसे बड़ा सीडीएमए ऑपरेटर रहा, जिसके पश्चात 20.28 मिलियन और 11.91 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ क्रमशः मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा थे।

(ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

2.10.3 वर्तमान में देश में कुल 184 एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल

सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लाइसेंसवार विभाजन निम्नानुसार है :–

लाइसेंस की किस्म	लाइसेंसों की संख्या
बुनियादी	2 (पीएसयू – बीएसएनएल और एमटीएनएल)
सीएमटीएस	37
यूएएस	145

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन

2.10.4 भादूविप्रा अधिनियम के तहत प्राधिकरण को अंतःसंयोज्यता की निबंधन और शर्तों को निश्चित करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन को सुनिश्चित करने का अधिदेश है। मल्टी–ऑपरेटर में अंतःसंयोजन दूरसंचार व्यवसाय का आधार है। अंतःसंयोजन के निबंधन और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा प्रदाताओं को समान अवसर दिए जाते हैं। तदनुसार, भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार विनिर्धारित किए गए थे:–

- केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2012 में संशोधन, दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 और केबल लैंडिंग स्टेशनों में एक्सेस सुविधा प्रभार और सह–स्थान प्रभार का निर्धारण, दिनांक 21 दिसंबर, 2012

  समुद्री केबल, देशों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संपर्क है, जो कि किसी देश में केबल लैंडिंग स्टेशन के माध्यम से समाप्त होता है। एक्सेस सुविधा प्रभार, वे प्रभार हैं, जो समुद्री केबल में अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की लीजिंग/प्राप्त करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अदा करने होते हैं। केबल लैंडिंग स्टेशनों में इस एक्सेस सुविधा के लिए उचित और गैर–भेदमूलक निबंधन और शर्तों पर एक्सेस में समर्थ बनाने के लिए विनियम में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं ताकि एक्सेस सुविधा प्रभार, सह–स्थान प्रभारों और अन्य संबद्ध प्रभार जैसे रद्दीकरण और बहाली प्रभार, अब प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रभारों से : (क) अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट खंड में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यवसाय और ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग और उद्यम, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता की जरूरत है, को लाभ मिलेगा और (ख) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत में कटौती होगी।

- पोर्ट प्रभारों के स्तर में कमी करके दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम का संशोधन, दिनांक 18 सितंबर, 2012।

  दो नेटवर्क के बीच अंतःसंयोजन स्थापित करने के लिए, पोर्ट एक अनिवार्य कारक है। पोर्ट प्रभारों को चालू लागतों के अनुरूप बनाया गया है। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अंतःसंयोजन की लागत को कम करेगा। संशोधित पोर्ट प्रभार 01 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी हो गए हैं।

2.10.4.1 इसके अलावा, भादूविप्रा ने इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन मुद्दों के निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं है :–

- आईएन सेवाओं के प्रावधानों के लिए करार करने के लिए सेवा प्रदाताओं की सहायता करने के लिए इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवा में मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य विनियम में संशोधन, दिनांक 18 सितंबर, 2012।

  यह संशोधन सेवा प्रदाताओं को समयबद्ध ढंग से आईएन सेवाओं के प्रावधान के लिए करार करने में सहायता प्रदान करेगा। यह लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी वास्तविक कॉलिंग कार्ड (वीसीसी) के लिए लाभदायक होगा। वीसीसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच करार के पश्चात उपभोक्ता राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रदाताओं (एनएलडीओ)/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) द्वारा जारी कॉलिंग कार्ड का प्रयोग करके उपभोक्ता ट्रंक डॉयलिंग (एसटीडी)/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डॉयलिंग (आईएसडी) कर सकते हैं।

(च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

2.10.5.1 **दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन** – भादूविप्रा ने ''हरित दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण'', विषय पर दिनांक 12.04.2011 को दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिशें दी। भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर, दूरसंचार विभाग ने जनवरी, 2012 में बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी/सीएमटीएस/यूएएसएल/बुनियादी सेवा के लाइसेंसधारियों को निदेश जारी किए। उपर्युक्त निदेशों के पश्चात दूरसंचार विभाग ने दिनांक 18.09.2012 और 19.11.2012 को और स्पष्टीकरण जारी किए।

दूरसंचार विभाग के निदेशों के अनुसार, सभी सेवा प्रदाता, भादूविप्रा को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फार्मेट में अपने नेटवर्क प्रचालनों के कार्बन पदचिह्न वर्ष में दो बार घोषित करेंगे अर्थात प्रत्येक वर्ष सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छमाही रिपोर्ट 15 नवम्बर तक प्रस्तुत की जानी चाहिए और मार्च को समाप्त होने वाली अगली छमाही की रिपोर्ट 15 मई तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूरसंचार विभाग के इस निदेश में यह भी अधिदेश था कि सेवा प्रदाता अपने संघों के माध्यम से सर्वसम्मति से ऊर्जा कुशल नेटवर्क योजना, इन्फ्रा–साझा करना, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) को अपनाने को शामिल करते हुए पद्धति का स्वैच्छिक कोड विकसित करेंगे और भादूविप्रा को पद्धति का स्वैच्छिक कोड प्रस्तुत करेंगे।

तदनुसार, भादूविप्रा ने स्पष्टीकरणों के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित कीं और सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के निदेशों

के संबंध में अपेक्षित अनुपालन प्राप्त करने के लिए पत्र और अनुस्मारक जारी किए। इस संबंध में भादूविप्रा, बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी और एक्सेस सेवा प्रदाताओं के उनके नेटवर्क उपस्कर की कार्बन पदचिह्न रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई पद्धति के स्वैच्छिक कोड भी दूरसंचार संघों से भादूविप्रा में प्राप्त किए गए हैं।

2.10.5.2 **भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)** – वर्तमान में नेटवर्क वास्तविक रूप से अलग हैं और स्थायी सेवाएं, मोबाइल सेवाएं ओर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं। भावी पीढ़ी नेटवर्क की विभिन्न किस्म के ट्रैफिक (वॉयस, वीडियो और डाटा आदि) को एक एकल नेटवर्क में अभिसरित करने की योग्यता है। यह अनिवार्य रूप से एक प्रबंधित आईपी आधारित (अर्थात पैकिट–स्विचड) नेटवर्क है, जो कई किस्म की सेवाओं का समर्थन करता है। भादूविप्रा ने वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में भावी पीढ़ी नेटवर्क की दिशा में स्थानांतरण के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है। भादूविप्रा ने भावी पीढ़ी नेटवर्कों (एनजीएन) पर उचित नीति और विनियामक तंत्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की थी। परामर्शी कार्य के कार्यक्षेत्र में एनजीएन पर व्यापक रिपोर्ट तैयार करना, मसौदा परामर्श पत्र तैयार करना, उद्योग के लिए एनजीएन पर कार्यशाला आयोजित करना, मूल्यांकन पश्चात, कार्य में भादूविप्रा को सहायता करना शामिल है। भादूविप्रा ने नई दिल्ली में 29 से 30 नवम्बर, 2012 को ''भावी पीढ़ी नेटवर्कों (एनजीएन)'' पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चर्चा, सहयोग और तकनीकी, विनियामक और नीति संबंधी मुद्दों सहित एनजीएन में

''भावी पीढ़ी नेटवर्क '' पर 29 से 30 नवंबर, 2012 तक आयोजित कार्यशाला

स्थानांतरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना के बौद्धिक आदान–प्रदान के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना था।

2.10.5.3 **प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट का प्रकाशन** – नई प्रौद्योगिकी लगातार विकसित की जा रही है और तकनीकी प्रणाली में अपने अनुप्रयोगों को पाती है, जिससे दूरसंचार नेटवर्क बनता है। तथापि, दूरसंचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ गति बनाए रखना अधिकांश दूरसंचार व्यावसायिकों के लिए कठिन हो जाता है। उद्योग के साथ पहचान और नई प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को साझा करने के लिए भादूविप्रा ''प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट'' नामक प्रौद्योगिकी बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है, जिसका प्रत्येक अंक प्रौद्योगिकी के एक पहलू पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित विषयों पर ''प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट'' जारी किए गए हैं :–

क) वायरलैस सेंसर नेटवर्क।
ख) 100 गीगाबाइट इथरनेट और आगे।
ग) वितरित एंटीना प्रणालियां।
घ) मोबाइल डाटा ऑफलोडिंग।
च) स्थान आधारित सेवाएं।
छ) क्षेत्र निकट संचार।
ज) स्वयं आयोजित करने वाले नेटवर्क।
झ) फिक्सड मोबाइल कनवर्जेंस।
ट) एलटीई (एडवांस्ड)।

(छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

2.10.6 वर्ष 2012 दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए अत्यधिक घटना पूर्ण वर्ष रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में गतिविधियां दूरसंचार नीति, 2012, स्पेक्ट्रम प्रबंध, स्पेक्ट्रम नीलामी और एकीकृत लाइसेंसिंग के आस–पास केन्द्रित रहीं। प्राधिकरण ने स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त विनियामक तंत्र निर्धारित किया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों में बहुत से उपाय किए हैं : इनमें सेवा की गुणवत्ता के क्षेत्रों, प्रशुल्क, सेवा प्रावधान में पारदर्शिता, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों के जोखिम से दूरसंचार उपभोक्ताओं का संरक्षण और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए कदम उठाना शामिल है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में यथा–परिकल्पित मुफ्त राष्ट्रीय रोमिंग के आदेश देने की संभावना पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण के साथ राष्ट्रीय रोमिंग पर प्रशुल्क की समीक्षा पर दिनांक 25 फरवरी, 2013 के परामर्श पत्र में विचार–विमर्श किया गया था।

(ज) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ख)(v) के तहत अपने कार्यों के प्रयोग में बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित विभिन्न पैरामीटरों के लिए बैंचमार्कों के संबंध में क्यूओएस विनियमनों के अनुपालन

को प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

2.10.7.1 **मीटर से मापन और बिल तैयार करने की प्रणाली की लेखापरीक्षा** : लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मीटर से मापन और बिल तैयार करना भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानक के अंदर है। वर्ष के दौरान एक्सेस सेवा प्रदाताओं के मीटर से मापन और बिल तैयार करने की लेखापरीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पैनल से लेखापरीक्षकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई थी। वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट और पूर्ववर्ती वर्ष में, की गई कार्रवाई रिपोर्टें भी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। इन लेखापरीक्षाओं ने बिल तैयार करने के मुद्दों की पहचान करने और निवारण में सहायता दी।

2.10.7.2 **स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन का उद्देश्य** : भादूविप्रा अधिनियम के साथ–साथ क्यूओएस विनियम सर्वेक्षण के माध्यम से क्यूओएस बैंचमार्क के विरूद्ध सेवा के उपभोक्ता के बोध के मूल्यांकन के लिए प्रावधान करता है। भादूविप्रा ने सर्वेक्षण के लिए स्वतंत्र एजेंसियों नामतः दक्षिणी और पूर्वी जोन में मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, उत्तरी जोन में उपभोक्ता जागरूकता हित हेतु मैसर्स वोलन्टरी ऑर्गेनाइजेशन, पश्चिमी जोन में मैसर्स मोट मेक डोनल्ड को नियुक्त किया है। इन एजेंसियों को (i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न विनियमों, निदेशों और आदेशों के कार्यान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन और (ii) सर्वेक्षण के माध्यम से सेवा का उपभोक्ता बोध का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 2013–14 के लिए सर्वेक्षण करने के लिए सभी स्वतंत्र एजेंसियों को अनुमोदित प्रश्नावली भेजी गई है।

2.10.7.3 **अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों (यूसीसी) को नियंत्रित करने के लिए तंत्र की समीक्षा** : भादूविप्रा अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों (यूसीसी) के खतरे से दूरसंचार उपभोक्ताओं के संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस संबंध में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :–

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान(नौवा संशोधन) विनियम**

14 मई, 2012 को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवा संशोधन) विनियम, 2012 जारी किए गया, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी टेलीमार्केटर को प्रचारक संसाधनों के माध्यम से यूसीसी भेजने के लिए कॉली सूची में डाला जाता है, तो केवल प्रचारक संदेश भेजने के लिए उसको प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों को काटा जाएगा, तथापि, यदि टेलीमार्केटर को लेन–देन के संदेशों को भेजने के लिए, उसको आवंटित दूरसंचार माध्यमों से

अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों को भेजने के लिए कॉली सूची में डाला जाता है, तो लेन–देन संदेशों और प्रचारक संदेशों को भेजने के लिए, उसको प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा।

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम**

विनियामक तंत्र, विशेष रूप से गैर–पंजीकृत टेलीमार्किटरों से वाणिज्यिक एसएमएस से संबंधित को और कड़ा करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012 जारी किया गया। गैर–पंजीकृत टेलीमार्किटरों को थोक प्रचारक एसएमएस भेजने के लिए एसएमएस पैकों और प्रशुल्क प्लानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रति सिम एक सौ एसएमएस प्रतिदिन से अधिक भेजने पर मूल्य नियंत्रण रखा गया है। उपभोक्ता इस संख्या से अधिक एसएमएस भेजने के लिए स्वतंत्र है, तथापि, एक सौ एसएमएस प्रतिदिन प्रति सिम से अधिक भेजे गए, ऐसे एसएमएस पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित दर से कम दर पर प्रभार नहीं लगेगा।

2.10.7.4 **उपभोक्ता जागरूकता** – वर्ष के दौरान, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए बहुत से उपाय किए गए।

- उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने और उनमें क्षमता निर्माण के लिए, प्राधिकरण द्वारा फरवरी और मार्च, 2013 में देश के विभिन्न भागों में सत्रह उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम निम्नानुसार नौ राज्यों में आयोजित किए गए हैं, जो तालिका में अगले पृष्ठ पर दर्शाए गए हैं।

- वर्ष 2012–13 के दौरान, भादूविप्रा ने दूरसंचार पर उपभोक्ता पुस्तिका, उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम के दौरान वितरित करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया, पंजाबी और असमी में मुद्रित करने की पहल की।

- दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, भादूविप्रा समय–समय पर विभिन्न विनियम, निदेश और आदेश जारी करता रहा है। फरवरी, 2013 में उपभोक्ता संगठन पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) जारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों/पहलों और दूरसंचार क्षेत्र में अन्य घटनाक्रमों को संसूचित करने के लिए मासिक सूचना–पत्र सभी सीएजी को परिचालित किया जाता है।

(झ) सार्वभौमिक सेवा बाध्यता (यूएसओ)

2.10.8 प्राधिकरण ने 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए समर्थन पर दिनांक 14 मई, 2012 की अपनी

क्र.सं.	तारीख	स्थान	क्षेत्रीय कार्यालय
1	25 फरवरी, 2013 16 मार्च, 2013	चंडीगढ़ जम्मू	चंडीगढ़
2	25 फरवरी, 2013 22 मार्च, 2013	मैसूर तिरुअंनतपुरम	बंगलुरू
3	26 फरवरी, 2013 22 मार्च, 2013	जयपुर रेवाड़ी	जयपुर
4	27 फरवरी, 2013 22 मार्च, 2013	गुवाहाटी शिलांग	गुवाहाटी
5	1 मार्च, 2013 19 मार्च, 2013	मुबंई पुणे	मुंबई
6	1 मार्च, 2013	भोपाल	भोपाल
7	8 मार्च, 2013 25 मार्च, 2013	हैदराबाद कोयम्बटूर	हैदराबाद
8	7 मार्च, 2013 25 मार्च, 2013	कोलकाता भुवनेश्वर	कोलकाता
9	27 फरवरी, 2013 13 मार्च, 2013	पटना रांची	पटना

सिफारिशों में बताया था कि 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन के लिए दो वर्ष हेतु मैसर्स बीएसएनएल को सहायता जारी रखी जाए। पहले वर्ष के लिए सहायता की राशि 1500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए हो सकती है।

(त) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.10.9.1 प्राधिकरण में अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों का दौरा

- विभिन्न विनियामक मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए, श्री अब्दुल वाकिल शेरगुल, अध्यक्ष, अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एटीआरए) की अगुवाई में तीन

सदस्यीय शिष्टमंडल के पहले समूह ने 09 से 13 अप्रैल, 2012 तक भादूविप्रा का दौरा किया और श्री इंग. खैअर मोहम्मद फैजी, उपाध्यक्ष और बोर्ड सदस्य, अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एटीआरए) की अगुवाई में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने

01 से 8 जून, 2012 तक भादूविप्रा का दौरा किया।

- स्वीडिश नेशनल क्रेडिटस गारंटी बोर्ड (एक्सपोर्ट क्रेडिट नामनडेन, ईकेएन) और स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट कारपोरेशन (एसईके) से एक स्वीडिश शिष्टमंडल ने प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श के लिए 17 अप्रैल, 2012 को भादूविप्रा दौरा किया।

- अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श के लिए श्री किमिआकी मेटसुजुकी, आंतरिक मामले और दूरसंचार के लिए वरिष्ठ उप–मंत्री, जापान की अगुवाई में छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 अप्रैल, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

- श्री डी. बेनिटो, एक स्पेनिश व्यवसायी, जो स्पेन में बहुत सी आईटी और दूरसंचार कंपनियों के लिए कार्य करते हैं, ने दूरसंचार के भविष्य के संबंध में और अधिक विशिष्ट रूप से प्रौद्योगिकी, 4जी और एम2एम सेवाओं के संबंध में सचिव, भादूविप्रा के साथ बैठक करने के लिए 12 फरवरी, 2013 को भादूविप्रा का दौरा किया।

- सचिव, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श के लिए श्री एलेन बीआडोइन, स्पेक्ट्रम के सहायक उपमंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, उद्योग कनाडा, कनाडा सरकार ने 12 फरवरी, 2013 को भादूविप्रा का दौरा किया।

2.10.9.2 **अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 02 से 4 अप्रैल, 2012 तक हैदराबाद में ''आईटीयू – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किया।

हैदराबाद में 02 से 04 अप्रैल, 2012 तक आयोजित आईटीयू–ट्राई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू प्रतिभागीगण

- भादूविप्रा ने ''स्पेक्ट्रम विषय पर'' 18 से 20 दिसंबर, 2012 तक नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्यशाला आयोजित की।

''स्पेक्ट्रम'' पर 18 से 20 दिसंबर, 2012 तक आयोजित एसएटीआरसी कार्यशाला

''स्पेक्ट्रम पर'' दिनांक 18 से 20 दिसंबर, 2012 तक आयोजित एसएटीआरसी कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागीगण का ग्रुप फोटो

(बाएं से दाएं) श्री उदय कुमार वर्मा, भूतपूर्व सचिव, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, श्री पी0 के0 रस्तोगी, भूतपूर्व सचिव–टीडीसैट, श्री आर0 चन्द्रशेखर, भूतपूर्व सचिव, डीओटी, डॉ0 जे0 एस0 शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, भादूविप्रा, श्रीमती अंबिका सोनी, भूतपूर्व मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, डॉ0 हमाडाउन तौरे, महासचिव–आईटीयू, श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री व डॉ0 इयून–जू–किम, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया–प्रशांत आईटीयू : 07 मई, 2012 को डॉ0 तौरे से मुलाकात करते हुए

(बाएं से दाएं) डॉ0 इयून–जू–किम, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया–प्रशांत आईटीयू, डॉ0 हमाडाउन तौरे, महासचिव–आईटीयू, श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा श्रीमती अंबिका सोनी, भूतपूर्व मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्रालय : 07 मई, 2012 को डॉ0 तौरे से मुलाकात करते हुए

डॉ0 जे0एस0शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, भादूविप्रा तथा श्री आर0 के0अर्नाल्ड, सदस्य, भादूविप्रा, 07 मई, 2012 को श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का स्वागत करते हुए

भाग–III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथासंशोधित की धारा 11 में यह व्यवस्था दी गई है कि :–

(1) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) में किसी भी बात के होते हुए प्राधिकरण के ये कार्य होंगे:–

(क) निम्नलिखित विषयों के संबंध में स्वप्रेरणा से या अनुज्ञापन के अनुरोध पर सिफारिशें करना, अर्थात् –

(1) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और उसका समय निर्धारण।

(2) सेवा प्रदाताओं की अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तें।

(3) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण।

(4) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतियोगिता को सुकर बनाने और दक्षतावृद्धि के लिए उपाय करना, जिससे कि ऐसी सेवाओं की अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके।

(5) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में प्रौद्योगिक सुधार।

(6) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपस्करों के निरीक्षण के पश्चात सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्करों की किस्म।

(7) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और दूरसंचार उद्योग के संबंध में साधारणतया अन्य विषयों के लिए उपाय।

(8) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का प्रभावी प्रबंधन।

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :–

(1) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पूर्व प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी सेवा प्रदाताओं के बीच अंत:संबद्धता की शर्तें और निबंधन नियत करना।

(3) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंत:संयोजन सुनिश्चित करना।

(4) सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न उनकी आमदनी को बांटने संबंधी व्यवस्था का विनियमन करना।

(5) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्दिष्ट करना और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना, जिससे कि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं को संरक्षित किया जा सके।

(6) सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी वाले सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि निर्दिष्ट करना और सुनिश्चित करना।

(7) अंतःसंयोजन करारों के और ऐसे अन्य सभी विषयों के ऐसे रजिस्टर रखना, जो विनियमों से उपबंधित किए जाएं।

(8) खंड(7) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं, जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना।

(9) सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसी सेवाओं के संबंध में फीस और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर उद्गृहीत करना, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(घ) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जिनमें ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्य शामिल हैं, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों :

परंतु यह कि इस उप–धारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिशें केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

परंतु यह भी कि केन्द्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को जारी की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति के बाबत इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (1) और उप–खंड (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के बाबत प्राधिकरण से सिफारिशों की इप्सा करेगी और प्राधिकरण अपनी सिफारिशें उस तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अग्रेषित करेगा, जिस तारीख को केन्द्र सरकार ने सिफारिशें करने की मांग की है :

परंतु यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो इस उप–धारा के खंड (क) के उप–खंड (1) और उप–खंड (2) के अधीन सिफारिश किए जाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और केन्द्र सरकार ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रदान करेगी :

परंतु यह भी कि यदि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जिस पर केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच आपस में सहमति हो, प्राधिकरण से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती है तो केन्द्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी कर सकेगी :

परंतु यह भी कि यदि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण की उस सिफारिश पर विचार करने पर प्रथमदृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसी सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती है या उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो वह सिफारिश को प्राधिकरण को वापस पुनर्विचार करने के लिए भेजेगी और प्राधिकरण ऐसे निर्देश की प्राप्ति से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को अग्रेषित कर सकेगा और सिफारिश, यदि कोई हो, के प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्र सरकार अंतिम निर्णय करेगी।

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, समय–समय पर आदेश द्वारा उन दरों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा, जिन पर भारत में और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके अंतर्गत वे दरें भी हैं, जिन पर संदेशों को भारत के बाहर किसी देश को पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह कि प्राधिकरण एक समान दूरसंचार सेवाओं की बाबत भिन्न–भिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगा और जहां पूर्वोक्त रूप में भिन्न–भिन्न दरें नियत की जाती हैं, वहां प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(3) प्राधिकरण {उप–धारा(1) या उप–धारा (2) के अधीन} अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

3. प्राधिकरण ने उद्योग के विकास व उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में या तो स्वयं की पहल से अथवा सरकार द्वारा इसे संदर्भित मामलों पर अनेक सिफारिशें की हैं, इसने अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं, लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों को लागू करने की कार्रवाई की है, तथा अनेक अन्य मुद्दों पर कार्य शुरू किया है। विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश भर में दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा प्रसारण व केबल टीवी सेवा क्षेत्र सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हुए व्यापक नेटवर्क के रूप में दूरसंचार सेवाओं के विकास में योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवाओं की कम दरों तथा सेवा की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में लाभ प्राप्त हुआ है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विभिन्न मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए गए कुछ विशिष्ट कार्यों को नीचे दिया गया है।

(क) भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार दरें, जिनमें वे दरें भी शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जाएंगे

3.1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2), प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी देश में संचारित किए जाएंगे। इसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि प्राधिकरण समान संचार सेवाओं के लिए भिन्न–भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के लिए अलग–अलग दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए प्रयोज्य प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि बाजार में प्रचलित प्रशुल्क विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हो। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण उन दरों की निगरानी करता है, जिन पर सेवा प्रदाता विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, पे–चैनलों के लिए दरों के निर्धारण के लिए मानदंड निर्दिष्ट करने तथा केबल सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करने का कार्य भी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपा गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण तथा केबल क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विवरणों पर निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की गई है।

3.1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, प्रशुल्क विनियमन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करता है। प्रशुल्क विनियमन उपभोक्ताओं को प्रशुल्क के प्रस्ताव

और प्रशुल्क प्रभार निर्धारण में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के रूप में होता है जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा होता है। दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए थे : –

- दूरसंचार प्रशुल्क आदेश में संशोधन, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कम से कम एक प्रशुल्क योजना में ''प्रति सेकंड पल्स'' का प्रावधान अनिवार्य किया गया, दिनांक 20 अप्रैल, 2012।
- ''ब्लैकआउट दिवसों के बारे में मार्गनिर्देश'' पर निदेश, दिनांक 14 सितम्बर, 2012।
- टॉक टाइम टॉप–अप वाउचर पर प्रोसेसिंग फीस लगाने को सरल व कारगर बनाने के लिए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश में संशोधन, दिनांक 01 अक्तूबर, 2012।

3.1.2 इसके अलावा, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में यथापरिकल्पित नेशनल रोमिंग को निःशुल्क बनाने की संभावना पर इसके विस्तृत प्रभाव विश्लेषण के साथ नेशनल रोमिंग पर टैरिफ की समीक्षा पर दिनांक 25 फरवरी, 2013 के परामर्श पत्र में विचार–विमर्श किया गया।

3.1.3 उपभोक्ता को लागत प्रभावी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रशुल्क आदेशों के रूप में समय–समय पर विनियामक तंत्र निर्धारित किया है। गैर–सीएएस क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों और डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि जैसे एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए प्रशुल्क, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी संबंधित प्रशुल्क आदेशों द्वारा शासित होते हैं।

3.1.4 ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (प्रथम संशोधन) आदेश, 2012'', जोकि 30 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किया गया था, के माध्यम से एमएसओ और स्थानीय केबल प्रचालकों के बीच थोक और खुदरा प्रशुल्क और राजस्व के हिस्से के लिए टैरिफ, थोक और खुदरा स्तरों पर चैनल प्रदान करने के तरीके, बुनियादी सेवा श्रेणी की संरचना और प्रशुल्क, उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रावधान और सेवा प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं निर्धारित की गई थीं।

(ख) (1) नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश की जरूरत व समय (2) नए सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदान करने की निबंधन व शर्तें और (3) लाइसेंस की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेंस के प्रतिसंहरण (रेवोकेशन) पर सिफारिशें।

3.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा लाइसेंसप्रदाता अर्थात् प्रसारण व केबल टीवी सेवाओं के मामले में दूरसंचार विभाग या सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से अनुरोध पर सिफारिशें दे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान दी गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

1. एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के प्रवसन के लिए मार्गनिर्देश पर दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।

2. ''विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति'' से संबंधित दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।

3. स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।

4. ''नंबर संसाधनों के प्रभावी उपयोग'', दिनांक 20.08.2010 के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 21.03.2012 के पत्र पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दिनांक 11 मई, 2012 प्रत्युत्तर।

5. ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 23.04.2012 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रत्युत्तर में दिनांक 12 मई, 2012 की सिफारिशें।

6. ''समेकित लाइसेंस/वर्ग लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसो के अंतरण के लिए मार्गनिर्देश'' पर दूरसंचार विभाग के पत्र पर पुनर्विचार करने के बाद दिनांक 12 मई, 2012 को की गई सिफारिशें।

7. 01.04.2002 के पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन सेवाओं पर दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।

8. ''अनुप्रयोग(एप्लीकेशन) सेवाओं'' पर दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।

9. ''स्पेक्ट्रम की नीलामी : लागत, टैरिफ और वित्तीय लाभ'' पर दिनांक 12 जुलाई, 2012 की सिफारिशें।

10. ''आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस टेलिकम्युनिकेशन सिस्टम(सीटीएस)'' पर दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 की सिफारिशें।

11. ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस के उपयोग के लिए दिनांक 25.02.2010 के नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन व शर्तों को समाहित करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के संबंध में दिनांक 22 नवंबर, 2012 की सिफारिशें।

12. ''समेकित लाइसेंस (एक्सेस सेवाओं) के निबंधन व शर्तों'' पर दिनांक 2 जनवरी, 2013 की सिफारिशें।

13. ''आईएमटी–एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं'' पर दिनांक 19 मार्च, 2013 की सिफारिशें।

इस रिपोर्ट के भाग–2 में, इन सिफारिशों के ब्यौरों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

(ग) तकनीकी अनुरूपता तथा प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना

3.3 सभी नेटवर्कों में अबाध दूरसंचार सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न नेटवर्कों में अंतःसंयोजन हो। लाइसेंस की शर्तों में यह भी विहित किया गया है कि सभी एक्सेस प्रदाता परस्पर एक दूसरे के साथ तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालक नेटवर्कों के साथ अंतःसंयोजित हों।

3.3.1 2012–13 की अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा

निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार विहित किए गए :–

- केबल लैंडिंग स्टेशनों पर आवश्यक सुविधा तक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2012 , में संशोधन, दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 और केबल लैंडिंग स्टेशन एक्सेस सुविधा के लिए प्रभार और सह–स्थान प्रभार निर्धारण, दिनांक 21 दिसंबर, 2012।
- दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियमों में संशोधन, जिससे पोर्ट प्रभारों के स्तर को कम किया गया, दिनांक 18 सितम्बर, 2012।
- आईएन सेवाओं के प्रावधान के लिए करार करने में सेवा प्रदाताओं को सहायता करने हेतु मल्टी ऑपरेटर और मल्टी नेटवर्क परिदृश्य में इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवा विनियम में संशोधन, दिनांक 18 सितम्बर, 2012।

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदान करने से प्राप्त, अपनी आय की साझेदारी के बारे में सेवा प्रदाताओं में विनियामक व्यवस्था

3.4 27 अप्रैल, 2011 को प्राधिकरण ने ''अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभारों की समीक्षा'' संबंधी एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श दस्तावेज के जरिए सार्वजनिक परामर्श द्वारा अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार के संघटक नियत करने के विभिन्न मापदंडों पर हितधारकों के विचार मांगे गए थे। अन्य बातों के साथ–साथ हितधारकों द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत विभिन्न निविष्टियों, जिनमें परामर्श प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रदत्त टिप्पणियां तथा प्रति टिप्पणियां, लेखाकरण पृथक्करण रिपोर्ट, तिमाही ट्रैफिक डाटा शामिल थे, के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आईयूसी अपील में 29 जुलाई, 2011 के उनके आदेश के अनुपालन में 31 अक्तूबर, 2011 को दायर किया गया था।

(च) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय एवं लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि

3.5. पारदर्शिता, पूर्वानुमानिता तथा युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराने तथा गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/लोकल लीड के प्रावधान की अनुमति देने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए। इन विनियमों में, किसी भी माध्यम अर्थात कॉपर, फाइबर, वायरलैस आदि पर तथा किसी भी ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराए गए डीएलसी और स्थानीय लीड शामिल हैं। ये विनियम सभी सेवा प्रदाताओं, जिनके पास कॉपर, फाइबर अथवा वायरलैस की क्षमता है तथा जिन्हें डीएलसी प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है, के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे इसकी साझेदारी, अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ करें। प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण से यह पता चला है कि डीएलसी विनियमों के जारी करने के बाद से डीएलसी/स्थानीय लीडों का प्रावधान सरल व कारगर हो गया है।

(छ) लाइसेंस के निबंधन व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6. प्राधिकरण के कार्यों में एक कार्य, लाइसेंसप्रदाता अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा

सेवा प्रदाताओं को जारी लाइसेंसों के निबंधनों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के निर्देश समय–समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग को कार्रवाई के लिए सिफारिशें भी भेजी जाती हैं। इस संबंध में वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कार्रवाई की गई :–

- समेकित एक्सेस सर्विस लाइसेंस की निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, नेटवर्क अंतःसंयोजन पुनर्बहाल करने, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को निरंतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए दो सेवा प्रदाताओं को 11 अप्रैल, 2012 को निर्देश जारी किए गए। भादूविप्रा ने कुछ सेवा क्षेत्रों में अपनी ओर से सेवाएं बंद करके यूएएस लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 28 अगस्त, 2012 और 19 सितम्बर, 2012 को दूरसंचार विभाग को भी सिफारिश की।
- केन्द्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी के पूरा होने के फलस्वरूप, सेवा बंद होने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के बारे में दिनांक 17 दिसम्बर 2012 को निदेश दिया गया।

(ज) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

3.7.1 सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भादूविप्रा ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

- ब्लैकलिस्टेड टेलीमार्केटरों को संसाधनों से विलग करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम में दिनांक 14 मई, 2012 को 9वां संशोधन।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के पारदर्शी वितरण के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 जुलाई, 2012 के निर्देश।
- देश के बाहर से आनेवाली मिस्ड कॉल्स (वांगिरी कॉल्स) के बारे में दिनांक 07 सितम्बर, 2012 के निर्देश।
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में दिनांक 22 अक्तूबर, 2012 को संशोधन के जरिए कॉम्बो वाउचर की अनुमति दी गई।
- अवांछनीय संदेशों को रोकने के तकनीकी समाधान करने, शीघ्र शिकायतें दायर करने, थोक एसएमएस के प्रशुल्क में कमी आदि के लिए दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम में 10वां संशोधन।
- उपयोग नहीं किए जाने के कारण, सिम को असक्रिय किए जाने के बारे में 21 फरवरी, 2013 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 अधिसूचित किया गया।

3.7.2 इसके अलावा, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :–

- **मोबाइल हैंडसेट / अनाधिकृत अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान**

(आईएमईआई) वाले उपकरणों का आयात – आईएमईआई एक विशिष्ट संख्या है, जो प्रत्येक जीएसएम मोबाइल हैंडसेट को इसकी पहचान के लिए दी जाती है। भादूविप्रा के नोटिस में यह आया था कि बाजार में डुप्लीकेट/नकली/गैर–आईएमईआई संख्या वाले मोबाइल उपकरणों (मोबाइल फोन लैपटॉप डाटा कार्ड्स आदि) का प्रसार हो गया है। इस प्रकार के उपकरणों के उपयोग से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है क्योंकि नेटवर्क पर इनका पता लगाना कठिन है। ये उपभोक्ता की सुरक्षा और कल्याण के लिए अहितकर हो सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के उपकरण गैर–मानक स्थितियों में विनिर्मित होते हैं और इनमें सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की कमी होती है। फोन के इन ग्रे मार्केट के विकास का संगठित व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सरकार को वैध राजस्व नहीं मिलता है। 29 अगस्त, 2012 को वाणिज्य सचिव को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मोबाइल उपकरणों/हैंडसेटों के आयात की अनुमति दी जाए, जिनके बारे में यह प्रमाणित किया गया है कि उनमें असली, विशिष्ट और गैर–डुप्लीकेट आईएमईआई हैं, और ऐसे उपकरणों के लिए प्रवेश के सभी बंदरगाहों में एक सामान्य डाटाबेस रखा जाना चाहिए ताकि डुप्लीकेट/नकली/गैर–आईएमईआई मोबाइल उपकरण देश में प्रवेश न कर सकें।

- **मीटर और बिल प्रणाली की लेखापरीक्षा** – (1) मीटर और बिल के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने, (2) मीटर के माप की शुद्धता, बिल की विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्धारित करने, (3) कार्यनिष्पादन के स्तर के मूल्यांकन के लिए समय–समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए गए बिल की शुद्धता का मूल्यांकन और मानकों के साथ उनका मिलान करने, (4) बिल संबंधी शिकायतों को कम करने, (5) और दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों के हितों की संरक्षा के लिए भादूविप्रा ने हाल ही में सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) विनियम, 2006 का और 25 मार्च, 2013 को सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया। यह विनियम सेवा प्रदाताओं को भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित लेखापरीक्षकों में से किसी एक के जरिए वार्षिक आधार पर अपने मीटर और बिल प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करने और तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक भादूविप्रा को सौंपने का अधिदेश देता है। यह विनियम यह भी अधिदेश देता है कि सेवा प्रदाता उस एजेंसी द्वारा प्रमाण–पत्र में बताई गई कमियों पर, यदि कोई हो, सुधारात्मक कार्रवाई करें और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक वित वर्ष में 30 नवंबर तक भादूविप्रा के पास जमा कराए। इसके अलावा इन विनियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए भादूविप्रा ने लेखापरीक्षा रिपोर्टों और की गई कार्रवाई

रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 1,00,000/–रुपए प्रति सप्ताह की दर से तथा असत्य और अपूर्ण सूचना के लिए प्रत्येक की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए अधिकतम 10,00,000/–रुपए के वित्तीय दंड के प्रावधान को भी लागू किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकरण ने लेखापरीक्षकों के पैनल की वैधता की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। वर्ष 2011–12 के लिए लेखापरीक्षा का कार्य इन लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।

(झ) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम ताकि ऐसी सेवाओं का विकास किया जा सके

3.8.1 भादूविप्रा ने हमेशा ही ऐसी नीतियों को स्थापित करने का प्रयास किया है, जो समसामयिक विकास के अनुरूप सरल–सहज और व्यावहारिक हों। प्रतिस्पर्धा अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर इनका वांछित प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य से अवगत है कि उपयुक्त व्यापार नीतियां बनाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को नवाचार का लाभ देने में विनियामक निश्चिय ही महत्वपूर्ण कारक है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने का कार्य पूरी गंभीरता से किया है। सिफारिशों/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

3.8.2 दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए:

- मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012 दिनांक 17 अप्रैल, 2012।
- बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 07 मई, 2012।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 14 मई, 2012।
- सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 दिनांक 14 मई, 2012।
- दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 दिनांक 14 मई, 2012।
- दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 8 जून, 2012।
- दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 19 सितंबर, 2012।
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 22 अक्तूबर, 2012।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 5 नवंबर, 2012।
- बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा

गुणवत्ता के मानक (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 8 नवंबर, 2012।

- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 27 नवंबर, 2012।
- वायरलैस डाटा सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012 दिनांक 04 दिसंबर, 2012।
- ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 24 दिसंबर, 2012।
- उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियम, 2013 दिनांक 21 फरवरी, 2013।
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 21 फरवरी, 2013।
- सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 मार्च, 2013।
- सेवा की गुणवत्ता (मीटर से मापन तथा बिल तैयार करने में परिशुद्धता के लिए व्यवहार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 25 मार्च, 2013।

इस रिपोर्ट के भाग–2 में इन विनियमों के विवरणों पर चर्चा की गई है।

(ट) ऐसी अमुक सेवाओं के संबंध में शुल्क व अन्य प्रभारों की ऐसी दरों पर उगाही, जैसी कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए टैरिफ नीतियां तय करने का अधिदेश प्राप्त है। भादूविप्रा टैरिफ विनियम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करता है। जहां बाजार इष्टतम दर नहीं दे रहा हो, वहां टैरिफ विनियम उपभोक्ताओं को टैरिफ ऑफरों और टैरिफ प्रभारों को तय करने में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का रूप ले लेता है। इस दिशा में किए गए विनिर्दिष्ट उपाय इस प्रकार थे:–

- दूरसंचार टैरिफ (50वां संशोधन) आदेश, 2012 दिनांक 19 अप्रैल, 2012।
- दूरसंचार टैरिफ (51वां संशोधन) आदेश, 2012 दिनांक 20 अप्रैल, 2012।
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (पहला संशोधन) आदेश, 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2012।
- दूरसंचार टैरिफ (53वां संशोधन) आदेश, 2012 दिनांक 1 अक्तूबर, 2012।
- दूरसंचार टैरिफ (54वां संशोधन) आदेश, 2012 दिनांक 5 नवंबर, 2012।

इस रिपोर्ट के भाग–2 में इन टैरिफ आदेशों के विवरणों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

(ठ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के प्रभावशाली अनुपालन के लिए उठाए गए कदम

3.10 01.4.2002 के पूर्व लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता के संबंध में प्राधिकरण ने 14 मई, 2012 की अपनी सिफारिशों में कहा कि 01.4.2002 के पूर्व लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को सुदृढ़ करने के लिए मैसर्स बीएसएनएल को सहायता दो वर्षों के लिए जारी रखी जाए। प्रथम वर्ष के लिए सहायता राशि 1500 करोड़ रुपए और द्वितीय वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए हो सकती है।

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में तथा दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी अन्य सामान्य प्रासंगिक मामले में केन्द्र सरकार को दी गई सलाह के विवरण

3.11 दूरसंचार और प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास के संबंध में भादूविप्रा द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

- समेकित लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के प्रवसन के लिए दिशानिर्देशों के संदर्भ में दिनांक 16 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- 'विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए एक्जिट नीति' के संदर्भ में दिनांक 18 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- 'भारत में एफएम रेडियो के क्षेत्र में लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर न्यूनतम चैनल अंतरण निर्धारण' के संदर्भ में दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ में 23 अप्रैल, 2012 की सिफारिशें।
- 01.04.2002 से पूर्व लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शन के लिए सहायता के संदर्भ में दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।
- 'एप्लीकेशन सेवाओं' के संदर्भ में दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशें।
- 'स्पेक्ट्रम की नीलामी: लागत, टैरिफों और वित्तीय लाभों के संदर्भ में प्रभाव का विश्लेषण' के संदर्भ में दिनांक 12 जुलाई, 2012 की सिफारिशें।
- 'आवासीय और उद्यम अंतःदूरसंचार आवश्यकताओं/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन' के संदर्भ में दिनांक 12 अक्तूबर, 2012 की सिफारिशें।
- 'ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस उपयोग के लिए दिनांक 25.02.2010 को नोटिस आमंत्रण आवेदनों (एनआईए) में वर्णित निबंधन एवं शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस समझौता' के संदर्भ में दिनांक 22 नवंबर, 2012 की सिफारिशें।
- 'समेकित लाइसेंस (एक्सेस सेवाएं) के निबंधन और शर्तों' के संदर्भ में दिनांक 02 जनवरी, 2013 की सिफारिशें।
- 'आईएमटी– एडवांस मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाएं' के संदर्भ में दिनांक 19 मार्च, 2013 की सिफारिशें।

इन सिफारिशों के विवरण इस रिपोर्ट के भाग–2 में दिए गए हैं।

(ढ) सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए संवर्धनात्मक सर्वेक्षणों का विवरण

3.12 भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के जरिए भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में बुनियादी टेलीफोन और सेल्युलर मोबाइल सेवा के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के जरिए पीओआई संकुलन की भी निगरानी करता है। उनकी

सेवा की गुणवत्ता संबंधी कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3.12.1 **बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं संबंधी तिमाही रिपोर्ट**– भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के जरिए, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में बुनियादी टेलीफोन और सेल्युलर मोबाइल सेवा के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। भादूविप्रा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से पीओआई संकुलन की भी निगरानी करता है। उनकी सेवा की गुणवत्ता संबंधी कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3.12.2 **ब्रॉडबैंड सेवा संबंधी तिमाही रिपोर्ट** भादूविप्रा ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में विनियम दिनांक 6 अक्तूबर, 2006 के तहत भादूविप्रा द्वारा प्रदत्त मानकों की तुलना में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सौंपी गई तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण क्यूओएस मानकों के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जहां कहीं भी सेवा मानकों की गुणवत्ता उपलब्ध कराने में कमी पाई जाती है, तो मामले को समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सेवा प्रदाताओं के समक्ष उठाया जाता है।

3.12.3 **आईएसपी के क्यूओएस मानदण्डों संबंधी तिमाही रिपोर्ट**– इंटरनेट के डॉयल–अप एक्सेस के लिए, जिसे आईएसपी द्वारा 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक था, मानक तय करते हुए भादूविप्रा ने दिसंबर, 2001 में डॉयल–अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम को अधिसूचित किया। तदनुसार, आईएसपी को क्यूओएस विनियमों के अनुसार मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। भादूविप्रा को आईएसपी से कार्यनिष्पादन निगरानी संबंधी तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है और सेवा मानकों की गुणवत्ता के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

3.12.4 **प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) संकुलन पर मासिक रिपोर्ट** – भादूविप्रा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई में संकुलन के स्तर की निगरानी मासिक आधार पर करता है। यह पैरामीटर सुगमता को दर्शाता है, जिसके द्वारा एक नेटवर्क का उपभोक्ता, दूसरे नेटवर्क के ग्राहक से बातचीत कर पाता है। यह पैरामीटर यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्कों के बीच कितना प्रभावशाली अंतःसंबंध है। भादूविप्रा द्वारा इस पैरामीटर के लिए क्यूओएस विनियमों में अधिसूचित मानक <0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा को सेवा मानकों की गुणवत्ता के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से मासिक पीओआई संकुलन रिपोर्ट प्राप्त होती है।

भाग-IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय कार्य-निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

4. इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त–पोषण, मानव–संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और संगोष्ठी के क्षेत्र शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित विस्तृत सूचना निम्नांकित पैराग्राफों में दी गई है।

(क) संगठन

4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित एक निकाय है, जिसके पास उत्तरोत्तर उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा है, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन चल एवं अचल, दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण व निपटान करने तथा उसका अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा अथवा उस पर वाद किया जा सकेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की

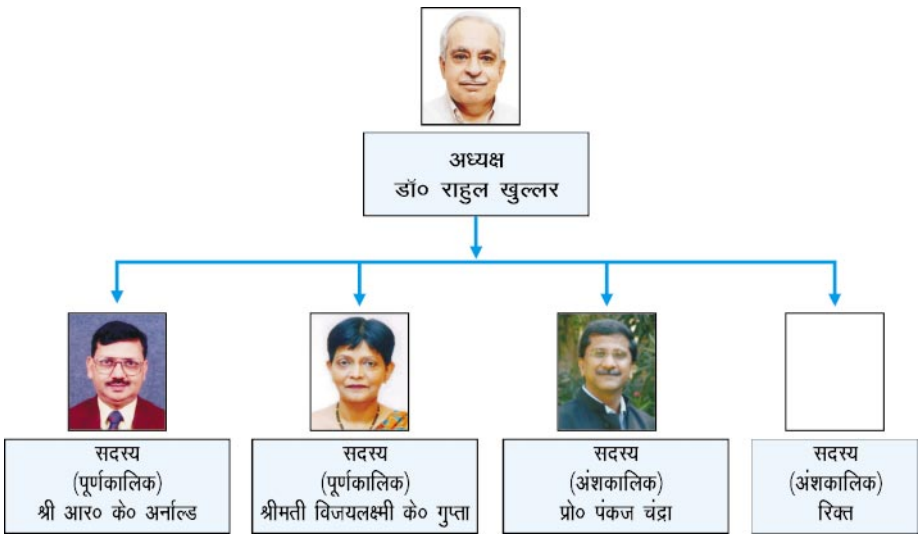

स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। अब प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की संरचना निम्न प्रकार हैं :–

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सचिवालय (मुख्यालय)

4.2 प्राधिकरण का सचिवालय, सचिव के अंतर्गत कार्य करता है और उनकी सहायता के लिए सात प्रभागीय प्रमुख होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

(1) सामान्य प्रशासन (प्रशासन); (2) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बीएंडसीएस); (3) उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता मामले (सीएएंडक्यूओएस); (4) वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण (एफएंडईए); (5) विधि; (6) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल); (7) प्रौद्योगिकीय विकास (टीडी)।

सामान्य प्रशासन प्रभाग

4.2.1 सामान्य प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक और कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भादूविप्रा में योजना और मानव संसाधन का विकास तथा प्राधिकरण के उपयोग के लिए भादूविप्रा द्वारा जारी सभी विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्तन के बारे में सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना, शामिल है। सामान्य–प्रशासन प्रभाग के पास सामान्य–प्रशासन अनुभाग, संचार अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुभाग, आरई एंड आरओ अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, एमआर अनुभाग और सूचना का अधिकार अनुभाग की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण का दायित्व है। जहां तक विनियामक प्रवर्तन का संबंध है, संगत विनियमों के प्रवर्तन हेतु संबंधित प्रभागों का दायित्व हैं। तथापि, सामान्य–प्रशासन प्रभाग सभी प्रभागों के संबंध में सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करता है और प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना एकत्रित करता है। अपने आईआर अनुभाग के माध्यम से यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी देखता है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों यथा आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक, एसएटीआरसी, ओईसीडी तथा अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है।

प्रसारण और केबल सेवाएं (बीएंडसीएस) प्रभाग

4.2.2 प्रसारण और केबल सेवाएं प्रभाग प्राधिकरण को प्रसारण, केबल टीवी क्षेत्र और रेडियो : एफएम के लिए समग्र विनियामक तंत्र निर्धारित करने हेतु परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ पहलू शामिल हैं, ताकि सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंयोजन, निर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ मानकों का सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्यान्वयन और सेवा प्रदाताओं द्वारा इस क्षेत्र में लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रसारण और

केबल सेवाएं प्रभाग, प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र के आधुनिकीकरण/ डिजीटाइजेशन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इस बारे में सिफारिशों का प्रस्ताव करने, निगरानी और शिकायतों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई, जैसाकि निर्दिष्ट विनियमों में व्यवस्था दी गई है, नए प्रसारण और केबल टीवी सेवाएं शुरू करने के संबंध में जांच और सिफारिशों का प्रस्ताव करने और उद्योग के सभी हितधारकों के हितों की संरक्षा के उपाय करने के लिए उत्तरदायी है।

उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता (सीएएंडक्यूओएस) प्रभाग

4.2.3 उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता प्रभाग, दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता के विकास और उपभोक्ताओं के हितों के परामर्श के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों का भादूविप्रा के साथ पंजीकरण को सुकर बनाता है और उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ विचार–विमर्श करता है। उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए प्रभाग की अन्य गतिविधियों में देश के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना, जिला और प्रखंड स्तरों पर उपभोक्ता कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों को सहायता करना और सामान्य उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करना शामिल है।

यह प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा की आवधिक समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा की जा सके। यह प्रभाग अंतःसंयोजन करारों की पंजी के अनुरक्षण और ऐसे अन्य सभी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है, जो इन विनियमों में प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण (एफएंडईए) प्रभाग

4.2.4 वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग लागत प्रक्रिया और दूरसंचार सेवाओं की लागत से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में परामर्श प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं आदि के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयुक्त टैरिफ नीति बनाने; टैरिफ विनियमन के अधीन आने वाली भारत में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं, जिसमें घरेलू लीज्ड सर्किट्स, अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट्स और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में नेशनल रोमिंग शामिल है, के लिए टैरिफ निर्धारित करने में प्राधिकरण को परामर्श देता है। यह प्रभाग लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण से संबंधित मामलों और भारत में दूरसंचार सेवा बाजार में विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपायों पर प्राधिकरण को सुझाव भी देता है। यह प्रभाग ''भारतीय दूरसंचार सेवा कार्यनिष्पादक सूचक रिपोर्ट'' भी संकलित करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

प्रधान सलाहकार (एफएंडईए) भादूविप्रा के आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी हैं और वे प्राधिकरण को सभी वित्तीय मामलों, आय व

व्यय लेखों, वित्तीय लेखापरीक्षा और वित्तीय लेने–देन की जांच के मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं।

विधि प्रभाग

4.2.5 विधि प्रभाग, प्राधिकरण को सभी विनियामक मामलों पर कानूनी सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी मुकदमों के मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्ष होता है।

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

4.2.6 एनएसएल प्रभाग अंतःसंयोजन की शर्तों और निबंधनों का निर्धारण करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतःसयोजन एक्सेस प्रभारों (आईयूसी) के निर्धारण और उसकी नियमित समीक्षा, ऑप्टिकल एक्सेस मामलों और केबल लैंडिंग स्टेशनों से संबंधित एक्सेस प्रभारों सहित अंतःसंयोजन के सभी मुद्दों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग बुनियादी, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंसों की शर्तों और इस प्रभाग द्वारा जारी विनियमों/निर्देशों/आदेशों के भी अनुपालन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रभाग स्पेक्ट्रम के प्रबंधन से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ इसके प्रभावी उपयोग और रिफार्मिंग शामिल है। यह नई वायरलैस प्रौद्योगिकियों और संबंधित विनियामक मामले भी देखता है। यह प्रभाग मोबाइल ऑपरेटरों को जारी विभिन्न लाइसेंसों की शर्तों और निबंधनों के अनुपालन से संबंधित मामलों, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सहित वायरलैस सेवाओं के विभिन्न मुद्दों/पहलुओं से संबंधित सिफारिशें, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से संबंधित मामलों का अनुपालन और दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने; मोबाइल सेवाओं, रेडियो पेजिंग, पीएमआरटीएस, वीएसएटी, जीएमपीसीएस आदि से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने और आईटीयू/एपीटी अध्ययन समूह की गतिविधियों को भी देखता है।

प्रौद्योगिकीय विकास (टीडी) प्रभाग

4.2.7 समय के साथ विनियामक पद्धतियों का किस प्रकार विकास होता है, इस पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास का गहरा प्रभाव होता है। नए प्रकार के नेटवर्कों और प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए सहायक विनियामक तंत्र की आवश्यकता होती है, जो एक समयावधि के लिए निश्चितता प्रदान करती है। भादूविप्रा का प्रौद्योगिकीय विकास प्रभाग दूरसंचार में तकनीकी अनुसंधान की क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों, उनके उपयोग और संभावित उपयोग को समझना और इनकी पहचान करना है ताकि भादूविप्रा संचार बाजारों के विनियमन में सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं और नागरिकों के लिए इसके निहितार्थ की समझ के साथ संसूचित निर्णय कर सके। यह प्रभाग भावी पीढ़ी के नेटवर्क और मामलों, दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनिर्माण, पर्यावरण संबंधी मामले, अवसंरचना प्रबंधन, विद्युत चुंबकीय विकिरण और लोक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के कनवर्जेंस से संबंधित मामलों को देखता है। विनियमन और उन क्षेत्रों में परिवर्तन के निहितार्थ विशेष महत्व के होंगे, जिनमें नई

या भिन्न या गैर–विनियामक प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। प्रभाग को स्थानीय और दूरस्थ सर्वर सहित सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के प्रबंधन और टेक्नोलॉजी डायजेस्ट के प्रकाशन का दायित्व भी सौंपा गया है, जिसके प्रत्येक अंक में एक प्रौद्योगिकीय पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाती है।

(ग) मानव संसाधन

4.3.1 भादूविप्रा के मुख्यालय के स्टाफ की संख्या (दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

185 कर्मियों का स्टाफ (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार) सचिवालय में कार्य का निष्पादन कर रहा है, जो अपने कार्यों के निर्वहन में इसे प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों का निपटान करता है। जब भी आवश्यक होता है, परामर्शदाताओं की सेवाएं भी ली जाती हैं। परामर्शदाताओं को अस्थायी आधार पर स्थानांतरण या नियत कार्य आधार पर रखा जाता है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भादूविप्रा (मुख्यालय) के स्टाफ की संख्या निम्न प्रकार थी :–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार / सलाहकार	14	12
3.	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	35	25
4.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	02
5.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	37	24
6.	प्रधान निजी सचिव	02	02
7.	तकनीकी अधिकारी	12	09
8.	अनुभाग अधिकारी	19	17
9.	निजी सचिव	14	08
10.	पुस्तकालाध्यक्ष	1	—
11.	सहायक	48	42
12.	वैयक्तिक सहायक	18	16
13.	आशुलिपिक 'घ'	01	—
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	—
15.	अवर श्रेणी लिपिक	07	06
16.	चालक	15	13
17.	पीसीएम प्रचालक	02	02
18.	डिस्पैच राइडर	01	01
19.	परिचारक	08	05
	कुल	**239**	**185**

भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार का विवरणः–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/धारित पद	
1.	श्री राजीव अग्रवाल सचिव	
2.	रिक्त प्रधान सलाहकार (प्रशा0)	
3.	श्री सुधीर गुप्ता प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
4.	श्री एन0 परमेश्वरन प्रधान सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)	
5.	श्रीमती अनुराधा मित्रा प्रधान सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण)	
6.	श्री के0 रामचंद प्रधान सलाहकार (प्रौद्योगिकीय विकास)	
7.	रिक्त प्रधान सलाहकार (विधि)	

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/धारित पद	
8.	श्री राजपाल सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण)	
9.	श्री अमित मोहन गोविल सलाहकार (विधि)	
10.	श्री वसी अहमद सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवाएं)	
11.	श्री ए0 रॉबर्ट जेरार्ड रवि सलाहकार (उपभोक्ता मामले और सेवा गुणवत्ता)	
12.	श्री राज कुमार उपाध्याय सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवाएं)	
13	श्री अरविंद कुमार सलाहकार (एनएसएल–1)	
14	श्री संजीव बांझल सलाहकार (एनएसएल–2)	
15	श्री मनीष सिन्हा सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण)	

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कार्मिकों को आरम्भ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। ये प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जोकि दूरसंचार, आर्थिक, वित्त, प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित अनुभव रखते हैं, आरम्भ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को अनुरोध भेजा जाता है। विद्यमान प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर जटिल सिद्ध हुई है। एक ओर जहां प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र, परिधि एवं जटिलता में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं प्राधिकरण को विद्यमान प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों के उनके पैतृक विभाग में निरंतर प्रत्यावर्तन के कारण खोने की समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अतः, प्राधिकरण ने, विशेषज्ञता, कार्यकुशलता एवं दक्षता युक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भादूविप्रा में स्थायी रूप से शामिल होने के विकल्प के साथ एक संवर्ग गठित किया है।

4.3.2 **भर्ती**—प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के आमेलन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्त व्यक्ति, विशेषतः वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों द्वारा स्थायी आमेलन का विकल्प नहीं दिया जाता है। अतः प्राधिकरण के सचिवालय हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है। यह दो कारणों से है। प्रथम, प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले स्वतंत्र प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को वर्तमान पारिश्रमिक पैकेज आकर्षित नहीं कर पाता है। द्वितीय, सरकारी कर्मियों में से संबंधित विशेषज्ञ मुख्यतः मंत्रालयों या सरकार द्वारा शासित दूरसंचार प्रचालकों के पास उपलब्ध होते हैं। तथापि, प्राधिकरण को अनाकर्षक सेवा शर्तों व निबंधनों के कारण विशेषज्ञ मानव शक्ति की भर्ती करने में कठिनाइयां हो रही हैं।

4.3.3 **प्रशिक्षण**—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को दूरसंचार एवं प्रसारण विशेषकर प्रशुल्कों व सेवा गुणवत्ता से संबंधित क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता संबंधी अन्य मामलों का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञता और क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने मानव संसाधन विकास पहल को अत्यधिक महत्व देता है। यह पहल, परामर्श पत्र तैयार करने व उस पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने तथा खुला मंच (ओपन हाउस) चर्चाओं के आयोजन के जरिए प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र के विनियमित करने से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए नीतिगत तंत्र विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन व कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार करते समय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रयास नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित, वृहत स्तर पर नीति निर्धारण करना और व्यापक तकनीकी–आर्थिक प्रचालन विवरणों का संचालन करने के लिए विविध कौशल प्रदान करना होगा। चूंकि, भारतीय

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम की पहचान करने व उनकी रूपरेखा बनाने और उन्हें चलाने की आवश्यकता है, अतः, प्राधिकरण संगठन के अंदर अपनी विशेषज्ञता को और अधिक विकसित करने के लिए अपने अधिकारियों को "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित करता है।

वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों ने मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है तथा इन जानकारियों ने विनियामक कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल में संवृद्धि की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अड़तालिस अधिकारियों/कार्मिकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्ववर्ती डीओईएसीसी सोसाइटी) नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की घरेलू प्रणाली भी विद्यमान है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विख्यात विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों के बारे में, इसके अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये वे कदम हैं, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए उठाए गए हैं।

(घ) संगोष्ठी/कार्यशालाएं

4.4 समूचे विश्व में हो रहे विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने अपने कर्मियों को 26 अंतर्राष्ट्रीय समारोहों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामित किया, जिससे न केवल अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया/जानकारी (फीडबैक/इनपुट) प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन विकास से अवगत होने में सहायता मिली है बल्कि भारत और कई अन्य देशों में प्रमुख विनियामक चिंताओं के मुद्दों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में और उभरते वैश्विक सूचना समाज में भारत को प्रमुख भूमिका अदा करने में सक्षम बनाने में भी योगदान मिला है।

(च) कार्यालय आवास

4.5 भारत सरकार की नीति के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सरकारी पूल से कार्यालय के भवन हेतु पात्र कार्यालय है। लेकिन 1997 में इसकी शुरूआत से ही 'भादूविप्रा' किराए के भवन में कार्यरत है। विगत में 'भादूविप्रा' ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अपना कार्यालय भवन प्राप्त करने हेतु जोरदार प्रयास किए थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण' दूरसंचार सेक्टर और प्रसारण तथा केबल सेवा के मामलों में विनियमन हेतु एक स्वायत निकाय होने के कारण, इसके स्वायत स्वरूप को अक्षुण बनाए रखने के लिए, इसे अपने कार्यालय भवन की आवश्यकता है। वर्तमान में 'भादूविप्रा' का कार्यालय किराया आधार पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भवन में अवस्थित है।

(छ) भादूविप्रा के स्टाफ हेतु रिहायशी आवास

4.6 भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, इस प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले विशेष लाइसेंस फीस पर सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दी गई है, जो कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस फीस की वसूली कर सकता है। आवास रखने की अनुमत्य अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की तारीख या प्राधिकरण में उनके प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि, दोनों में से, जो पहले हो, तक वैध होगी। सामान्य पूल के रिहायशी आवास के लिए आवंटन की पात्रता सम्पदा निदेशालय को ''भादूविप्रा'' द्वारा विशेष लाइसेंस फीस के भुगतान पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिल्ली में प्राधिकरण के सचिवालय में पदस्थ उन अधिकारियों तक सीमित रहेगी, जोकि इस प्राधिकरण में आने से पूर्व सामान्य पूल के आवास आवंटन हेतु पात्र थे। अतः पूर्ववर्ती स्थिति के मद्देनजर, सम्पदा निदेशालय 'दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आमेलन होने के बाद अधिकारियों और स्टाफ को न तो सामान्य पूल का आवास आवंटित कर रहा है और न ही उन्हें पहले से आवंटित सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दे रहा है।

(ज) वित्त–पोषण

4.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका पूर्णतः वित्त–पोषण भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान से होता है। वर्ष 2012–13 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण पर कुल व्यय लगभग 48.96 करोड़ रुपए (लगभग) था, जिसमें से 9.87 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2012–13 के दौरान 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत व्यय की गई, जिसमें कतिपय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी रूप से काम करने के लिए उसका वित्त–पोषण, उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेंस शुल्क के एक छोटे भाग से होना चाहिए तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा–शर्तों के निर्धारण में लचीलेपन की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर–सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां, यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' और 'सेबी' उसी क्षेत्र से वसूल किए गए शुल्क से वित्त–पोषित होते हैं, जिसे वे विनियमित करते हैं तथा इन प्राधिकरणों को अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वसूली गई निधियों का उपयोग करने का लचीलापन प्राप्त है।

(झ) भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय

4.8 प्राधिकरण ने, दिल्ली में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही अनुमोदित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 11 (ग्यारह) हो गई है, लेकिन केवल 09 (नौ) क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति तथा उनके द्वारा कवर किए जाने वाले लाइसेंस–सेवा क्षेत्रों का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	कवर किए गए लाइसेंस–सेवा क्षेत्र
1	कोलकाता	(1) पश्चिम बंगाल (2) कोलकाता (3) ओडिशा
2	पटना	(1) बिहार
3	लखनऊ	(1) उत्तर प्रदेश (पूर्व) (2) उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
4	चंडीगढ़	(1) हिमाचल प्रदेश (2) पंजाब (3) जम्मू एवं कश्मीर
5	हैदराबाद	(1) आंध्र प्रदेश (2) तमिलनाडु
6	भोपाल	(1) मध्य प्रदेश
7	बंगलुरु	(1) कर्नाटक (2) केरल
8	मुम्बई	(1) महाराष्ट्र (2) मुम्बई (3) गुजरात
9	गुवाहाटी	(1) असम (2) पूर्वोत्तर
10	जयपुर	(1) राजस्थान (2) हरियाणा
11	दिल्ली	(3) दिल्ली

- **भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)**

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी : –

क्र.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	वास्तविक
1	सलाहकार	11	9
2	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	22	0
3	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	22	11
4	सहायक	11	7
	कुल	**66**	**27**

- **भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का ब्यौरा (31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)** – 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है : –

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	
1.	रूपा पॉल चौधरी सलाहकार कोलकाता	
2.	अरुण कुमार सलाहकार पटना	
3.	रिक्त सलाहकार लखनऊ	
4.	अमरीश कुमार मिढ़ा सलाहकार चंडीगढ़	
5.	जी0 मुरलीधर सलाहकार हैदराबाद	
6.	अरविंद सिन्हा सलाहकार भोपाल	
7.	डॉ0 सिबिचेन के0 मैथ्यू सलाहकार बंगलुरु	

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	
8.	मदन मोहन सलाहकार मुम्बई	
9.	अमित कुमार भट्टाचार्य सलाहकार गुवाहाटी	
10.	रामदेव आर्य सलाहकार जयपुर	
11.	रिक्त सलाहकार दिल्ली	

4.8.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका एवं कार्य निम्न प्रकार है:–

(1) प्रशुल्कों से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा प्रशुल्क की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।

(2) विनियामक एवं विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ समुचित समन्वय करना।

(3) सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करना।

(4) भादूविप्रा के उपभोक्ता परामर्शी समूह (सीएजी) की बैठकें/खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित करना।

(5) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना।

(6) सीएजी का जिला/ब्लाक स्तर पर विकास करना और सीएजी के साथ सघन अन्योन्यक्रिया करना।

(7) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना।

(8) दूरसंचार विभाग के टर्म प्रकोष्ठ के साथ सघन अन्योन्यक्रिया करना।

(9) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों एवं अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) विनिमयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, और

(10) वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो सहित अन्य ऐसे कार्य करना, जो भादूविप्रा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए हों या भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य हों।

4.8.2 ग्यारह अनुमोदित क्षेत्रीय कार्यालयों में से नौ क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रायोगिक परियोजना के तहत 2012–13 के दौरान काम करना आरंभ किया। क्षेत्रीय कार्यालयों ने लेखापरीक्षा और सेवा की गुणवत्ता मानकों के सर्वेक्षण, शिकायत निराकरण, पंजीकृत केबल प्रचालकों की सूची बनाने, टेलीविजन के माध्यम से टॉक–शो और क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता हैंडबुक का अनुवाद के क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान की। वर्ष 2012–13 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से 17 स्थानों पर उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए यथा चंडीगढ़, जम्मू, मैसूर, तिरुअनंतपुरम, जयपुर, रेवाड़ी, गुवाहाटी, शिलांग, मुंबई, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना और रांची।

(ट) सूचना का अधिकार अधिनियम

4.9 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण पर भी लागू होता है। तदनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के सामंजस्य में, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी निर्दिष्ट किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान सलाहकार के स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 595 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की गई और निर्धारित अवधि के अंदर उनका उत्तर दिया गया।

(ठ) आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन

4.10 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्रदान किया गया था। इसका तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ वर्ष 2007 एवं

2010 में, दो बार नवीकरण किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला आईएस/आईएसओ 9001:2008 नवम्बर, 2013 तक की वैध अवधि के लिए प्रदान की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के क्रियान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से प्रति वर्ष एक बार निगरानी लेखापरीक्षा तथा दो नवीकरण लेखापरीक्षाएं भी आयोजित की हैं। गुणवत्ता लेखापरीक्षकों ने क्यूएमएस कार्यकरण को संतोषजनक माना है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की सिफारिश की है।

तिमाही आधार पर आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा संचालन ने भी प्रणाली में अनवरत सुधार सुनिश्चित किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास इस उद्देश्य के लिए 48 आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षक हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सचिव द्वारा भी मासिक आधार पर और उच्च प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

(ङ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4.11 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव के पर्यवेक्षण में राजभाषा अनुभाग कार्यरत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के भादूविप्रा द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी विनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, राजपत्र, अधिसूचनाएं, तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, तब यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

14 सितंबर, 2012 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य (पूर्णकालिक)

14 सितंबर, 2012 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान अध्यक्ष, भादूविप्रा संबोधित करते हुए। इस अवसर पर भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी प्रधान सलाहकार(प्रशा0) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, बैठकों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति तय की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 27 जून, 2012, 25 सितम्बर, 2012, 31 दिसम्बर, 2012 और 10 अप्रैल, 2013 को आयोजित की गईं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 01 से 14 सितम्बर 2012 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं, जैसे हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/प्रारूपण, नारा लेखन, वाद–विवाद आदि आयोजित की गईं। संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य परिचालित किया गया, जिसमें उन्होंने राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 14 सितम्बर, 2012 को आयोजित समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए।

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, पिछले पांच वर्षों से एक ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की

अवधि के दौरान अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कार्मिकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इसने स्टाफ को पूरे वर्ष अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने में सहायता प्रदान करने तथा उन्हें संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/संदर्भ पुस्तिकाएं आदि वितरित की जाती हैं, जो उन्हें उनका सरकारी कामकाज हिंदी में करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 12 जनू 2012, 22 अगस्त, 2012, 31 दिसम्बर, 2012 और 20 फरवरी, 2013 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

द्विभाषी पत्रिका ''ट्राई दर्पण'' भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की गृह–पत्रिका है तथा इसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्राई दर्पण के दो अंकों (अंक 11 और 12) का प्रकाशन किया गया। इन अंकों की प्राधिकरण में तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

14 सितंबर, 2012 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान अधिकारी व कर्मचारीगण। अध्यक्ष, भादूविप्रा, हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए

ख) वर्ष 2012–2013 के लिए भादूविप्रा के लेखापरीक्षित लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों

को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय व व्यय के लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

(क) तुलन–पत्र

परिसंपत्तियां

चालू परिसपंत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) योजनेत्तर 926.78 लाख रुपए, प्राप्य दावे – 4.87 लाख रुपए।

उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2010–11 के लिए पंजीकरण शुल्क के 6.70 लाख रुपए, ग्राहक जागरूकता शुल्क के 97.56 लाख, कुल 104.26 लाख रुपए कम दर्शाए गए हैं क्योंकि वर्ष 2011–12 के दौरान उक्त राशि डीओटी को अंतरित की गई। इस राशि को आय व व्यय लेखा में 'पूर्वावधि मद' के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

(ख) आय व व्यय लेखा

अन्य आय (अनुसूची–18) योजनेत्तर 339.96 लाख रुपए।

टेलीमार्केटरों से पंजीकरण फीस 1.34 लाख रुपए।

टेलीमार्केटरों से उपभोक्ता जागरूकता फीस 210.74 लाख रुपए।

टेलीमार्केटरों से जुर्माना 126.64 लाख रुपए।

उपर्युक्त में वर्ष 2011–12 से संबंधित 181.18 लाख रुपए की धनराशि शामिल है (टेलीमार्केटरों से पंजीकरण फीस 0.96 लाख रुपए, टेलीमार्केटरों से उपभोक्ता जागरूकता फीस 128.88 लाख रुपए, टेलीमार्केटरों से जुर्माना 52.34 लाख रुपए), जिसे आय व व्यय लेखा में 'पूर्वावधि मद' के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

सहायता अनुदानः–

वर्ष के दौरान प्राप्त 4184 लाख रुपए (पूर्व वर्ष के सहायता अनुदान में से अव्ययित 208 लाख रुपए (योजनेत्तर) की शेष राशि सहित) के सहायता अनुदान (योजनेत्तर) में से भादूविप्रा केवल 3837 लाख रुपए की राशि (योजनेत्तर) का ही उपयोग कर सका, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में 347 लाख रुपए

(योजनेत्तर) की राशि शेष रह गई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 1515 लाख रुपए के सहायता अनुदान (योजना) (जिसमें पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से भादूविप्रा के पास पड़ी 65 लाख रुपए (योजना) की अव्ययित शेष राशि भी शामिल है) में से भादूविप्रा केवल 1171 लाख रुपए (योजना) ही व्यय कर सका तथा 31 मार्च, 2013 को 344 लाख रुपए (योजना) की राशि अव्ययित अनुदान के रूप में शेष रह गयी है।

प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमियों को शामिल नहीं किया गया है तथा उसे प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किया गया है।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2013 (योजना और योजनेत्तर दोनों) के तुलन पत्र से संबंधित है, और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखे (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर0 बी0 सिन्हा)
महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 29 अक्तूबर, 2013

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–I

(भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(vi) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:–

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है(संगठन प्रमुख के बजाए वित्तीय विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं) जबकि आपत्तियों के निवारण के अनुपालन का कार्यक्षेत्र लेखापरीक्षा समिति का है। तथापि, दिनांक 03/05/2012 से आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था में संशोधन किया गया है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा, वित्तीय प्रभाग के प्रमुख की बजाए, सचिव, भादूविप्रा को रिपोर्ट करती है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:–

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(3) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:–

संगठन की स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(4) भण्डार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:–

भण्डार के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता:–

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

अस्वीकरण :– "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2013 को तुलन–पत्र

(राशि–रु0)

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
कोष / पूंजीगत निधि	1	1,03,77,491	(4,30,03,291)	34,20,37,200	24,06,55,674
रिजर्व एवं अधिशेष	2				
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियां	3				
प्रतिभूत ऋण तथा उधार	4				
अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	5				
आस्थगित ऋण देयताएं	6				
चालू देयताएं और प्रावधान	7	10,37,97,618	11,92,62,176	4,39,42,049	4,26,56,706
कुल		**11,41,75,109**	**7,62,58,885**	**38,59,79,249**	**28,33,12,380**
परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां	8	2,14,97,306	2,40,77,623	1,69,52,230	1,50,668
निवेश–निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से	9				
निवेश–अन्य	10				
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	9,26,77,803	5,21,81,262	36,90,27,019	28,31,61,712
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)					
कुल		**11,41,75,109**	**7,62,58,885**	**38,59,79,249**	**28,33,12,380**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

ह0 / –
प्रधान सलाहकार (एफएण्डईए)

ह0 / –
सचिव

ह0 / –
सदस्य

ह0 / –
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(राशि–रु0)

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12				
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	41,00,00,000	35,00,00,000	20,00,00,000	16,00,00,000
शुल्क/अंशदान	14				
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश से हुई आय का निधियों में अंतरण)	15				
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	3,07,830	4,67,929	902	
अन्य आय	18	3,39,96,050	19,242		
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोत्तरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19				
कुल (क)		**44,43,03,880**	**35,04,87,171**	**20,00,00,902**	**16,00,00,000**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	18,35,87,137	16,93,21,278		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	20,17,65,448	19,93,09,389	9,63,24,480	6,75,45,381
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22				
ब्याज	23				
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		56,38,783	57,38,718	24,26,065	51,446
कुल (ख)		**39,09,91,368**	**37,43,69,385**	**9,87,50,545**	**6,75,96,827**

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
व्यय पर आय के अधिशेष के रूप में शेष (क–ख)					
विशेष रिजर्व को अंतरित (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)					
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण					
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, कोष/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		5,33,12,512	(2,38,82,214)	10,12,50,357	9,24,03,173
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएण्डईए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची–I–कोष/पूंजीगत निधि

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	(4,30,03,291)	(2,10,72,360)	24,06,55,674	14,81,92,501
जोड़ें/घटाएं: कोष/पूंजीगत निधि में योगदान	68,270	19,51,283	1,31,169	60,000
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते में अंतरित निवल आय/(व्यय) की शेष आय और व्यय लेखा	5,33,12,512	(2,38,82,214)	10,12,50,357	9,24,03,173
वर्ष की समाप्ति पर तुलन–पत्र	**1,03,77,491**	**(4,30,03,291)**	**34,20,37,200**	**24,06,55,674**

अनुसूची–2–रिजर्व और अधिशेष

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. पूंजी रिजर्व	-		-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-		-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	योजनेत्तर चालू वर्ष 2012-13	योजनेत्तर पिछला वर्ष 2011-12	योजना चालू वर्ष 2012-13	योजना पिछला वर्ष 2011-12
क) निधि का प्रारंभिक शेष								
ख) निधि में जमा राशियां								
i. दान/अनुदान								
ii. निधियों में से किए निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- स्थायी परिसंपत्तियां					शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अन्य								
कुल								
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि								
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–4 प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक -	-	-	-	
क) सावधि–ऋण	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची–5 अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक -		-		
क) सावधि–ऋण		-		-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–6 – आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. क) पूंजीगत उपस्करों के गिरवी द्वारा ली गई स्वीकृति तथा अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-
2. ख) अन्य	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची–7 चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) चालू देयताएं				
1) स्वीकृतियां	-	-	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर, निम्न पर देय नहीं:	-	-	-	-
क) प्रतिभूत ऋण / उधार	-	-	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार	-	-	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-	-	-
क) अतिदेय	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-	-	-
1) ट्राई सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	10,80,000	9,03,000	77,50,000	48,00,000
2) टेलीमार्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए	-	96,000	-	-
3) ग्राहक जागरूकता शुल्क के लिए	-	1,28,88,337	-	-
4) टेलीमार्केटर से जुर्माना	-	52,33,705	-	-
कुल (क)	**10,80,000**	**191,21,042**	**77,50,000**	**48,00,000**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी	1,88,34,059	1,50,06,101	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	2,05,16,769	1,81,20,507	-	-
5. व्यापार वारंटी / दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें) व्ययों के लिए प्रावधान	6,33,66,790	6,70,14,526	3,61,92,049	3,78,56,706
कुल (ख)	**10,27,17,618**	**10,01,41,134**	**3,61,92,049**	**3,78,56,706**
कुल (क+ख)	**10,37,97,618**	**11,92,62,176**	**4,39,42,049**	**4,26,56,706**

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची–8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजनेत्तर

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट / परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनें और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	64,85,438	-	-	64,85,438	32,66,675	4,27,363	-	36,94,038	27,91,400	32,18,763
5. फर्नीचर, जुडनार	1,86,91,036	6,80,655	-	1,93,71,691	1,06,81,464	14,66,957	-	1,21,48,421	72,23,270	80,09,572

(जारी.....)

अनुसूची–8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजनेत्तर (जारी.....)

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर	1,14,21,157	4,59,136	19,998	1,18,60,295	87,17,294	7,20,417	11,506	94,26,205	24,34,090	27,03,863
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल	2,92,92,942	15,83,162	79,760	3,07,96,344	2,34,59,882	22,77,512	79,760	2,56,57,634	51,38,710	58,33,060
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	62,82,440	3,14,628	-	65,97,068	23,11,249	5,99,537	-	29,10,786	36,86,282	39,71,191
9. पुस्तकालय पुस्तकें	37,42,121	29,377	-	37,71,498	34,00,947	1,46,997	-	35,47,944	2,23,554	3,41,174
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग	**7,59,15,134**	**30,66,958**	**99,758**	**7,88,82,334**	**5,18,37,511**	**56,38,783**	**91,266**	**5,73,85,028**	**2,14,97,306**	**2,40,77,623**
पिछला वर्ष	**7,15,04,268**	**44,20,866**	**10,000**	**7,59,15,134**	**4,61,02,910**	**57,38,718**	**4,117**	**5,18,37,511**	**2,40,77,623**	**2,54,01,358**
ख. पूंजीगत कार्य – प्रगति में										
योग										

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची–8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजना

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनें और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन										
5. फर्नीचर, जुडनार	-	12,74,926	-	12,74,926	-	1,00,197	-	1,00,197	11,74,729	-

(जारी.....)

अनुसूची–8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजना (जारी.....)

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर	-	17,24,815	-	17,24,815	-	1,48,050	-	1,48,050	15,76,765	-
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल	-	1,62,27,886	-	1,62,27,886	-	21,26,372	-	21,26,372	1,41,01,514	-
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय पुस्तकें	3,64,407	-	-	3,64,407	2,13,739	51,446	-	2,65,185	99,222	1,50,668
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का योग	**3,64,407**	**1,92,27,627**	**-**	**1,95,92,034**	**2,13,739**	**24,26,065**	**-**	**26,39,804**	**1,69,52,230**	**1,50,668**
पिछला वर्ष	**3,64,407**	**-**	**-**	**3,64,407**	**1,62,293**	**51,446**	**-**	**2,13,739**	**1,50,668**	**2,02,114**
ख. पूंजीगत कार्य – प्रगति में										
योग										

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची – 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची–10 – अन्य निवेश

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि का विवरण

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क. चालू परिसंपत्तियां :–				
1. भण्डार				
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-	-	-
तैयार माल	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध ऋणदाता :				
क) छह माह की अवधि से अधिक लंबित देनदारी	-	-		
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकदी (चैक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	99,902	89,739	1	-
4. बैंक में शेष :				
क) अनुसूचित बैंक के साथ	-	-	-	-
- ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	3,69,34,014	2,26,93,590	4,21,75,612	1,12,98,897
- पंजीकरण शुल्क के चालू खाते में	1,34,000	96,000	-	-
- टेलीमार्केटर से जुर्माना	1,26,64,131	52,33,705	-	-
- ग्राहक जागरूकता शुल्क बचत खाते से	2,10,74,128	1,28,88,337	-	-
- वित्तीय निरूत्साहन बचत खाते से	1,02,867	-	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ				
- चालू खाते में	-	-	-	-
- जमा खाते में	-	-	-	-
- बचत खाते में	-	-	-	-
5. डाकघर–बचत खाता	-	-	-	-
कुल (क)	**7,10,09,042**	**4,10,01,371**	**4,21,75,613**	**1,12,98,897**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
क) स्टाफ	23,46,494	31,54,631	-	-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को टीए, एलटीसी तथा त्योहार अग्रिम)	6,08,469	18,21,142	8,30,606	4,91,015
2. अग्रिम और अन्य राशि जिसकी वसूली नकद अथवा इस प्रकार प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में की जानी है :				
क) पूंजीगत खाते पर	1,50,00,000	26,00,000	32,60,00,000	27,10,00,000
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य	9,52,544	10,78,544	20,800	3,71,800
3. प्रोद्भूत आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर				
ख) निवेश पर – अन्य				
ग) ऋण एवं अग्रिम पर				
घ) अन्य (देय आय में अवसूलीय धनराशि शामिल है)	22,73,619	20,37,939		
4. प्राप्त होने वाले दावे	4,87,635	4,87,635		
कुल (ख)	**2,16,68,761**	**1,11,79,891**	**32,68,51,406**	**27,18,62,815**
कुल (क+ख)	**9,26,77,803**	**5,21,81,262**	**36,90,27,019**	**28,31,61,712**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) स्क्रैप से बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-	-	-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची–13 – अनुदान/सहायता

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)				
1) केन्द्र सरकार	41,00,00,000	35,00,00,000	20,00,00,000	16,00,00,000
2) राज्य सरकार (रे)				
3) सरकारी एजेंसियां				
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय				
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन				
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल	**41,00,00,000**	**35,00,00,000**	**20,00,00,000**	**16,00,00,000**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–14 – शुल्क/अंशदान

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी:–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

अनुसूची–15–निवेश से आय

(राशि–रु0)

	निर्धारित निधि से निवेश			
	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-		-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित				

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची–17 – अर्जित ब्याज

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1) सावधि जमा पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-		-	-
2) बचत खाते पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी / स्टाफ	3,07,830	4,67,929	902	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4) देनदारों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	**3,07,830**	**4,67,929**	**902**	-

टिप्पणी :–स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची–18 – अन्य आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	-	-	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	7,976	-	-	-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-
4. विविध आय	12,948	19,242	-	-
5. टेलीमार्केटर से पंजीकरण शुल्क	1,34,000	-	-	-
6. टेलीमार्केटर से ग्राहक जागरूकता शुल्क	2,10,74,128	-	-	-
7. टेलीमार्केटर से जुर्माना	1,26,64,131	-	-	-
8. वित्तीय निरूत्साहन	1,02,867	-	-	-
कुल	**3,39,96,050**	**19,242**	**-**	**-**

अनुसूची–19–निर्मित माल के स्टॉक एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) अंतिम स्टॉक				
- तैयार माल	-	-		-
- चल रहे कार्य	-		-	-
ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- चल रहे कार्य	-	-	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		-		-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–20–स्थापना व्यय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) वेतन और मजदूरी	14,81,20,191	13,65,48,216	-	-
ख) भत्ते और बोनस	2,81,905	2,77,221	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	39,99,696	36,70,657	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	3,70,997	3,86,123	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ	1,72,14,233	1,77,78,906	-	-
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को एलटीसी, चिकित्सा तथा स्टॉफ को ओटीए)	1,36,00,115	1,06,60,155	-	-
कुल	**18,35,87,137**	**16,93,21,278**	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) क्रय	-	-	-	-
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय	-	-	-	-
ग) कार्टेज एवं कैरिज प्रभार	-	-	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	13,28,867	9,75,604	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-	-	-
च) बीमा	85,572	1,11,615	-	-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	29,01,482	23,76,159	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-	-	-
झ) किराया, दर और कर	12,52,33,548	11,76,43,636	-	-
ञ) वाहन चालन एवं अनुरक्षण	31,12,701	33,17,004	-	-
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	73,48,120	80,82,217	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	80,05,444	76,92,856	-	-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	1,58,97,237	1,96,56,912	-	-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	2,72,026	9,99,980	-	-
ज) अंशदान व्यय	1,60,165	5,55,793	-	-
त) शुल्क पर व्यय	-	-	-	-
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	1,43,906	1,04,200	-	-
द) अतिथि सत्कार व्यय	24,62,785	23,07,647	-	-
ध) वृत्तिक व्यय	2,47,10,012	2,15,39,180	-	-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाले गए	-	-	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-	-	-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	9,53,084	42,41,263	-	-
य) अन्य	-	-	-	-
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग इत्यादि को भुगतान)	91,50,499	97,05,323	-	-
(ii) क्षमता निर्माण पर व्यय	-	-	9,63,24,480	6,75,45,381
कुल	**20,17,65,448**	**19,93,09,389**	**9,63,24,480**	**6,75,45,381**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–22– अनुदानों, सहायता इत्यादि पर व्यय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणीः– अनुदान/सहायता की राशि के साथ संस्था का नाम, उनके क्रियाकलाप प्रकट किए जाएंगे।

अनुसूची 23–ब्याज

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) नियत ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2013 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति व भुगतान विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि–रु0)

प्राप्ति	योजनेत्तर चालू वर्ष 2012-13	योजनेत्तर पिछला वर्ष 2011-12	योजना चालू वर्ष 2012-13	योजना पिछला वर्ष 2011-12
I. अथ शेष				
क) हाथ में रोकड़	89,739	90,640		
i) चालू खाते में	2,26,93,590	1,19,06,421	1,12,98,897	20,93,027
ii) जमा खाते में				
iii) बचत खाते में				
टेलीमार्केटर से जुर्माना	52,33,705			
पंजीकरण शुल्क	96,000	6,70,000		
ग्राहक जागरूकता शुल्क	1,28,88,337	97,76,062		
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार से	39,76,00,000	37,90,00,000	14,50,00,000	6,00,00,000
ख) राज्य सरकार से				
ग) अन्य स्रोतों से (अलग से विवरण दें)				
III. निम्न से निवेश पर आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां				
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)				
IV. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक जमा पर				

भुगतान	योजनेत्तर चालू वर्ष 2012-13	योजनेत्तर पिछला वर्ष 2011-12	योजना चालू वर्ष 2012-13	योजना पिछला वर्ष 2011-12
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	17,64,55,183	16,05,35,326		
ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	20,61,76,565	20,09,79,878	11,30,69,400	5,42,46,179
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान				
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से				
ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)				
IV. स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहे पूंजीगत कार्य				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	31,38,079	42,44,890	40,16,195	
ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय				
V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को				
ख) राज्य सरकार को				
ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को				
घ) डीओटी को टेलीमार्केटर पंजीकरण शुल्क हेतु		6,70,000		

(जारी.....)

प्राप्ति	योजनेत्तर		योजना		भुगतान	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12		चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
ख) ऋण एवं अग्रिम	72,150	88,633	902		च) डीओटी को ग्राहक जागरूकता शुल्क हेतु		97,56,000		
ग) विविध									
					VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)				
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)									
विविध आय को	12,948	19,242			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**				
					ऋण और अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा		26,64,302		7,47,951
VI. उधार ली गई राशि					**VIII. अंत शेष**				
					क) हाथ में रोकड़	99,902	89,739	1	
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)					ख) बैंक में शेष				
प्रतिभूति जमा से	1,77,000		29,50,000		1) ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	3,69,34,014	2,26,93,590	4,21,75,612	1,12,98,897
परिसंपत्तियों की बिक्री से	11,506	5,883			i) पंजीकरण शुल्क के चालू खाते में	1,34,000	96,000		
ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा से	21,46,810	96,906	11,409	42,00,000	ii) जमा खाते में				
पंजीकरण शुल्क से	38,000	96,000			2) बचत खाते में				
ग्राहक जागरूकता शुल्क से	81,85,791	1,28,68,275			i) ग्राहक जागरूकता शुल्क	2,10,74,128	1,28,88,337		
टेलीमार्केटर से जुर्माने से	74,30,426	52,33,705			ii) टेलीमार्केटर से जुर्माना	1,26,64,131	52,33,705		
वित्तीय निरूत्साहन से	1,02,867				iii) वित्तीय निरूत्साहन	1,02,867			
कुल	45,67,78,869	41,98,51,767	15,92,61,208	6,62,93,027	कुल	45,67,78,869	41,98,51,767	15,92,61,208	6,62,93,027

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएण्डईए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परम्पराएं

(क) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में योजनेत्तर तथा योजना, दोनों ही क्रियाकलापों के लिए समुचित रूप से और स्पष्टतः तैयार किए गए हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष, अर्थात 2012–13 के लिए लेखे प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं – लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

(ग) लेखा बहियों में समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(च) तथ्यों और कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख, अर्जन की लागत पर किया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

3. मूल्यह्रास

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, सिवाए नीचे उल्लिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में मूल्यह्रास की ऊंची दरें लागू की गई हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–14 में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार लगाया है, जैसाकि पिछले वर्षों के लेखों में किया गया था:–

श्रेणी	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर	लागू की गई मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	4.75%	10.00%
फर्नीचर और जुडनार	6.33%	10.00%
विद्युत उपकरण	4.75%	10.00%
एयरकन्डीशनर	4.75%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	4.75%	20.00%

कार्यालय उपस्करों में, शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश सं0 2–1/97–लैन के माध्यम से दूरसंचार विभाग की ही तर्ज पर तीन वर्ष के अंदर इन हैंडसेटों को देने/बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार वर्ष 2007–08 से व इससे आगे मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.03.2009 के आदेश सं0 23–24/2008/जीए (एलटी) के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि भादूविप्रा अधिकारियों को जारी लैपटॉप का उपयोग–काल आगे से चार वर्ष होगा। तद्नुसार, चालू वित्तीय वर्ष में लैपटॉप पर मूल्यह्रास 25 प्रतिशत की दर से आंकलित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में योजित वस्तुओं के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया गया है।

(ग) 5,000/– रु0 अथवा उससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति को पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में 31.03.2013 तक छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान भारत सरकार द्वारा मूल नियमावली के तहत समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, भादूविप्रा ने वर्ष 2012–2013 के लिए छुट्टी नकदीकरण और उपदान के लिए प्रावधान बीमांकक (ऐक्चूएरी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6. सरकारी अनुदान

(क) चालू वर्ष के दौरान विर्निदिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) संस्वीकृत राशि के आधार पर सरकारी अनुदानों को खाते में लिया जाता है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

संस्था के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – चालू वर्ष (शून्य) पिछला वर्ष – (शून्य)।

2. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में वसूली पर, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम–से–कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई सकल राशि के समान है।

3. कराधान

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट प्राप्त है।

4. अनुदान

लेखांकन वर्ष 2012–13 के दौरान, ट्राई सामान्य निधि में योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत अंतरण हेतु स्वीकृत अनुदान 41.00 करोड़ रु0 था, इसके बदले में 39.76 करोड़ रु0 की राशि अनुदान के रूप में दूरसंचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 1.50 करोड़ रु0 की राशि को अनुसूची–11 में ''अग्रिम तथा नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अन्य राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत ट्राई सामान्य निधि में अंतरण हेतु 20.00 करोड़ रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 14.50 करोड़ रु0 की राशि दूरसंचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 32.60 करोड़ रु0 की राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

5. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम, 2010 से संबंधित लेन–देन

''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम, 2010'' के प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा ने कॉर्पोरेशन बैंक में पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस, टेलीमार्केटर जुर्माना व वित्तीय निरूत्साहन के लिए चार खाते खोले हैं। दिनांक 31/03/2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस, टेलीमार्केटर जुर्माना व वित्तीय निरूत्साहन के लिए क्रमशः 1,34,000/–रु0, 2,10,74,128/–रु0, 1,26,64,131/–रु0 तथा 1,02,867/–रु0 की धन राशि प्राप्त हुई। इस राशि को अनुसूची–8–'अन्य आय' के शीर्ष में दर्शाया गया है।

6. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के तद्नुरुप आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में व्यय	योजनेत्तर शीर्ष	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	योजना शीर्ष	
(क)	यात्रा	अधिकारियों को विदेश यात्रा हेतु 30,45,802/– रुपए टीए/डीए का भुगतान किया गया।
(ख)	वित्त संस्थान, बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण एवं ब्याज का भुगतान	शून्य।
(ग)	अन्य व्यय	
	– वृत्तिक व्यय	विदेशी परामर्शदाता को 18,66,294/– रुपए का भुगतान किया गया।

8. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएण्डईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ग) वर्ष 2012-13 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखे पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त

हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में शामिल हैं – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2013 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि लेखा के तुलन–पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर0 बी0 सिन्हा)
महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 12 सितंबर, 2013

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–I

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(v) में यथानिर्दिष्ट

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:–

संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा एकक कार्यक्षेत्र एवं आपत्तियों के निवारण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:–

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

अस्वीकरण :– "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि–रू0)

कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ट्राई–सीपीएफ सदस्य खाता	1	75210083.00	55671067.00
रिजर्व एवं अधिशेष	2	3454192.83	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3	-	-
प्रतिभूत ऋण तथा उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	-	-
कुल		**78664275.83**	**55671067.00**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		-
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश–अन्य	10	72495101.00	48100924.79
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	6169174.83	7570142.21
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए)			
कुल		**78664275.83**	**55671067.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/
श्री जे. एस. भाटिया	श्री मैथ्यू पालमट्टम	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री अमित गोविल
संयुक्त सलाहकार (लेखा)	संयुक्त सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	वै. सहायक (बी एंड सीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31.3.2013 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा

(राशि–रू0)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से आय–निधियों में अंतरित)	15	6140194.98	936489.14
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	3036935.54	2644288.50
अन्य व्यय	18	0.00	881468.57
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19	-	-
कुल (क)		**9177130.52**	**4462246.21**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	67348.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	589812.69	427.00
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	5133125.00	4366788.00
म्यूचुअल फंडों में निवेश मूल्य में कमी		-	27683.21
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**5722937.69**	**4462246.21**

(जारी.....)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय से अधिक आय के अधिशेष का शेष (क–ख)		3454192.83	-
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		3454192.83	-
पूंजीगत निधि में अंतरित शेष अधिशेष/(घाटा)		0.00	0.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/
श्री जे. एस. भाटिया	श्री मैथ्यू पालमट्टम	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री अमित गोविल
संयुक्त सलाहकार (लेखा)	संयुक्त सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	वै. सहायक (बी एंड सीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची–I–भादूविप्रा–सीपीएफ सदस्य लेखा

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	55671067.00	55969295.00
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	19539016.00	-298228.00
जोड़ें/(घटाएं): आय व व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष आय व व्यय लेखा		
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**75210083.00**	**55671067.00**

अनुसूची–2–रिजर्व और अधिशेष

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा	3454192.83	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**3454192.83**	**-**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–3 – निधारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
					योजनेत्तर		योजना	
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	पिछला वर्ष 2011-12
क) निधि का प्रारंभिक शेष								
ख) निधि में वृद्धि								
i. दान/अनुदान				लागू नहीं				
ii. निधियों में से किए निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- स्थायी परिसंपत्तियां								
- अन्य								
कुल								
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि								लागू नहीं
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।
2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–4 प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि–ऋण		लागू नहीं
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

अनुसूची–5 अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि–ऋण		लागू नहीं
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

टिप्पणी:– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजीगत उपस्करों तथा अन्य परिसंपत्तियों की आडमान द्वारा स्वीकार्यता		लागू नहीं
2. अन्य		
योग		

टिप्पणी:– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची–7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं :–		
क) प्रतिभूत ऋण/उधार		लागू नहीं
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		
5) सांविधिक देयताए		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–8 स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड									लागू नहीं	
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें और उपस्कर										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, जुडनार										
6. कार्यालय उपस्कर										

(जारी.....)

अनुसूची–8 स्थायी परिसंपत्तियां (जारी.....)

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										लागू नहीं
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. चालू पूंजीगत कार्य										
योग										

(टिप्पणी :– उपर्युक्त सहित क्रय–विक्रय आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए।)

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से निवेश

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		लागू नहीं
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची–10 – अन्य निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	43226753.00	14422323.79
दीर्घावधि निवेश – 3,97,26,753.00/– रुपए		
चालू निवेश – 35,00,000.00/– रुपए		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा)–दीर्घावधि	29268348.00	33678601.00
कुल	**72495101.00**	**48100924.79**

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. भण्डार		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध ऋणदाता		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		

(जारी.....)

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि (जारी.....)

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
4. बैंक में शेष		
क) अनुसूचित बैंक के साथ		
– चालू खाते पर	-	-
– जमा खाते पर (मार्जिन धनराशि सहित)	952504.33	1511861.00
– बचत खाते पर	328102.91	753015.41
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ		
– चालू खाते पर	-	-
– जमा खाते पर	-	-
– बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाता		
कुल (क)	**1280607.24**	**2264876.41**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों / उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2. अग्रिम और अन्य (नकद में या उस प्रकार वसूलीय अग्रिम या अन्य राशि या प्राप्त होने वाली राशि)		
क) पूंजीगत खाते पर		-
ख) पूर्व भुगतान		-
ग) अन्य		-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		-
ख) निवेश पर – अन्य	4888567.59	4424214.04
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य – (देय आय में वसूली न गई धनराशि शामिल है)		
4. प्राप्त होने वाले दावे		881051.76
कुल (ख)	**4888567.59**	**5305265.80**
कुल (क+ख)	**6169174.83**	**7570142.21**

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची–12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		लागू नहीं
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची–13 – अनुदान/सहायता

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अवसूलीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्र सरकार		
2) राज्य सरकार (रे)		
3) सरकारी एजेंसियां		लागू नहीं
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची–14 शुल्क/अंशदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क		लागू नहीं
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी:– प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–15–निवेशों से आय

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1304402.39	936489.14
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर		लागू नहीं
2) लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किरायां		
4) अन्य– म्यूचुअल फंडों की बिक्री से प्राप्त आय	4835792.59	-
कुल	**6140194.98**	**936489.14**
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

अनुसूची–16 – रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		लागू नहीं
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची–17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	709102.61	540463.49
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थाओं के साथ	1901887.45	1900208.00
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	425945.48	203617.01
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**3036935.54**	**2644288.50**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–18 – अन्य आय

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय (भादूविप्रा से वसूला जाएगा)	-	881468.57
कुल	**-**	**881468.57**

अनुसूची–19–निर्मित माल एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल		
– चल रहे कार्य		लागू नहीं
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– चल रहे कार्य		
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		

अनुसूची–20–स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्ते और बोनस		
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ		
छ) अन्य	-	67348.00
कुल	**-**	**67348.00**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज एवं कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत	-	-
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	-	-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	-	-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	-	-
ज) अंशदान व्यय	-	-
त) शुल्क पर व्यय	-	-
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
द) अतिथि सत्कार पर व्यय	-	-
ध) वृत्तिक व्यय	-	-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अवसूलनीय शेष, जो बट्टे खाते में डाले गए	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	-	-
य) अन्य – बैंक एवं वित्त प्रभार	589812.69	427.00
कुल	**589812.69**	**427.00**

अनुसूची–22– अनुदानों, सहायता आदि पर व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता		लागू नहीं
कुल		

टिप्पणी :– संस्थाओं के नाम, उनको दिए गए अनुदानों/सहायताओं के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख किया जाए।

अनुसूची 23–ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	5133125.00	4366788.00
कुल	5133125.00	**4366788.00**

ह0/–
उप सलाहकार

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31.3.2013 को समाप्त वर्ष/अवधि को प्राप्ति व भुगतान विवरण

(राशि–रु0)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अथ शेष			**1. व्यय**		
क) हाथ में रोकड़		-	क) स्थापना व्यय	0.00	67348.00
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	589812.69	428.00
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में		-			
iii) बचत खाते में	753015.41	825953.40			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजस्व व्यय को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न से निवेश पर आय			**III. किए गए निवेश और जमा**		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से		
ख) स्वयं की निधियां(म्यूचुअल फंडों में निवेश से)	4830508.82		ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)	49200442.50	9500000.00
			(निवेश – फ्लेक्सी खाता)		1511861.00
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर – (अनुसूची–क)	642445.48	579248.01	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		

(जारी.....)

31.3.2013 को समाप्त वर्ष/अवधि को प्राप्ति व भुगतान विवरण (जारी.....)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध – (अनुसूची–ख)	3600266.00	2771436.00			
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिशेष राशि/ऋणों की वापसी**		
विविध आय को			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
VI. उधार ली गई राशि			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	533632.60	
शुल्क से					
पूंजीगत निधि से			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रकाशन की बिक्री से			अंतिम भुगतान	6397140.00	4820969.00
परिसंपत्तियों की बिक्री से			निकासी एवं अग्रिम	3976800.00	15158680.00
सदस्यों से अंशदान	11149095.00	10816224.00			
भादूविप्रा से अंशदान	3994277.00	3604801.00	**VIII. अंत शेष**		
शेष राशि का अंतरण	8960704.00	0.00	क) हाथ में रोकड़		
अग्रिमों की पुनर्अदायगी	675755.00	893608.00	ख) बैंक में शेष		
एफडी की परिपक्वता/म्यूचुअल फंडों का नकदीकरण	25538811.99	11308608.00	i) चालू खाते में		
भादूविप्रा सामान्य निधि से ब्याज की कमी की वसूली	881052.00	1012006.00	ii) जमा खाते में		
भादूविप्रा से अधिशेष अंशदान		417.00	iii) बचत खाते में	328102.91	753015.41
कुल	**61025930.70**	**31812301.41**	**कुल**	**61025930.70**	**31812301.41**

ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया
संयुक्त सलाहकार (लेखा)
पदेन न्यासी

ह0/–
श्री मैथ्यू पालमट्टम
संयुक्त सलाहकार (प्रशासन)
पदेन न्यासी

ह0/–
श्री एस.बी. सिंह
संयुक्त सलाहकार (विधि)
न्यासी

ह0/–
श्रीमती पूनम खुराना
वै. सहायक (बी एंड सीएस)
न्यासी

ह0/
श्री अमित गोविल
सलाहकार (प्रशासन)
पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 –महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं :–

i) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र संख्याः– एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक सामान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखे वर्तमान वर्ष 2012–13 के लिए प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

iii) अनुसूची–10 (निवेश–अन्य) में वर्णित निवेशों को कीमत पर लिया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः–

1. संस्था के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य

लेखों पर टिप्पणियांः–

1. निवेश, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना, जो 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, में निर्दिष्ट पैटर्न पर किए गए हैं।

2. अनुसूची–10 (निवेश–अन्य) में वर्णित निवेशों में 4,32,26,753.00/–रु0 की सरकारी प्रतिभूतियां तथा 2,92,68,348.00/–रु0 की अन्य (बैंकों/पीएसयू में एफडी) निवेश शामिल है। इसमें से 6,89,95,101.00/–रु0 का दीर्घावधि निवेश है, जो कि निवेश की तिथि से एक या अधिक वर्ष के लिए निवेशित किया गया है और 35,00,000.00/– रुपए 364 डीटीबी में निवेश किए गए हैं, जो 15/11/2013 को परिपक्व होंगे।

3. पिछले वर्ष के तद्नुरुप आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/
श्री जे. एस. भाटिया	श्री मैथ्यू पालमट्टम	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री अमित गोविल
संयुक्त सलाहकार (लेखा)	संयुक्त सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	वै. सहायक (बी एंड सीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

2जी	दूसरी पीढ़ी
3डी	त्रि आयामी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीसी	एक्सेस डेफिसिट प्रभार
एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
एएमएफआई	भारतीय म्युचुअल फंड संघ
एपीटी	एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी
एआरपीयू	प्रति उपयोकर्ता औसत आय
एयूएसपीआई	एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसओ	बुनियादी सेवा प्रचालक
बीएसटी	बुनियादी सेवा टियर
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस
सी एण्ड एस	केबल एवं सैटेलाइट
सीएजी	उपभोक्ता समर्थक समूह
सीएएस	सर्शत उपागम प्रणाली
सीडीएमए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
सीएलएस	केबल लैंडिंग स्टेशन
सीएमटीएस	सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
सीओएआई	सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
सीपीजीआरएएमएस	एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपी	कॉलिंग पार्टी पे
सीआरएस	सामुदायिक रेडियो स्टेशन
सीटीएस	कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली
सीयूटीसीईएफ	दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि संबंधी समिति
डीएस	डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली

डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलसी	घरेलू लीज्ड सर्किट
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
डीटीएच	डायरेक्ट–टु–होम
ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन पूर्व आय
ईईटीटी ग्रीस	हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन
ईकेएन	स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बोर्ड
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफएम	फ्रीक्वेंसी माड्युलेशन
एफटीए	फ्री–टु–एयर
जीएमपीसीएस	ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम
जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स
एचडी	हाई डेफिनेशन
एचआईटीएस	हैडइंड–इन–द–स्काई
आईबीएस/डीएएस	इंडोर भवन सामधान एवं वितरित एंटीना प्रणाली
आईसीओ	स्वतंत्र केबल ऑपरेटर
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईएस	भारतीय विज्ञान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान
आईएलडी	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमटी–एडवांस्ड	अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार – उन्नत
आईएन	आसूचना नेटवर्क
आईपी–।	अवसंरचना प्रदाता
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
आईपीवी6	इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6
आईआरडीए	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीएसपी	इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाता

आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूसंचार संघ
आईयूसी	इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेज
आईएक्सपी	इंटरनेट विनिमय केन्द्र
जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय ग्रामीण नवीनीकरण मिशन
एलएएन	स्थानीय एरिया नेटवर्क
एलसीओ	स्थानीय केबल प्रचालक
एलटीई	दीर्घावधि मूल्यांकन
एम एण्ड ए	विलयन एवं अधिग्रहण
एम/ओ आई एडं बी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमसीएक्स	भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमएनपी	मोबाइल नम्बर सुवाह्यता
एमओयू	मिनट्स ऑफ यूज़ेज़
एमपीएलएस	बहुल्य – प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग
एमएसओ	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमवीएनओ	मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर
एमडब्ल्यू	मीडियम वेव
एनसीडीईएक्स	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड
एनसीपीआर	राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्टर
एनजीएन	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईए	आवेदन आमंत्रण सूचना
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएलडी	राष्ट्रीय लंबी दूरी
एनटीपी'99	नई दूरसंचार नीति' 1999
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएचडी	खुला मंच चर्चा
पीएबीएक्स	प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज

पीसीओ	पब्लिक कॉल ऑफिस
पीएमआर	निष्पादन निगरानी रिपोर्ट
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओपी	प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस
पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
क्यूएमएस	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
क्यूओएस	सेवा गुणवत्ता
आरएएन	रेडिया एक्सेस नेटवर्क
आर–डीईएल	रूरल–डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन
आरआईओ	संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव
आरटीआई एक्ट	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसएटीआरसी	दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद
एसडी	स्ट्रैंडर्ड डेफिनेशन
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
एसआईएम	सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल
एसएमएस	शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस
एसटीबी	सेट टॉप बॉक्स
एसटीवी	विशेष प्रशुल्क वाउचर
एसयूके	स्टार्ट अप किट
एसडब्ल्यू	शार्ट वेव
टीएएम	टेलीविजन दर्शक मापन
टीसीईपीएफ	दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि
टीसीओ	परीक्षण एवं प्रमाणन संगठन
टीसीपीआर, 2012	दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण
टीईसी	दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर
टीईएमओ	दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संगठन
टीएमएफ	दूरसंचार विनिर्माण निधि
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

टीआरसीएसएल	दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका
टीआरडीएफ	दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निधि
टीएसओ	दूरसंचार मानक संगठन
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीटीओ	दूरसंचार टैरिफ आदेश
यूएएसएल	यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस
यूसीसी	अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूएसएसडी	गैर–अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकड़े
वीएएस	मूल्यवर्धित सेवा
वीएनटीए	वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीएसएटी	वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन